SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वर्ष 2022-23 के लिए संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

Khalid Bin Jamal
Digitally signed by Khalid Bin Jamal
Date: 2025.08.07 10:15:46 +05'30'

संघ सरकार
वित्त मंत्रालय
2025 की प्रतिवेदन संख्या 4
(वित्तीय लेखापरीक्षा)

वर्ष 2022-23 के लिए संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

वित्त मंत्रालय

2025 की प्रतिवेदन संख्या 4

(वित्तीय लेखापरीक्षा)

विषयसूची

शीर्षक	पृष्ठ
प्रस्तावना	iii
कार्यकारी सार	v
अध्याय 1: परिचय	1
अध्याय 2: संघ के वित्त का अवलोकन	3
अध्याय 3: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ	37
अध्याय 4: बजटीय प्रबंधन	57
अनुलग्नक	73

प्रस्तावना

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्धृत मामले शामिल हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई थी।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2022-23 राजकोषीय समेकन का वर्ष था। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक जीडीपी में 6.99 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और नाममात्र जीडीपी में 14.21 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 11.36 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, तथा कर प्राप्तियों में 16.28 *प्रतिशत* की वृद्धि (राज्यों को हस्तांतरित करों के लेखांकन के बाद) हुई। सकल कर प्राप्तियों (जीटीआर) में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद से बढ़ रही है; यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में 51.14 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 53.50 *प्रतिशत* हो गई। जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की बढ़ती हिस्सेदारी एक प्रगतिशील कर प्रणाली का संकेत है।

प्रत्यक्ष करों में, जीटीआर (26.46 *प्रतिशत*) और जीडीपी (3 *प्रतिशत*) दोनों में इसके योगदान के संदर्भ में आयकर से राजस्व में वित्तीय वर्ष 2022-23 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निगम कर विगत वर्ष (3.02 *प्रतिशत)* से बढ़कर 3.06 *प्रतिशत* हो गया। इसने जीटीआर में अपने योगदान में विगत वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि दर्ज की, जो 26.28 *प्रतिशत* से बढ़कर 27.04 *प्रतिशत* हो गई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण वित्तीय वर्ष 2022-23 में विगत पांच वर्षों में सबसे अधिक रहा है।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के साथ-साथ सड़क एवं अवसंरचना उपकर में भी कमी पाई गई। निगम कर और आयकर पर अधिभार संग्रहण में उच्च वृद्धि के कारण अधिभार संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 207.17 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में गैर-कर राजस्व में 2.88 *प्रतिशत* की गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण लाभांश और मुनाफे में कमी थी, जो कि मुख्य रूप से आरबीआई से अधिशेष लाभ की कम प्राप्ति के कारण था। विनिवेश से होने वाली आय विगत वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गई।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी व्यय विगत वर्ष की तुलना में कम हुआ है। लेकिन जीडीपी के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय विगत वर्ष की तुलना में बढ़ा है (वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.28 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.32 *प्रतिशत* हो गया)।

भारत की संचित निधि से सबसे बड़ा आहरण ऋण की अदायगी हेतु था, जिससे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल व्यय के 61.27 *प्रतिशत* हिस्से का व्यय हुआ।

हमने पाया कि कुल राजस्व व्यय के हिस्से के रूप में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय की निश्चित प्रतिबद्धताएं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 43.06 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 38.83 *प्रतिशत* हो गई हैं। यह व्यय के गैर-प्रतिबद्ध शीर्षों पर खर्च के लिए अधिक गुंजाइश दर्शाता है।

पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 16.10 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण परिवहन और रक्षा सेवाएँ रहीं। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में परिवहन क्षेत्र में 191.68 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई। यह अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख विकास गुणक के रूप में बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता को दर्शाता है।

लोक ऋण में वृद्धि के कारण कुल देनदारियों में वृद्धि हुई। बाजार ऋणों का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय वर्ष 2025-26 में चुकाया जाना है, जिसके लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन की आवश्यकता होगी। राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की उच्च दर के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय मापदंडों में सुधार हुआ। राजस्व और राजकोषीय घाटा, दोनों संशोधित अनुमानों से कम थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम था, जो विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के तहत कुल देनदारियों में विगत वर्ष की तुलना में 12.62 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

संघ सरकार के वित्त लेखों (यूजीएफए) में 16 विवरण शामिल हैं जो वर्ष के लिए संघ के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते हैं। संघ सरकार के वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (यूजीएफएआर) का अध्याय 3 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों पर केंद्रित है।

आरक्षित निधि भारत के लोक लेखों का हिस्सा हैं। इन निधियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अलग रखा जाता है और आमतौर पर उपकर या उगाही के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसे संग्रह करने पर भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और संसद की मंजूरी के साथ विशेष आरक्षित निधियों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। चार आरक्षित निधियों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान

जुटाई गई ₹2,41,220 करोड़ की प्राप्तियों में से केवल ₹344 करोड़ ही निधि में हस्तांतरित किए गए (पैरा 3.3.1)। साथ ही, ₹6,065 करोड़ के संचित निवल क्रेडिट बैलेंस के साथ निष्क्रिय आरक्षित निधियों और जमाराशियों की निरंतरता का अर्थ है कि वे अपना उद्देश्य खो चुके हैं और उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है (पैरा 3.3.3)। हमें राजस्व लेखा शीर्ष के बजाय पूंजीगत लेखा शीर्ष के माध्यम से व्यय दर्ज करने के चार उदाहरण मिले, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय ₹49,948 करोड़ अधिक दर्शाया गया (पैरा 3.1.1 और पैरा 3.1.2)।

प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क राज्य कैम्पा प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया जाना था और राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों के बीच 90:10 के अनुपात में उनसे संबंधित आरक्षित निधियों में जमा किया जाना था। हालाँकि, हमने देखा कि यह धन राष्ट्रीय/राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में आगे वितरण के लिए भारत के लोक लेखों में हस्तांतरित कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कोषों में संवितरण के लिए ₹20,082 करोड़ लंबित थे। लोक लेखों में दर्शाई गई शेष राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण की लेखा पुस्तकों में संबंधित आँकड़ों से कम थी, जिसके कारण लोक लेखों में ₹864.56 करोड़ की संभावित कमी आई (पैरा 3.1.1.4)।

यूजीएफए का विवरण 13 केवल उचंत शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष राशि दर्शाता है, इस प्रकार निपटान के लिये लंबित वास्तविक शेष राशि को कम दिखाया गया है, उचंत लेखा (सिविल) में कम दिखाया गया शेष 61.99 *प्रतिशत* और पीएसबी उचंत में 74.72 *प्रतिशत* है (पैरा 3.2.1 ग)। इसी तरह, नकदी शेष की नेटिंग करने के परिणामस्वरूप आरबीआई के साथ समन्वय के लिए लंबित नकदी शेष को कम दिखाया गया, समन्वय के लिये कुल नकद शेष ₹4,597.11 करोड़ था (पैरा 3.4.4)।

उचंत शीर्ष 'चेक और बिल' के अंतर्गत निपटान के लिए लंबित ₹39,311 करोड़ में से आधे से अधिक ‘डाक चेक’ से संबंधित थे (पैरा 3.2.1)। विभिन्न निधियों और जमाराशियों में प्रतिकूल शेष के 65 मामले थे जिनमें से 41 पांच वर्षों से अधिक समय से अनसुलझे रहे। अंतिम वर्गीकरण और मंजूरी की प्रतीक्षा में उचंत और विविध शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण शेष की निरंतरता; ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों के तहत प्रतिकूल शेष राशि और शेष राशि की नेटिंग, एक साथ लेखों की सटीकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं (पैरा 3.2.)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय और प्राप्तियां क्रमशः ₹5,572 करोड़ और ₹4,136 करोड़ 50 *प्रतिशत* से अधिक को कई मुख्य शीर्षों के अंतर्गत सर्वव्यापी 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' और 'लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिससे लेखों में पारदर्शिता से समझौता हुआ (पैरा 3.3.4)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों और अन्य संस्थाओं से वसूली के लिए ₹8,69,479 करोड़ के ऋण और अग्रिम बकाया थे, जिनमें से वसूली के एरियर (मूलधन और ब्याज) ₹74,241 करोड़ थे (पैरा 3.2.3)। हमने सात मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत कार्यरत 16 संस्थाओं से ₹113.57 करोड़ की गारंटी फीस की कम वसूली (पैरा 3.4.1) और ₹669.13 करोड़ के लाभांश की कम प्राप्ति देखी (पैरा 3.4.2)। हमने नमूना संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों के साथ इसका पुनःसत्यापन करते समय इक्विटी शेयरों की मात्रा और सरकारी निवेश के प्रतिशत से संबंधित जानकारी में विसंगति के 26 मामले भी देखे (पैरा 3.4.3)।

हमने लेखांकन में ₹5,522 करोड़ की राशि के गलत वर्गीकरण के मामले भी देखे। इनमें से ₹4,289 करोड़ प्राप्तियों से संबंधित थे, शेष गलत वर्गीकरण कुल मिलाकर ₹1,233 करोड़ था, जो व्यय से संबंधित थे और अधिकतर वस्तु शीर्ष (₹1,023 करोड़) के स्तर पर हुए (पैरा 3.5)।

संघ सरकार के विनियोग लेखों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 102 अनुदान/विनियोग शामिल हैं। संसद ने ₹1,29,48,803.37 करोड़ के विनियोग को मंजूरी दी, जिसके प्रति सरकार ने ₹1,26,07,539.04 करोड़ खर्च किए, जिससे कुल ₹3,41,264.33 करोड़ की बचत हुई (पैरा 4.1.1)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की संचित निधि से कुल प्रभारित (संसद द्वारा वोटिंग की आवश्यकता नहीं) प्रावधान ₹83,53,811.79 करोड़ (64.51 *प्रतिशत*) था, इसके प्रति व्यय मामूली रूप से अधिक ₹83,81,271.25 करोड़ (66.48 *प्रतिशत*) था। कुल दत्तमत प्रावधान ₹45,94,991.58 करोड़ (35.49 *प्रतिशत*) था और वास्तविक व्यय ₹42,26,267.79 करोड़ (33.52 *प्रतिशत*) था, जिसमें ₹3,68,723.79 करोड़ (8.02 *प्रतिशत*) की बचत हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मामूली कमी दर्शाने के बाद प्रभारित व्यय में वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई, जबकि दत्तमत व्यय में विगत तीन वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि हुई (पैरा 4.1.2)।

सिविल मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, मुख्य प्रभारित संवितरण में दो विनियोग शामिल हैं अर्थात 'ऋण की अदायगी' और 'ब्याज भुगतान', तथा प्रमुख दत्तमत मांग 'राज्यों को हस्तांतरण' है। 'ऋण की अदायगी' (पूंजीगत प्रभारित)' के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹53,871.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह अतिरिक्त व्यय राज्य सरकारों द्वारा वर्ष के अंत में आहरण के कारण हुआ। विनियोग से अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के तहत नियमित किया जाना आवश्यक है (पैरा 4.2.1.1)।

लघु/उपशीर्ष स्तर पर, हमने निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण 10 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹25 करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त व्यय देखा (पैरा 4.2.1.2)। हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 18 अनुदानों/विनियोगों में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत भी देखी, जिसमें से प्रति आठ अनुदानों /विनियोगों में वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी लगातार बचत हुई (पैरा 4.2.2.1)। इसके अलावा, 75 अनुदानों/ विनियोगों के 102 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई (पैरा 4.2.2.2)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 13 अनुदानों के अंतर्गत 21 लघु/उपशीर्षों के संबंध में अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक पाए गए क्योंकि अंतिम व्यय संबंधित लघु/उपशीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधानों से कम था (पैरा 4.3.1)। पुनर्विनियोग के संबंध में, हमने पाया कि 15 अनुदानों/विनियोगों में 21 मामलों में, प्रत्येक में ₹10 करोड़ से अधिक का पुनर्विनियोग अनुचित था क्योंकि जिन लघु/उपशीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से वृद्धि की गई थी, उनके अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान पर्याप्त थे और पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह, सात अनुदानों में 10 लघु/उपशीर्षों से अनुचित तरीके से पुनर्विनियोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन लघु/उपशीर्षों में परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ (पैरा 4.4.1)।

हम सिफारिश करते हैं कि:

1. जहाँ भी आवश्यक हो, व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) भाग में कार्यात्मक मुख्य/उप मुख्य शीर्ष के अंतर्गत आरक्षित निधि/जमा में अंतरण के लिए लघु शीर्ष खोला जा सकता है। व्यय के राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के बीच वर्गीकरण की सटीक तस्वीर प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है।

2. वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सभी नियंत्रकों को उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का निपटान करने के लिए नियमित रूप से निर्देश दिए जाएं।

3. प्रतिकूल शेष राशि, जो पांच वर्ष से अधिक समय से अनसुलझी पड़ी है, की समयबद्ध अवधि के भीतर समीक्षा की जा सकती है।
4. संघीय लेखों में शामिल गारंटी और निवेश की राशि को सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्टों के आंकड़ों के साथ मिलान वाले प्रकटीकरण को मंत्रालयों/विभागों द्वारा संबंधित केंद्रीय लेन-देन विवरण (एससीटी) में शामिल किया जा सकता है।
5. विभिन्न अनुदानों में ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक की लगातार बचत को देखते हुए बजट आकलन में पूर्वानुमान सटीकता में सुधार की काफी गुंजाइश है।

अध्याय

1

परिचय

अध्याय 1

परिचय

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 112: राष्ट्रपति **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संघ सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

अनुच्छेद 113: अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण **अनुदान/विनियोग की मांगों** के रूप में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

अनुच्छेद 114: अनुच्छेद 113 के तहत इन विवरणों के अनुमोदन के बाद भारत की संचित निधि में से अपेक्षित धन के विनियोग के लिए **विनियोग विधेयक** संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

अनुच्छेद 115: वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि किसी विशेष सेवा पर अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है, तो अनुच्छेद 115(1)(क) के तहत संसद द्वारा प्राधिकरण के लिए **पूरक मांगें** उठाई जा सकती हैं।

1.1 संघ सरकार के वार्षिक लेखे

संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं।

संघ सरकार के वित्त को तीन भागों में रखा जाता है:

क. **भारत की संचित निधि:** इसमें भारत सरकार द्वारा ऋण के माध्यम से प्राप्त राजस्व सहित सभी राजस्व शामिल हैं, जिनसे सरकार पूंजीगत और राजस्व लेखा शीर्षों के अंतर्गत अपने व्यय को पूरा करती है।

ख. **भारत की आकस्मिक निधि:** यह संसद द्वारा या अधिकृत होने तक, तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए एक अग्रिम राशि है।

ग. **लोक लेखा:** संचित निधि में जमा राशि के अलावा भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन को लोक लेखा में जमा किया जाता है।

वित्त लेखे

संघ सरकार के वित्त लेखे संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाते हैं। वित्त लेखों में दो भाग होते हैं - भाग I और भाग II भाग I में राजस्व, पूंजीगत, गारंटी, ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण लेनदेन और आकस्मिक निधि के संबंध में पाँच संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि भाग II में अन्य संबंधित विवरण के साथ-साथ उपरोक्त लेनदेन से संबंधित 11 विस्तृत विवरण शामिल हैं। ये लेखा नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं, अर्थात वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी लेखों में लेनदेन वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाते हैं।

विनियोग लेखे

विनियोग लेखे संसद द्वारा प्राधिकृत अनुदानों के प्रति व्यय की तुलना के साथ-साथ दोनों के बीच निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक अंतर को भी स्पष्ट करते हैं। चार विनियोग लेखे होते हैं - सिविल मंत्रालय, रक्षा, रेलवे एवं डाक सेवाएं। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) सिविल मंत्रालयों के 98 अनुदानों का विनियोग लेखा तैयार करता है, जबकि रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने-अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

1.2 संघ सरकार के लेखों की लेखापरीक्षा

संघ सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षण मानकों और वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा नियमावली में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। सीएजी ने 17 दिसंबर 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संघ सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखों (सिविल) को प्रमाणित किया।

यह प्रतिवेदन चार अध्याय में व्यवस्थित है। इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में संघ सरकार के लेखों और लेखापरीक्षा प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है, **अध्याय 2** संघ सरकार के वित्त का अवलोकन प्रदान करता है, **अध्याय 3** में लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, और **अध्याय 4** में बजटीय प्रबंधन पर टिप्पणियाँ हैं।

1.3 सरकार की प्रतिक्रिया

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से उनसे संबंधित मुद्दों के संबंध में प्रतिक्रियायें मांगी गई थी। मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तर (जुलाई 2024 तक) प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किये गये हैं।

अध्याय

2

संघ के वित्त का अवलोकन

अध्याय 2 संघ के वित्त का अवलोकन

2.1 भारत का सकल घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी निश्चित समयावधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। जीडीपी की वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक अवधि में देश के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। पिछले पाँच वर्षों में भारत की जीडीपी का रुझान इस प्रकार है।

चित्र 2.1: स्थिर एवं वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्थिर मूल्यों पर (वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद)	1,39,92,914	1,45,34,641	1,36,94,869	1,50,21,846	1,60,71,429
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	6.45	3.87	-5.78	9.69	6.99
वर्तमान मूल्यों पर (नाममात्र जीडीपी)	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	10.59	6.37	-1.24	18.85	14.21

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29 फरवरी 2024।

चित्र 2.1 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में देश की जीडीपी स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर ₹1,60,71,429 करोड़ और वर्तमान मूल्यों पर ₹2,69,49,646 करोड़ थी। दोनों मामलों में क्रमशः 6.99 *प्रतिशत* और 14.21 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

इस प्रतिवेदन में प्रतिशतता और अनुपात निकालने के लिए वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखा गया है।

2.2 संघीय वित्त का स्नैपशॉट - बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के साथ तुलना

यह खंड बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) दोनों चरणों में बजटीय प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाता है, साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संघ सरकार के वित्त

लेखों के अनुसार व्यय भी दर्शाता है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए नियोजित और वास्तविक मूल्यों का भी वर्णन किया गया है। ये विवरण **चित्र 2.2** में दर्शाए गए हैं।

चित्र 2.2: संघीय वित्त का स्नैपशॉट - वित्तीय वर्ष 2021-22 से तुलना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक	बजट अनुमान (बीई)[क] (2022-23)	संशोधित अनुमान (आरई)[क] (2022-23)	वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़े	वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों में भिन्नता		
						वित्तीय वर्ष 2022-23 के बीई से	वित्तीय वर्ष 2022-23 के आरई से	वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आंकड़ों से
1	राजस्व प्राप्तियां	24,36,421	25,17,456	26,80,371	27,13,267	7.78%	1.23%	11.36%
	कर राजस्व[ख]	18,10,923	19,41,170	20,94,662	21,05,786	8.48%	0.53%	16.28%
	गैर-कर राजस्व[ग]	6,25,498	5,76,286	5,85,709	6,07,481	5.41%	3.72%	-2.88%
2	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	14,638	65,000	60,000	46,035	-29.18%	-23.28%	214.49%
3	ऋण एवं अग्रिम राशि की वसूली	24,948	24,666	33,750	36,272	47.05%	7.47%	45.39%
4	**कुल गैर-ऋण प्राप्तियां (1+2+3)**	**24,76,007**	**26,07,122**	**27,74,121**	**27,95,574**	7.23%	0.77%	12.91%
5	लोक ऋण की प्राप्ति	82,49,152	87,09,205	89,64,691	88,64,893	1.79%	-1.11%	7.46%
6	**सीएफआई में कुल प्राप्तियां (4+5)**	**1,07,25,159**	**1,13,16,327**	**1,17,38,812**	**1,16,60,467**	3.04%	-0.67%	8.72%
7	भारतीय आकस्मिक निधि	29,500	0	0	0	-	-	-
8	लोक लेखा प्राप्तियां[घ]	32,37,452	-	-	29,21,888	-	-	-9.75%
9	**कुल प्राप्तियां (6+7+8)**	**1,39,92,111**	-	-	**1,45,82,355**	-	-	4.22%
10	राजस्व व्यय	34,68,189	35,08,291	37,91,423	37,83,698	7.85%	-0.20%	9.10%
11	पूंजीगत व्यय	5,38,140	6,11,189	6,20,204	6,24,757	2.22%	0.73%	16.10%
12	ऋण और अग्रिम	2,32,205	1,70,813	1,38,488	1,42,059	-16.83%	2.58%	-38.82%
13	**कुल व्यय (10+11+12)**	**42,38,534**	**42,90,293**	**45,50,115**	**45,50,514**	6.07%	0.01%	7.36%
14	लोक ऋण की अदायगी	66,45,468	70,75,067	72,75,012	71,99,701	1.76%	-1.04%	8.34%
15	आकस्मिक निधि में अंतरण	29,500	0	0	0	-	-	-
16	**सीएफआई से कुल संवितरण (13+14+15)**	**1,09,13,502**	**1,13,65,360**	**1,18,25,127**	**1,17,50,215**	3.39%	-0.63%	7.67%
17	लोक लेखा संवितरण[घ]	30,81,152			28,30,518	-	-	-8.13%
18	**कुल संवितरण (16+17)**	**1,39,94,654**			**1,45,80,733**	-	-	4.19%

[क] बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरणों से लिए गए हैं।

[ख] इसमें संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्यों को सौंपे गए ₹9,48,406 करोड़ (सकल कर प्राप्तियां- ₹30,54,192 करोड़) के कर और शुल्क शामिल नहीं हैं।

[ग] इसमें ₹1887 करोड़ का सहायता अनुदान एवं अंशदान शामिल है।

[घ] उचंत एवं विविध तथा धन प्रेषण के संबंध में, एएफएस में कोई बीई/आरई आंकड़ा नहीं दर्शाया गया है।

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूजीएफए।

चित्र 2.2 से देखा जा सकता है, कर राजस्व और विविध पूंजीगत प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2021-22 (क्रमशः ₹18,10,923 करोड़ और ₹14,638 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रमशः ₹21,05,786 करोड़ और ₹46,035 करोड़ थी जो काफी अधिक थीं। जबकि गैर-कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹6,25,498 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹6,07,481 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संघ के कुल व्यय (₹45,50,514 करोड़) में पिछले वर्ष की तुलना में 7.36 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जिसमें राजस्व व्यय (₹37,83,698 करोड़) और पूंजीगत व्यय (₹6,24,757 करोड़) का योगदान रहा, जबकि ऋण और अग्रिम (₹1,42,059 करोड़) पिछले वर्ष (₹2,32,205 करोड़) की तुलना में काफी कम हुए। परिणामस्वरूप, गैर-ऋण प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय का 61.43 *प्रतिशत* पूर्ण करने में सक्षम थीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 58.42 *प्रतिशत* थी, जिससे सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए गैर-ऋण प्राप्तियों पर निर्भरता बढ़ गई।

2.3 निधियों के स्रोत और उपयोग[1]

संघ सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन तीन श्रेणियों में आते हैं - ऋण प्राप्तियां, गैर-ऋण प्राप्तियां और लोक लेखा में प्राप्तियां। इनमें से ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियां भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जाती हैं। गैर-ऋण प्राप्तियों को आगे राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और बाहरी एजेंसियों से सहायता अनुदान शामिल हैं, जबकि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त आय और ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल है। जुटाए गए संसाधनों का उपयोग ऋण की अदायगी, सरकार के व्यय, लोक लेखा पर देनदारियों के निर्वहन और आकस्मिक निधि में स्थानांतरण के लिए किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ सरकार के पास कुल ₹1,55,33,165 करोड़ के संसाधन थे और उसने ₹1,55,29,139 करोड़ का उपयोग किया, जिसे निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था, जिससे ₹4,026 करोड़ का समापन नकदी शेष रह गया।

[1] इस खंड में प्रयुक्त आंकड़े सकल राशियाँ हैं, जो चित्र 2.2 में दी गई राशियों से भिन्न हो सकती हैं, यह निवल आंकड़ों पर आधारित हैं।

चित्र 2.3: वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधियों के स्रोत

(₹ करोड़ में)

1	आरंभिक नकद शेष	2,404
2	ऋण प्राप्तियां[2]	88,64,893
3	सकल गैर-ऋण प्राप्तियां	37,43,980
	क) सकल राजस्व प्राप्तियां	36,61,673
	ख) पूंजीगत प्राप्तियां	46,035
	ग) ऋण एवं अग्रिम राशि की वसूली	36,272
4	लोक लेखा में सकल प्राप्तियां	29,21,888
कुल		**1,55,33,165**

चित्र 2.4: वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय वर्ष 2021-22 से तुलना (प्राप्तियां)

राजस्व प्राप्तियां	✓ सकल कर प्राप्तियों में 12.73 *प्रतिशत* की वृद्धि थी, जबकि निवल कर प्राप्तियों (राज्यों को हस्तांतरित करों को छोड़कर कर प्राप्तियां) में 16.28 *प्रतिशत* वृद्धि हुई। ✓ सकल राजस्व प्राप्तियां वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में 14.13 *प्रतिशत* से घटकर 13.59 *प्रतिशत* हो गईं। निवल राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 10.32 *प्रतिशत* से घटकर 10.07 *प्रतिशत* हो गईं (वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में केंद्रीय उत्पाद शुल्कों में ₹47,553 करोड़ की कमी के कारण)।
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	✓ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय के कारण गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 107.92 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 45.39 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।
ऋण प्राप्तियां	✓ मुख्य रूप से बाजार ऋण के माध्यम से वित्तपोषित ऋण प्राप्तियों में 7.46 *प्रतिशत* वृद्धि हुई।
लोक लेखा प्राप्तियां	✓ लोक लेखा प्राप्तियां 9.75 *प्रतिशत* घट गई।

[2] वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संघ सरकार की ऋण प्राप्तियां ₹88,64,893 करोड़ थीं और वर्ष के दौरान ऋण अदायगी ₹71,99,701 करोड़ थी। वर्ष के दौरान संघ सरकार की निवल ऋण प्राप्तियां ₹16,65,192 करोड़ थीं।

चित्र 2.5: वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

1	ऋण की अदायगी	71,99,701
2	लोक लेखों पर देयताओं का निर्वहन	28,30,518
3	वास्तविक व्यय	45,50,514
	क) राजस्व व्यय	37,83,698
	ख) पूंजीगत व्यय	6,24,757
	ग) ऋण एवं अग्रिम	1,42,059
4	संघीय करों में राज्यों का हिस्सा	9,48,406
5	समापन नकद शेष	4,026
निधियों का कुल उपयोग		**1,55,33,165**

चित्र 2.6: वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय वर्ष 2021-22 से तुलना (संवितरण)

<table>
<tr><td rowspan="3">राजस्व व्यय</td><td colspan="4">✓ राजस्व व्यय में 9.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</td></tr>
<tr><td>सामान्य सेवाएँ</td><td>सामाजिक सेवाएं</td><td>आर्थिक सेवाएँ</td><td>अनुदान सहायता</td></tr>
<tr><td>13.30 प्रतिशत ↑</td><td>19.74 प्रतिशत ↓</td><td>12.27 प्रतिशत ↑</td><td>5.83 प्रतिशत ↑</td></tr>
<tr><td rowspan="3">पूंजीगत व्यय</td><td colspan="4">✓ पूंजीगत व्यय में 16.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</td></tr>
<tr><td colspan="2">सामान्य सेवाएँ</td><td>सामाजिक सेवाएं</td><td>आर्थिक सेवाएँ</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.87 प्रतिशत ↑</td><td>25.52 प्रतिशत ↑</td><td>20.47 प्रतिशत ↑</td></tr>
<tr><td>ऋण की अदायगी</td><td colspan="4">✓ ऋण अदायगी में 8.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</td></tr>
<tr><td>लोक लेखा संवितरण</td><td colspan="4">✓ लोक लेखा संवितरण में 8.13 प्रतिशत की कमी आई।</td></tr>
</table>

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 9.10 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, पूंजीगत व्यय में 16.10 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। व्यय में क्षेत्रवार वृद्धि/कमी ऊपर दर्शाई गई है।

2.4 संसाधन अर्जन की प्रवृत्ति

केंद्र सरकार की सकल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ (कर और गैर-कर), गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री और ऋण और

अग्रिम की वसूली से), लोक लेखा में उधार और प्राप्तियाँ (भविष्य निधि, लघु बचत आदि के रूप में जो सरकार एक ट्रस्टी के रूप में प्राप्त करती है) शामिल हैं। **चित्र 2.7** वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में संसाधन अर्जन और सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चित्र 2.7: संसाधन अर्जन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल गैर-ऋण प्राप्तियां		ऋण प्राप्तियां	लोक लेखों में सकल प्राप्तियां	सकल प्राप्तियां
	सकल राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां			
2018-19	25,67,917	1,25,236	67,58,482	17,45,217	1,11,96,852
	22.93%	1.12%	60.36%	15.59%	
2019-20	25,98,760	68,996	73,01,387	21,36,115	1,21,05,258
	21.47%	0.57%	60.32%	17.64%	
2020-21	24,59,510	67,820	81,62,910	28,48,879	1,35,39,119
	18.17%	0.50%	60.29%	21.04%	
2021-22	33,34,813	39,586	82,49,152	32,37,452	1,48,90,503**
	22.40%	0.27%	55.39%	21.74%	
2022-23	36,61,673	82,307	88,64,893	29,21,888	1,55,30,761
	23.58%	*0.53%*	*57.08%*	*18.81%*	

नोट: प्रतिशतता में आंकड़े सकल प्राप्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं।

* इसमें राज्यों को सौंपे गए करों और शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं (₹9,48,406 करोड़ चालू वर्ष में) चालू वर्ष में केन्द्र की राजस्व प्राप्तियां ₹27,13,267 करोड़ थीं, जैसा कि चित्र 2.2 में दर्शाया गया है।** इसमें आकस्मिक निधि में हस्तांतरित ₹29,500 करोड़ (सकल प्राप्तियों का 0.20 प्रतिशत) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष **2021-22** की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सकल प्राप्तियां 4.30 *प्रतिशत* बढ़ी (₹6,40,258 करोड़), सकल गैर-ऋण प्राप्तियां 10.95 *प्रतिशत* बढ़ी (₹3,69,581 करोड़) और ऋण प्राप्तियां 7.46 *प्रतिशत* बढ़ी (₹6,15,741 करोड़)।

चित्र 2.8: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संसाधन

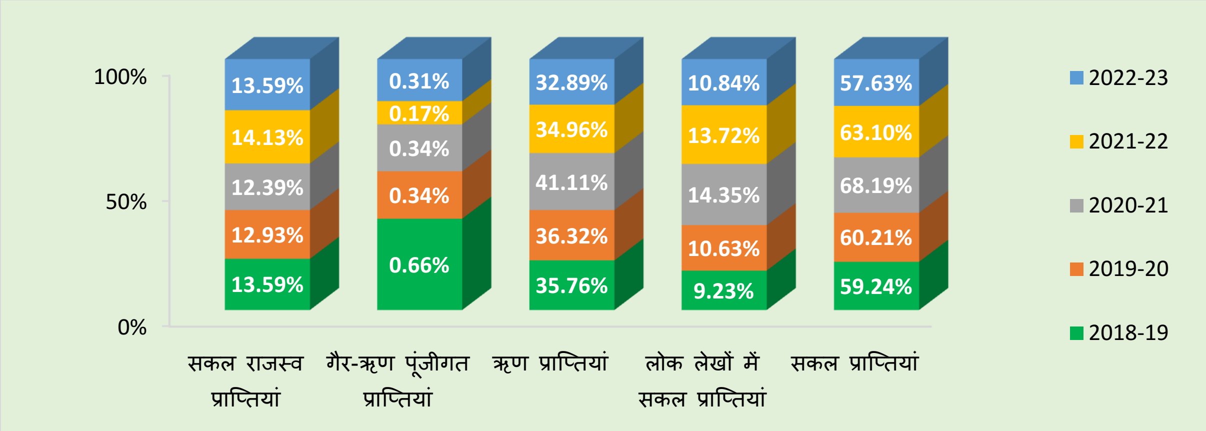

कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल प्राप्तियां पिछले पांच वर्षों के दौरान सबसे कम रही हैं। यह मुख्य रूप से ऋण प्राप्तियों और लोक लेखों में सकल प्राप्तियों में कमी के कारण है। सकल राजस्व प्राप्तियों का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 को छोड़कर) के दौरान कम होता चला गया है, जो औसतन 13.33 *प्रतिशत* है, जबकि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश आय में अंतर के कारण अधिक उतार-चढ़ाव हुआ।

2.5 राजस्व प्राप्तियां

चित्र 2.9 सकल एवं निवल दोनों राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संघ सरकार के वित्त का अवलोकन प्रस्तुत करता है।

चित्र 2.9: राजस्व प्राप्तियां: सकल और निवल

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	राज्य का हिस्सा	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व#	निवल राजस्व प्राप्तियां	सकल राजस्व प्राप्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)= (2)+(5)
2018-19	20,80,465	7,61,454	13,19,011	4,87,451	18,06,462	25,67,916
	81.02%			*18.98%*		
2019-20	20,10,059	6,50,677	13,59,382	5,88,701	19,48,083	25,98,760
	77.35%			*22.65%*		
2020-21	20,27,104	5,94,997	14,32,107	4,32,406	18,64,513	24,59,510
	82.42%			*17.58%*		
2021-22	27,09,315	8,98,392	18,10,923	6,25,498	24,36,421	33,34,813
	81.24%			*18.76%*		
2022-23	30,54,192	9,48,406	21,05,786	6,07,481	27,13,267	36,61,673
	83.41%			*16.59%*		
नोट: आंकड़े सकल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में प्रतिशतता को दर्शाते हैं।						
# इसमें सहायता अनुदान और बाहय एजेंसियों से प्राप्त योगदान शामिल है।						

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सकल राजस्व प्राप्तियों में सकल कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से सबसे अधिक रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राजस्व प्राप्तियों का औसतन 81.09 *प्रतिशत* सकल कर राजस्व से आया, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 को छोड़कर काफी हद तक सीमित दायरे में रहा। गैर-कर राजस्व ने औसतन 18.91 *प्रतिशत* का योगदान दिया, वित्तीय वर्ष 2019-20 को छोड़कर जब यह आरबीआई से अधिशेष मुनाफे के अप्रत्याशित हस्तांतरण के कारण 22.65 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था। सकल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में, गैर-कर राजस्व पिछले पांच वर्षों के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे कम रहा है।

2.5.1 कर राजस्व

कर राजस्व में दो घटक होते हैं - प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आयकर, निगम कर, आदि प्रत्यक्ष करों का हिस्सा हैं, और माल और सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आदि अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा हैं। **चित्र 2.10** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व के घटकों को दर्शाता है।

चित्र 2.10: सकल कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

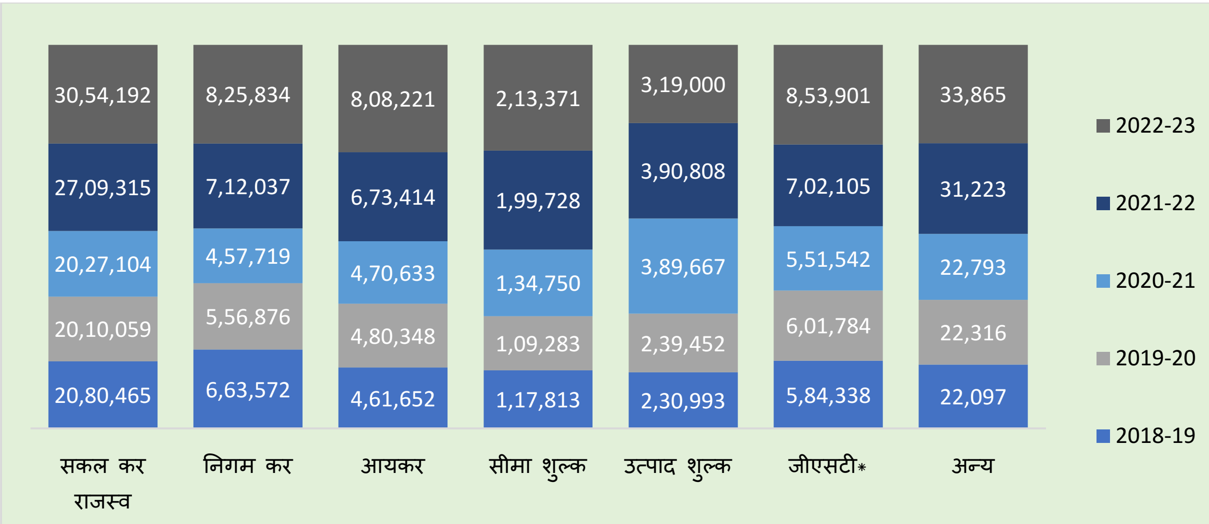

**जीएसटी आंकड़े में सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।*

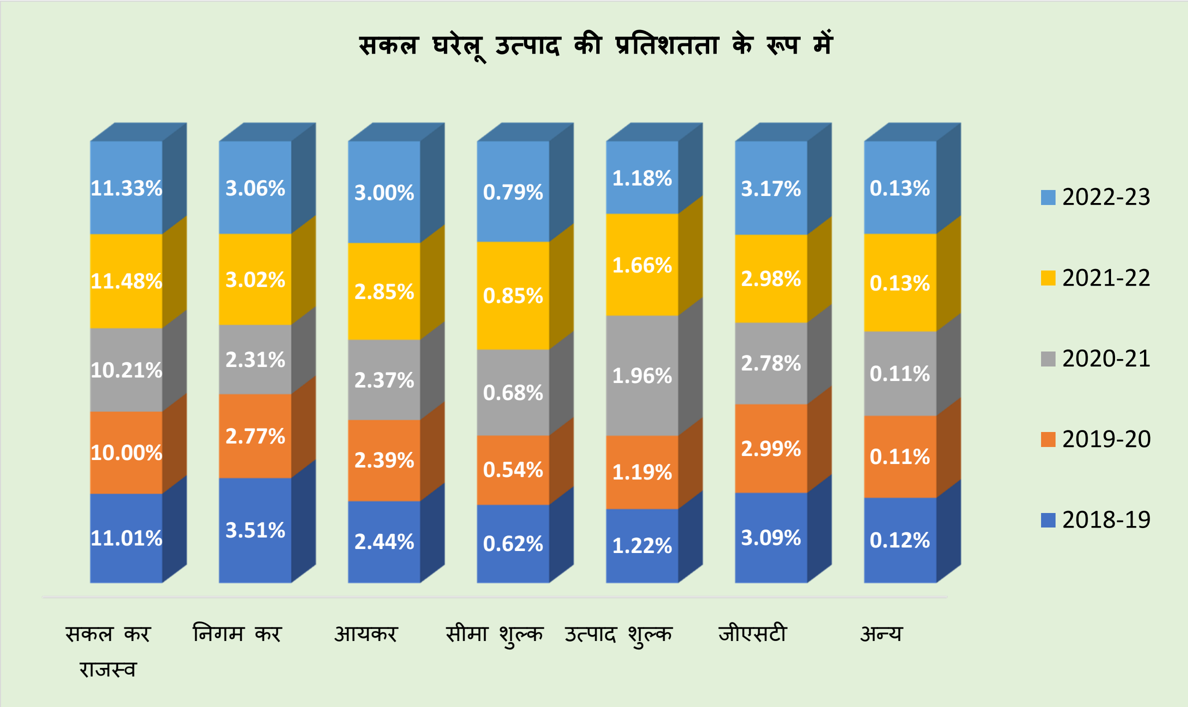

सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में सकल कर राजस्व पिछले पांच वर्षों में एक सीमित दायरे में रहा जो सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 10.81 *प्रतिशत* रहा, वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, आर्थिक मंदी और महामारी के कारण।

कोविड वर्ष (45.80 *प्रतिशत*) को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष करों ने सकल करों में 50 *प्रतिशत* से अधिक का योगदान दिया है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद सकल करों में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी बढ़ रही है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 53.50 *प्रतिशत* रही, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 51.14 *प्रतिशत* से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से आयकर, निगम कर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में औसतन 79.05 *प्रतिशत* योगदान रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयकर से प्राप्त राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, सकल कर राजस्व में इसके योगदान के संदर्भ में 26.46 *प्रतिशत* और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के संदर्भ में तीन *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में अधिक थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल कर राजस्व में निगम कर का योगदान (27.04 *प्रतिशत*), हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, लेकिन महामारी-पूर्व अवधि (वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31.90 *प्रतिशत* और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 27.70 *प्रतिशत*) की तुलना में कम रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3.02 *प्रतिशत* से थोड़ा बढ़कर 3.06 *प्रतिशत* हो गया।

जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था और इसमें केंद्र और राज्यों के स्तर पर कई कर समाहित हो गए थे। वित्तीय वर्ष 2018-19 से जीएसटी से राजस्व जीडीपी के औसतन लगभग तीन *प्रतिशत* पर स्थिर रहा, सिवाय वित्तीय वर्ष 2020-21 के जब यह घटकर जीडीपी का 2.78 *प्रतिशत* रह गया। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीएसटी संग्रह पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक (3.17 *प्रतिशत*) रहा है।

2.5.1.1 उपकर और अधिभार के माध्यम से अर्जित राजस्व

उपकर एक अतिरिक्त कर है जो सरकार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए धन जुटाने हेतु लगाती है। अधिभार भी कर पर कर है। संविधान के अनुसार, ये राजस्व धाराएँ राज्यों के साथ विभाजित नहीं की जा सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपकर और अधिभार के तहत कुल संग्रह ₹4,81,209 करोड़ था। उपकर संग्रह[3] ₹3,56,012 करोड़ रहा जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल कर राजस्व (₹30,54,192 करोड़) का 11.66 *प्रतिशत* था, यह पिछले वर्ष की तुलना में 22.90 *प्रतिशत* कम है। जबकि पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख उपकर के अधिकांश घटकों में वृद्धि हुई है, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी के कारण सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (पिछले पांच वर्षों में सबसे कम) में गिरावट आई है।

[3] उपकर संग्रह में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्रित यूनिवर्सल एक्सेस लेवी भी शामिल है ।

चित्र 2.11: कर राजस्व के हिस्से के रूप में उपकर संग्रह

(₹ करोड़ में)

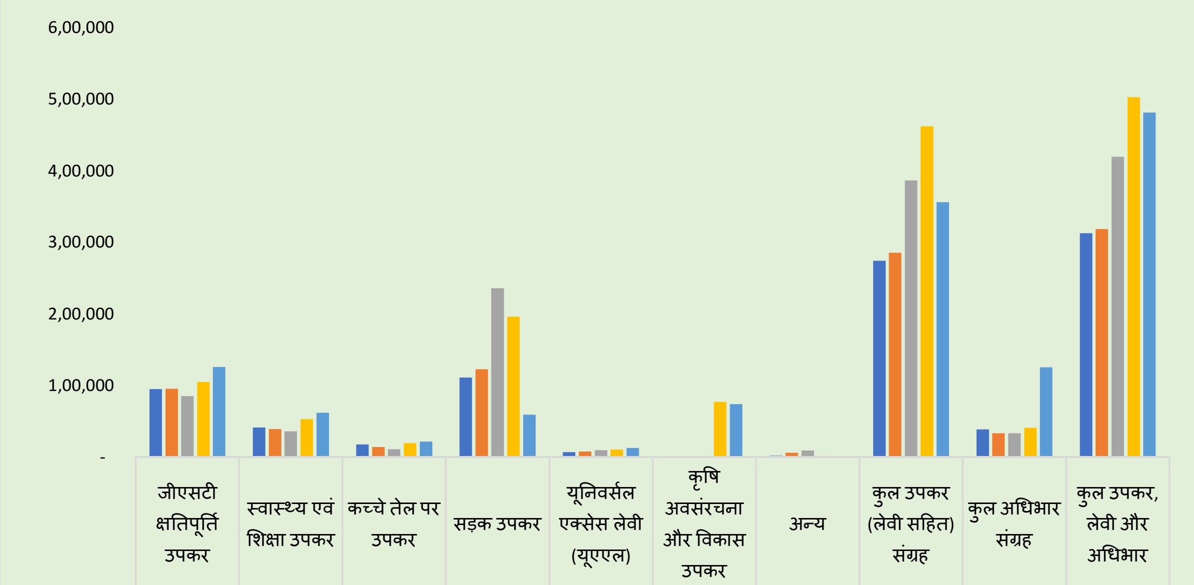

	जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	कच्चे तेल पर उपकर	सड़क उपकर	यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल)	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	अन्य	कुल उपकर (लेवी सहित) संग्रह	कुल अधिभार संग्रह	कुल उपकर, लेवी और अधिभार
2018-19	95,081	41,310	17,814	1,10,854	6,912	-	2,121	2,74,092	38,611	3,12,703
2019-20	95,553	39,241	14,062	1,22,440	7,962	-	5,901	2,85,159	33,087	3,18,246
2020-21	85,192	35,895	10,894	2,35,783	9,471	-	9,267	3,86,502	33,064	4,19,566
2021-22	1,04,769	52,750	19,354	1,95,987	10,376	76,951	1,548	4,61,735	40,758	5,02,493
2022-23	1,25,862	61,814	21,497	59,235	12,693	74,142	769	3,56,012	1,25,197	4,81,209

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23

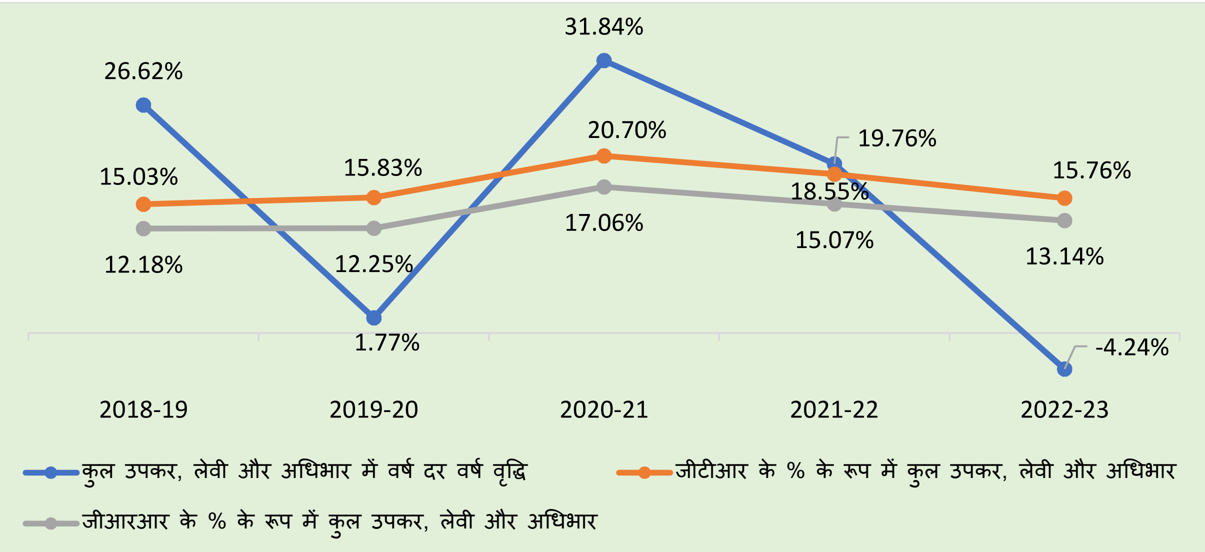

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूजीएफए की विवरण संख्या 8

उपकर और अधिभार संग्रह मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क (कुल संग्रह का 27.38 *प्रतिशत*), सीमा शुल्क (8.35 *प्रतिशत*), जीएसटी (26.16 *प्रतिशत*), आयकर (17.60 *प्रतिशत*) और निगम कर (17.90 *प्रतिशत*) से आता है। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जो कुल उपकर/अधिभार संग्रह में

26.16 *प्रतिशत* का योगदान देता है, के 2026 तक समाप्त होने की उम्मीद है (उपकर लगाने और संग्रह की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई थी)।

सकल कर संग्रह में उपकर (अधिभार को छोड़कर) की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है, लेकिन सकल कर राजस्व (जीटीआर) में अधिभार का दावा काफी बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹40,758 करोड़ से यह वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹1,25,197 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, इसमें 207.17 *प्रतिशत* का उछाल है।

2.5.2 गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ, न्यायपालिका, पुलिस से आय, रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों और अन्य द्वारा एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल गैर-कर राजस्व में 2.88 *प्रतिशत* की कमी आई है। गैर-कर राजस्व की संरचना **चित्र 2.12** में दी गई है।

चित्र 2.12: गैर-कर राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

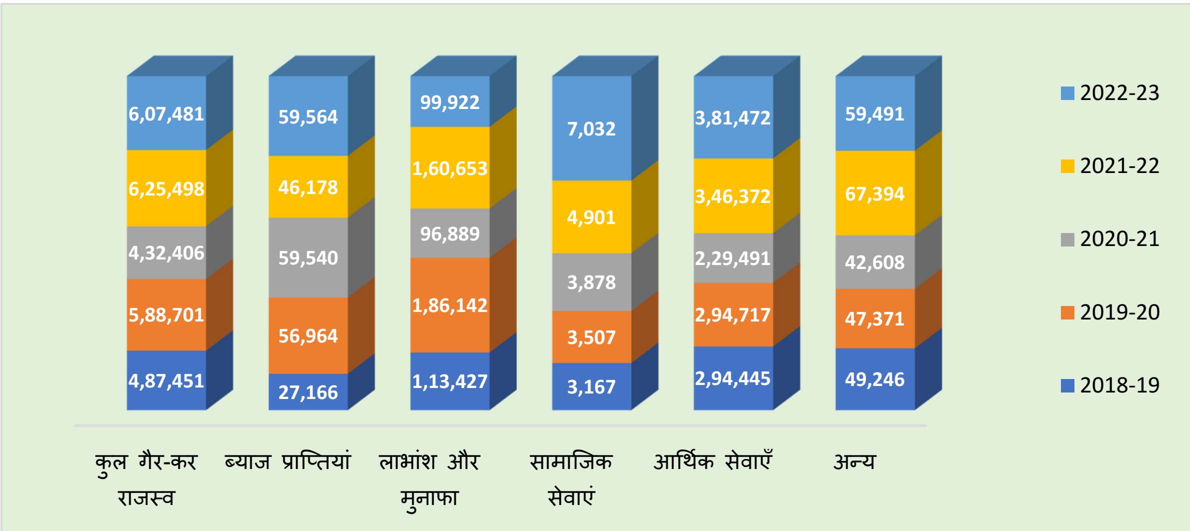

नोट 1: कुल गैर-कर राजस्व में सहायता अनुदान और बाहरी एजेंसियों से प्राप्त अंशदान शामिल हैं।
नोट 2: अन्य में शामिल हैं: राजकोषीय सेवाएं (₹1,127 करोड़), सामान्य सेवाएं (₹56,477 करोड़) और अनुदान सहायता एवं अंशदान (₹1,887 करोड़)।
स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूजीएफए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर प्राप्तियों का हिस्सा कम हो गया है, जो कि पिछले पांच वर्षों में सबसे कम है। यह मुख्य रूप से आरबीआई से अधिशेष लाभ की कम प्राप्ति के कारण लाभांश और मुनाफे में उल्लेखनीय कमी के कारण है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-कर राजस्व में आर्थिक सेवाओं का बड़ा हिस्सा भारतीय रेलवे वाणिज्यिक

लाइनों[4], डाक प्राप्तियों और अन्य संचार सेवाओं के अंतर्गत रहा है[5]। आर्थिक सेवाओं के तहत, हालांकि भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों के तहत वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई राजस्व में 15 *प्रतिशत* की वृद्धि) अन्य संचार सेवाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय गिरावट आई है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए, संघ सरकार को 105 संस्थाओं से ₹99,922 करोड़ का लाभांश/अधिशेष प्राप्त हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 98 संस्थाओं से ₹1,60,653 करोड़ प्राप्त हुए, जैसा कि **चित्र 2.13** में दिखाया गया है।

चित्र 2.13: लाभांश और मुनाफे की संरचना

(₹ करोड़ में)

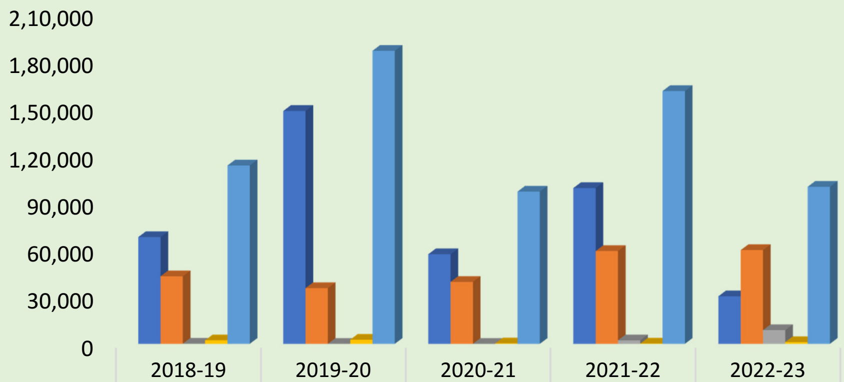

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आरबीआई से अधिशेष लाभ का हिस्सा	68,000	1,47,988	57,128	99,122	30,307
सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश	43,049	35,509	39,497	59,120	59,735
राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का हिस्सा	108	0	0	2,231	8,738
अन्यों से लाभांश	2,270	2,645	264	180	1,142
कुल लाभांश और मुनाफा	1,13,427	1,86,142	96,889	1,60,653	99,922

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त लाभांश और मुनाफे में से केवल आरबीआई से प्राप्त अधिशेष (₹30,307 करोड़) का हिस्सा इस शीर्ष में कुल प्राप्तियों का 30.33 *प्रतिशत* था। लाभांश देने वाली अन्य प्रमुख संस्थाएँ थीं तेल व प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (₹10,372 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड (₹9,476 करोड़), हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (₹9,422 करोड़), राष्ट्रीयकृत बैंक

---

[4] भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों से होने वाली आय में मुख्य रूप से कोचिंग आय (₹69,259 करोड़) और माल आय (₹1,62,154 करोड़) शामिल हैं। कोचिंग यातायात से होने वाली आय में टिकट किराया, आरक्षण शुल्क, सामान शुल्क, पार्सल, डाकघर मेल का परिवहन और अन्य विविध शुल्क शामिल हैं। माल यातायात से होने वाली आय में ईंधन, सामान्य माल, सैन्य यातायात, पशुधन, सड़क सेवाओं से सकल आय और विविध माल आय शामिल हैं।

[5] अन्य संचार सेवाओं से प्राप्तियों में मुख्य रूप से वायरलेस योजना एवं समन्वय संगठन, दूरसंचार लाइसेंस शुल्क, यूनिवर्सल एक्सेस लेवी आदि से प्राप्तियां शामिल हैं।

(₹8,738 करोड़), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹4,387 करोड़), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹3,593 करोड़) और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹2,058 करोड़)। गैर-कर राजस्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹59,120 करोड़ (9.45 *प्रतिशत*) से मामूली रूप से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹59,735 करोड़ (9.83 *प्रतिशत*) हो गया।

2.5.3 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री तथा ऋणों और अग्रिमों की वसूली से प्राप्त आय शामिल होती है।

चित्र 2.14: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

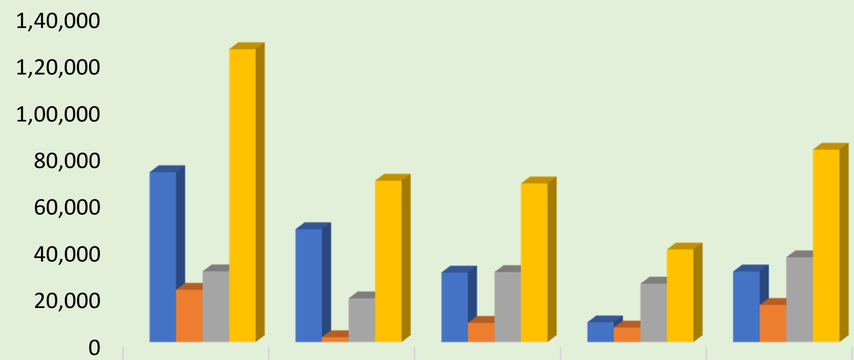

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
विनिवेश से प्राप्तियां	72,620	48,234	29,720	8,432	30,184
अन्य	22,359	2,115	8,177	6,206	15,851
ऋण और अग्रिम की वसूली	30,257	18,647	29,923	24,948	36,272
कुल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	1,25,236	68,996	67,820	39,586	82,307

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में अपनी संस्थाओं के विनिवेश से ₹30,184 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह राशि ₹8,432 करोड़ थी। ये प्राप्तियाँ जीवन बीमा निगम के आरंभिक लोक प्रस्ताव (₹20,532 करोड़), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (₹3,059 करोड़), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (₹2,901 करोड़), भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (2,724 करोड़) और पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड (₹471 करोड़) के बिक्री प्रस्तावों और गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों की पुनर्खरीद (₹497 करोड़) से प्राप्त हुईं।

2.6 व्यय

2.6.1 संवितरण की प्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की संचित निधि से व्यय में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 7.67 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। ₹1,45,80,733 करोड़ के कुल संवितरण में से 80.59 *प्रतिशत* भारत की संचित निधि से और शेष 19.41 *प्रतिशत* लोक लेखा से था, जैसा कि **चित्र 2.15** में दर्शाया गया है।

चित्र 2.15: संवितरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व व्यय (आरई)	22,61,571 *(25.76)*	26,15,320 *(27.90)*	33,14,852 *(32.85)*	34,68,189 *(31.78)*	37,83,698 (32.20)
पूंजीगत व्यय (सीई)	3,99,523 *(4.55)*	3,87,744 *(4.14)*	3,42,949 *(3.40)*	5,38,140 *(4.93)*	6,24,757 (5.32)
ऋण और अग्रिम (एलए)	54,667 *(0.62)*	45,141 *(0.48)*	2,49,846 *(2.47)*	2,32,205 *(2.13)*	1,42,059 (1.21)
कुल व्यय (आरई+सीई+एलए)	**27,15,761**	**30,48,205**	**39,07,647**	**42,38,534**	**45,50,514**
लोक ऋण की अदायगी	60,64,945 *(69.07)*	63,26,549 *(67.48)*	61,84,635 *(61.28)*	66,45,468 *(60.89)*	71,99,701 *(61.27)*
आकस्मिक निधि में अंतरण	-	-	-	29,500 *(0.27)*	-
सीएफआई से संवितरण	**87,80,706**	**93,74,754**	**1,00,92,282**	**1,09,13,502**	**1,17,50,215**
लोक लेखा से संवितरण	16,53,371	20,84,799	28,44,653	30,81,152	28,30,518
कुल संवितरण	**1,04,34,077**	**1,14,59,553**	**1,29,36,935**	**1,39,94,654**	**1,45,80,733**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीएफआई से प्राप्त राशि के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

चित्र 2.15 से यह देखा जा सकता है कि सीएफआई के संवितरण में से लोक ऋण की अदायगी 61.27 *प्रतिशत* थी और कुल व्यय 38.73 *प्रतिशत* था। पिछले पांच वर्षों में सीएफआई से संवितरण के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण अदायगी 69.07 *प्रतिशत* से घटकर 61.27 *प्रतिशत* हो गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय की हिस्सेदारी बढ़ रही थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह मामूली रूप से घटकर 31.78 *प्रतिशत* हो गई, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में 32.20 *प्रतिशत* की मामूली वृद्धि हुई। इसके अलावा, पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4.55 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5.32 *प्रतिशत* हो गई।

चित्र 2.16 महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में सीएफआई से कुल संवितरण में लोक ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान की घटती हिस्सेदारी को दर्शाता है, जो एक सकारात्मक विकास है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान ₹81,58,416 (₹71,99,701+₹9,58,715) करोड़ था और सीएफआई से अन्य संवितरण ₹35,91,799 करोड़ था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान लोक ऋण के अदायगी में से, ₹65,15,418 करोड़ (लोक ऋण के अदायगी की कुल राशि का 90.50 *प्रतिशत*) टी-बिल जो कि एक अल्पकालिक माध्यम है के कारण था।

चित्र 2.16: सीएफआई में लोक ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान का हिस्सा

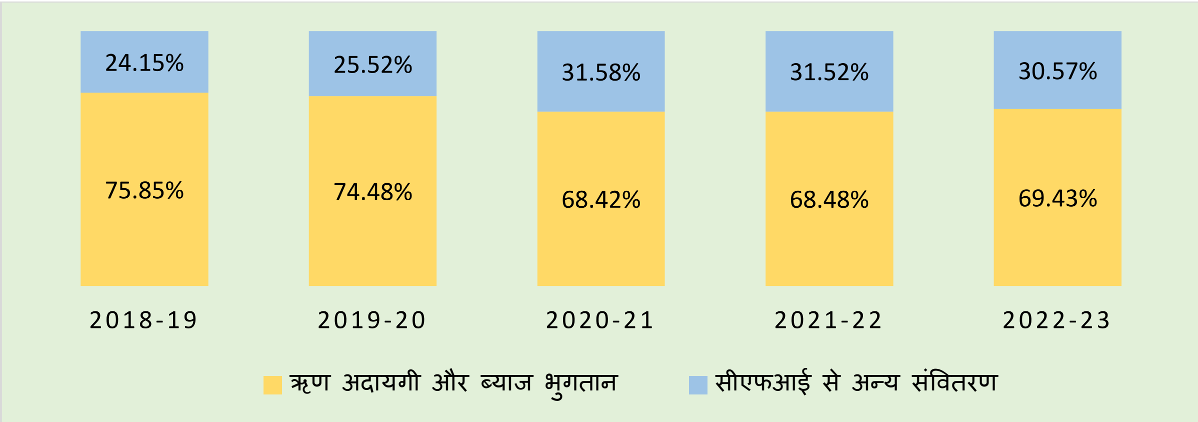

चित्र 2.17 सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चित्र 2.17: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यय

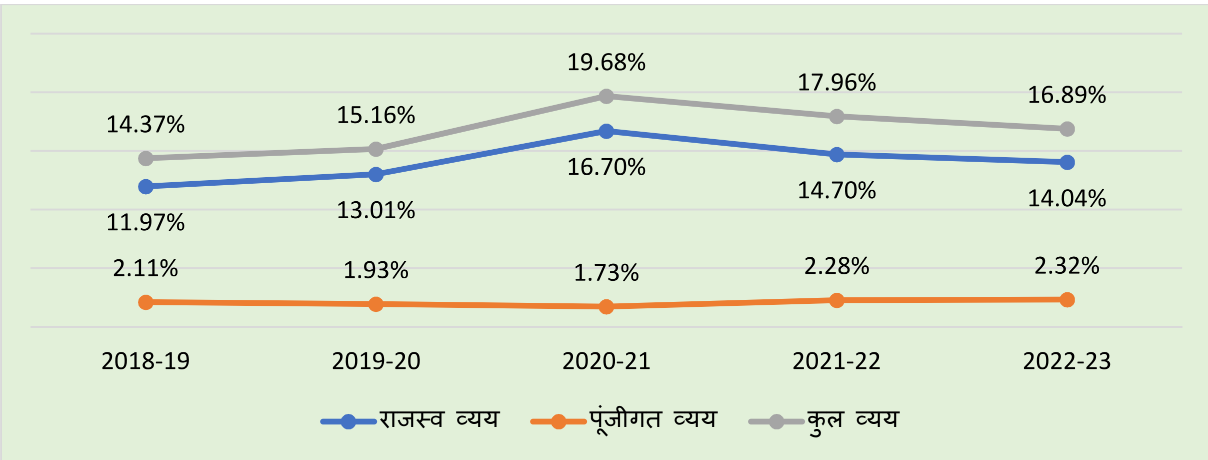

वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी खर्च पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 (कोविड वर्ष) में यह चरम सीमा पर पहुंच गया और उसके बाद लगातार गिरावट आई। पिछले पांच वर्षों में कुल व्यय के उतार-चढ़ाव वाला ग्राफ

राजस्व व्यय के ग्राफ से मेल खाता है जबकि पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 1.73 *प्रतिशत* से 2.32 *प्रतिशत* के बीच सीमित रहा है।

2.6.2 क्षेत्रीय व्यय

चित्र 2.18 क्षेत्रीय व्यय (राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों) का विवरण प्रस्तुत करता है।

चित्र 2.18: संघ सरकार का क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रीय व्यय		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएँ	राजस्व व्यय	11,02,022	12,12,505	12,96,967	14,82,119	16,79,263
	पूंजीगत व्यय	1,13,089	1,24,994	1,42,949	1,54,053	1,61,551
	ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0
	उप योग	**12,15,111**	**13,37,499**	**14,39,916**	**16,36,172**	**18,40,814**
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	**8.82**	**10.07**	**7.66**	**13.63**	**12.51**
	सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में	6.43	6.65	7.25	6.93	6.83
सामाजिक सेवाएं	राजस्व व्यय	1,07,414	1,35,769	1,71,271	2,66,367	2,13,780
	पूंजीगत व्यय	9,823	9,899	7,611	10,099	12,676
	ऋण एवं अग्रिम	11,924	14,449	6,992	18,942	16,654
	उप योग	**1,29,161**	**1,60,117**	**1,85,874**	**2,95,408**	**2,43,110**
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	**6.16**	**23.97**	**16.09**	**58.93**	**-17.70**
	सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में	0.68	0.80	0.94	1.25	0.90
आर्थिक सेवाएँ	राजस्व व्यय	6,69,423	7,36,314	12,61,988	10,97,901	12,32,621
	पूंजीगत व्यय	2,76,611	2,52,851	1,92,388	3,73,988	4,50,530
	ऋण एवं अग्रिम	18,132	4,839	93,364	16,381	15,155
	उप योग	**9,64,166**	**9,94,004**	**15,47,740**	**14,88,270**	**16,98,306**
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	**6.08**	**3.09**	**55.71**	**-3.84**	**14.11**
	सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में	5.10	4.94	7.80	6.31	6.30
सहायता अनुदान और अंशदान	राजस्व व्यय	3,82,712	5,30,731	5,84,627	6,21,802	6,58,035
	उप योग	**3,82,712**	**5,30,731**	**5,84,627**	**6,21,802**	**6,58,035**
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	**0.31**	**38.68**	**10.16**	**6.36**	**5.83**
	सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में	2.02	2.64	2.94	2.64	2.44
कुल योग		**26,91,150**	**30,22,351**	**37,58,157**	**40,41,652**	**44,40,265**
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)		**6.42**	**12.31**	**24.35**	**7.54**	**9.86**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूजीएफए।

नोट: क्षेत्रीय वर्गीकरण में विदेशी सरकारों (₹704 करोड़), राज्य सरकारों (₹1,09,386 करोड़) और सरकारी कर्मचारियों (₹160 करोड़) को दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 14.11 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, लेकिन सामाजिक क्षेत्र के व्यय में 17.70 *प्रतिशत* की गिरावट से इसकी भरपाई हो गई,

जिसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में राजस्व व्यय में कमी थी। आर्थिक क्षेत्र के व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के कारण थी।

2.6.3 राजस्व व्यय का विश्लेषण

सरकार, सरकारी विभागों के सामान्य दैनिक कामकाज, विभिन्न सेवाओं, वेतन, अपने द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान, पेंशन, सब्सिडी आदि के लिए राजस्व व्यय करती है। संघ सरकार के लिए राज्य सरकारों और अन्य को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं क्योंकि परिसंपत्तियां इनके स्वामित्व में नहीं होती हैं। संघ सरकार द्वारा राजस्व व्यय से उसकी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है।

सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में चुनाव, लेखापरीक्षा, करों का संग्रह, सीमा शुल्क, ब्याज भुगतान और ऋण की सेवा, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, विदेशी मामले, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, कैंटीन स्टोर विभाग, रक्षा सेवाएं आदि पर व्यय शामिल हैं।

सामान्य सेवाओं के अंतर्गत, राजकोषीय सेवाओं पर व्यय ₹21,670 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹68,064 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹46,394 करोड़) कम हुआ, जो मुख्य रूप से सीमा शुल्क (एमएच: 2037) पर प्रोत्साहन पर व्यय में ₹23,348 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹54,452 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹31,104 करोड़) की कमी के कारण हुआ।

सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में शिक्षा, खेल, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, सूचना और प्रसारण, श्रम, रोजगार और कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत आदि पर व्यय शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक सेवा क्षेत्र के तहत राजस्व व्यय में कमी देखी गई, जबकि प्रतिबद्ध व्यय में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 15.17 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई। सामाजिक सेवाओं के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय में ₹32,152 करोड़ की कमी आई (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹70,236 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹38,084 करोड़); जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास पर व्यय ₹18,631 करोड़ घट गया (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹94,825 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹76,194 करोड़) और श्रम और श्रमिक कल्याण (एमएच: 2230) पर व्यय ₹10,069 करोड़

घट गया (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹25,550 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹15,481 करोड़)।

आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में कृषि, पशुपालन, वानिकी और वन्य जीवन, खाद्य, भंडारण और गोदाम, कृषि वित्तीय संस्थान, ग्रामीण रोजगार, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, बिजली, पेट्रोलियम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, उद्योग और खनिज, परिवहन, संचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, पर्यटन, विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन आदि पर व्यय शामिल हैं।

आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत, कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर व्यय ₹7,691 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹4,76,659 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹4,68,968 करोड़) घट गया, जो मुख्य रूप से खाद्य, भंडारण और गोदाम (एमएच: 2408) पर व्यय में ₹28,188 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹3,02,620 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹2,74,432 करोड़) की कमी के कारण हुआ।

राजस्व मदों में से ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन भुगतान प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा हैं।

चित्र 2.19: राजस्व व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	राजस्व व्यय	वेतन#	ब्याज भुगतान	पेंशन**	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों को अनुदान	अन्य ##
2018-19	22,61,571	2,18,022 *(9.64)*	5,95,552 *(26.33)*	1,60,212 *(7.08)*	3,75,997 *(16.63)*	9,11,788 *(40.32)*
2019-20	26,15,320	2,27,627 *(8.70)*	6,55,371 *(25.06)*	1,83,955 *(7.03)*	5,22,911 *(20.00)*	10,25,456 *(39.21)*
2020-21	33,14,852	3,33,816 *(10.07)*	7,20,984 *(21.75)*	2,08,473 *(6.29)*	5,76,881 *(17.40)*	14,74,698 *(44.49)*
2021-22	34,68,189	2,48,520 *(7.17)*	8,28,253 *(23.88)*	1,98,946 *(5.74)*	6,16,141 *(17.76)*	15,76,329 *(45.45)*
2022-23	37,83,698	2,68,901 *(7.11)*	9,58,715 *(25.34)*	2,41,599 *(6.39)*	6,51,648 *(17.22)*	16,62,835 *(43.94)*

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं।

*स्रोत: #वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय प्रोफ़ाइल का विवरण 22; ** इसमें एमएच-2071 के तहत सिविल और रक्षा पेंशन शामिल है और डाक और रेलवे पेंशन शामिल नहीं है, ## अन्य में रक्षा, रेलवे, विविध सामान्य सेवाएं आदि पर व्यय शामिल हैं।*

राजस्व व्यय श्रेणी के अंतर्गत ब्याज भुगतान सबसे बड़ा आकर्षण है, जो पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व व्यय का औसतन 24.47 *प्रतिशत* रहा है। इसके बाद वेतन और पेंशन का स्थान आता है। अन्य श्रेणी के अंतर्गत राजस्व व्यय में रेलवे और रक्षा का बड़ा हिस्सा शामिल है।

2.6.3.1 ब्याज भुगतान

चित्र 2.20: राजस्व व्यय और प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

अवधि	ब्याज भुगतान (आईपी)	राजस्व प्राप्ति (आरआर)	राजस्व व्यय (आरई)	कुल व्यय (टीई)	आईपी में वृद्धि	आरआर में आईपी का हिस्सा	आईपी का आरई में हिस्सा	टीई में आईपी का हिस्सा
	(₹ करोड़ में)				*(प्रतिशत में)*			
2018-19	5,95,552	18,06,462	22,61,571	27,15,761	*9.54*	*32.97*	*26.33*	*21.93*
2019-20	6,55,371	19,48,083	26,15,320	30,48,205	*10.04*	*33.64*	*25.06*	*21.50*
2020-21	7,20,984	18,64,513	33,14,852	39,07,647	*10.01*	*38.67*	*21.75*	*18.45*
2021-22	8,28,253	24,36,421	34,68,189	42,38,534	*14.88*	*33.99*	*23.88*	*19.54*
2022-23	9,58,715	27,13,267	37,83,698	45,50,514	*15.75*	*35.33*	*25.34*	*21.07*

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ब्याज भुगतान में अन्य बातों के साथ-साथ आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹8,84,099 करोड़, 92.22 *प्रतिशत*), लघु बचत और भविष्य निधि आदि पर ब्याज (₹47,039 करोड़), बाह्य ऋण पर ब्याज भुगतान (₹12,667 करोड़), आरक्षित निधि पर ब्याज (₹929 करोड़), अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹12,955 करोड़) और ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग (₹1,026 करोड़) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आंतरिक ऋण पर ब्याज 17.54 *प्रतिशत* बढ़ा (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹7,52,200 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹8,84,099 करोड़), बाहरी ऋण पर ब्याज वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹7,053 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹12,667 करोड़ हो गया; आरक्षित निधि पर ब्याज वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹546 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹929 करोड़ हो गया।

2.6.3.2 पेंशन भुगतान

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर किया गया कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹2,61,442 करोड़ से 17.69 *प्रतिशत* बढ़कर ₹3,07,704 करोड़ हो

गया, जैसा कि चित्र 2.21 में दिखाया गया है। रक्षा पेंशन में वृद्धि की प्रतिशतता समग्र पेंशन व्यय में वृद्धि की प्रतिशतता से अधिक है।

चित्र 2.21: पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

अवधि	रक्षा	नागरिक	रेलवे	डाक	कुल
2018-19	1,01,775 *(47.20)*	58,437 *(27.10)*	46,718 *(21.66)*	8,706 *(4.04)*	2,15,636
2019-20	1,17,810 *(48.57)*	66,144 *(27.27)*	49,188 *(20.28)*	9,419 *(3.88)*	2,42,561
2020-21	1,28,066 *(48.02)*	80,407 *(30.15)*	48,435 *(18.16)*	9,760 *(3.66)*	2,66,668
2021-22	1,16,800 *(44.68)*	82,146 *(31.42)*	51,935 *(19.86)*	10,561 *(4.04)*	2,61,442
2022-23	1,53,407 *(49.85)*	88,192 *(28.66)*	55,034 *(17.89)*	11,071 *(3.60)*	3,07,704

स्रोत: सिविल और रक्षा पेंशन के लिए आंकड़े वित्त लेखों (मुख्य शीर्ष 2071) से हैं। रेलवे और डाक के लिए आंकड़े उनके विनियोग लेखों से हैं।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर कुल व्यय का अनुपात दर्शाते हैं।

2.6.3.3 सब्सिडी

2022-23 के दौरान सब्सिडी राजस्व व्यय का 15.06 *प्रतिशत* रही, जो कोविड वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21) को छोड़कर पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है और सकल घरेलू उत्पाद का 2.11 *प्रतिशत* है। **चित्र 2.22** में सरकार द्वारा बजट के माध्यम से प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 2.22: संघ सरकार के बजट में सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

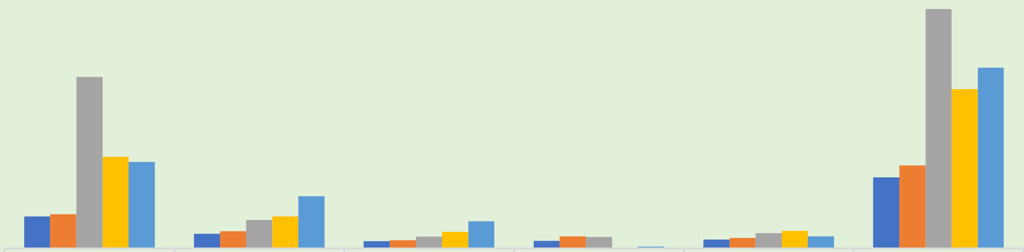

	खाद्य	उर्वरक* (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित)	पेट्रोलियम सब्सिडी	अन्य**	कुल सब्सिडी
2018-19	1,01,327	46,514	24,090	24,837	28,210	2,24,978
2019-20	1,08,688	54,755	26,369	38,529	33,963	2,62,304
2020-21	5,41,330	90,549	37,372	36,755	48,930	7,54,936
2021-22	2,88,969	1,00,988	52,770	3,421	56,078	5,02,226
2022-23	2,72,802	1,65,217	86,122	6,817	38,957	5,69,915

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23

**स्वदेशी और आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी जाने वाली सब्सिडी को दर्शाता है।*

 # विनियंत्रित उर्वरकों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को दर्शाता है। 01 अप्रैल 2010 से यह पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है।

***अन्य में ब्याज सब्सिडी जैसे संशोधित ब्याज अनुदान योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)-I, ब्याज समानीकरण योजना, आदि और अन्य सब्सिडी जैसे कृषि मंत्रालय में बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस), मूल्य समर्थन योजना के तहत कपास निगम द्वारा कपास की खरीद, आदि शामिल हैं।*

इस शीर्ष में होने वाले व्यय का बड़ा हिस्सा खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर खर्च होता है। खाद्य सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2020-21 (कोविड वर्ष) में चरम सीमा पर थी और उसके बाद कम होती गई। उर्वरक सब्सिडी में भी निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है, जबकि पेट्रोलियम सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भारी कमी आई है। अब यह केवल एलपीजी के लिए है।

2.6.3.4 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

चित्र 2.23: विधानमंडल वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

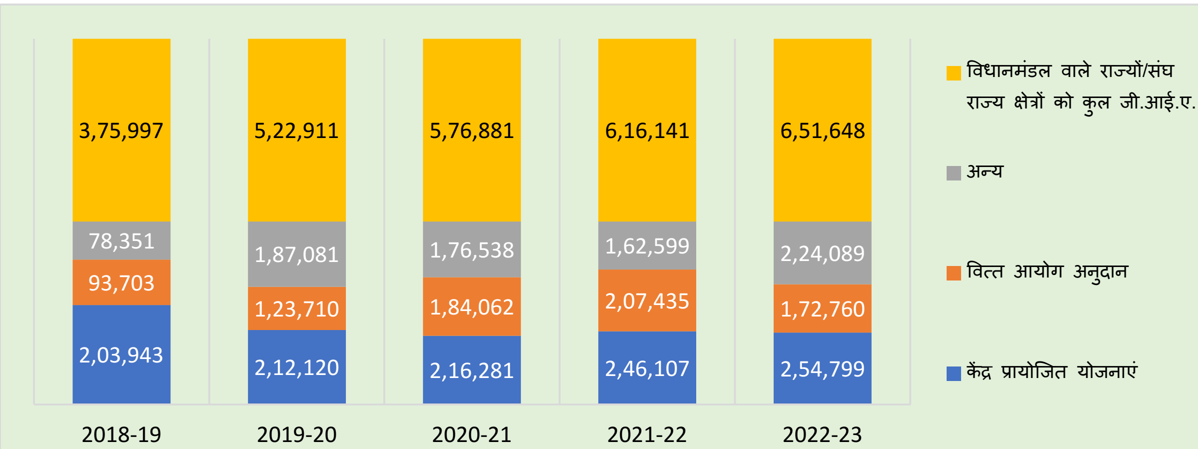

अवधि	राज्यों को सहायता अनुदान				विधानमंडल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान		
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं[6]	वित्त आयोग अनुदान	अन्य	राज्यों को कुल सहायता अनुदान	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	अन्य	केन्द्र शासित प्रदेशों को कुल सहायता अनुदान
2018-19	2,03,151	93,703	71,318	**3,68,172**	792	7,033	**7,825**
2019-20	2,08,543	1,23,710	1,62,722	**4,94,975**	3,577	24,359	**27,936**
2020-21	2,08,395	1,84,062	1,33,757	**5,26,214**	7,886	42,781	**50,667**
2021-22	2,40,383	2,07,435	1,17,195	**5,65,013**	5,724	45,404	**51,128**
2022-23	2,47,748	1,72,760	1,59,735	**5,80,243**	7,051	64,354	**71,405**

चित्र 2.23 से देखा जा सकता है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹2,03,943 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹2,54,799 करोड़ हो गया (24.94 *प्रतिशत* की वृद्धि)।

वित्त आयोग कुछ अनुदानों की सिफारिश करता है जो राज्यों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं, जैसे स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण) के लिए अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान, एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए और हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान के लिये सहायता अनुदान।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में एफसी अनुदान की मात्रा ₹93,703 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹1,72,760 करोड़ हो गई, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में इसमें 16.72 *प्रतिशत* की कमी आई, जिसका मुख्य कारण हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान में कमी है, जिसे बाद के वर्षों में कम किया जाना निर्धारित किया गया था। राज्यों के लिए कुल सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹3,68,172 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹5,80,243 करोड़ हो गया। इसी अवधि के दौरान विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹7,825 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹71,405 करोड़ हो गया।

[6] आंकड़े यूजीएफए के मुख्य शीर्ष: 3601/3602, उप-मुख्य शीर्ष: 06 से लिए गए हैं।

2.7 पूंजीगत व्यय

सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में रक्षा सेवाओं, पुलिस, लोक निर्माण, सीमा शुल्क, प्रशासनिक सेवाओं, चुनाव आदि पर पूंजीगत परिव्यय शामिल है।

सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में शिक्षा, खेल, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, सूचना और प्रसारण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, प्राकृतिक आपदाएं आदि पर पूंजीगत परिव्यय शामिल है।

आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और वन्य जीवन, खाद्य, भंडारण और गोदाम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, बिजली, पेट्रोलियम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण और लघु उद्योग, उद्योग और खनिज, परिवहन, संचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, पर्यटन, विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन, सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश आदि पर पूंजीगत परिव्यय शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संघ सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) ₹6,24,757 करोड़ था। **चित्र 2.24** पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चित्र 2.24: पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएं	**1,13,089**	**1,24,994**	**1,42,949**	**1,54,053**	**1,61,551**
रक्षा सेवाएं	95,231	1,11,092	1,34,305	1,37,987	1,42,940
अन्य	17,858	13,902	8,644	16,066	18,611
सामाजिक सेवाएं	**9,823**	**9,899**	**7,611**	**10,099**	**12,676**
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	3,795	4,688	3,059	6,078	8,608
अन्य	6,028	5,211	4,552	4,021	4,068
आर्थिक सेवाएं	**2,76,611**	**2,52,851**	**1,92,389**	**3,73,988**	**4,50,530**
परिवहन	1,27,281	1,39,481	1,22,734	2,97,767	3,71,258
सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,23,845	81,116	46,837	40,937	1,272
अन्य	25,485	32,254	22,818	35,284	78,000
कुल	**3,99,523**	**3,87,744**	**3,42,949**	**5,38,140**	**6,24,757**

हमने देखा कि पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में 16.10 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.28 *प्रतिशत* से थोड़ा बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.32 *प्रतिशत* हो गया। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में, पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14.71 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13.73 *प्रतिशत* हो गया।

परिवहन और रक्षा सेवाएँ पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय के दो प्रमुख चालक रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिवहन क्षेत्र (आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत) में भारी पूंजीगत व्यय हुआ, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 191.68 *प्रतिशत* की उछाल दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था में प्रमुख विकास गुणक के रूप में बुनियादी ढाँचा क्षेत्र पर सरकार के झुकाव को दर्शाता है।

आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत, सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ₹39,665 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹40,937 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹1,272 करोड़) घट गया, जो कि मुख्य रूप से सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों (एमएच: 5465) में निवेश में ₹29,999 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹33,488 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹3,489 करोड़) की कमी के कारण हुआ, यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों (एचओए : 5465.01.190) में ₹29,627 करोड़ पूंजी के कम प्रवाह के कारण (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹32,728 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹3,101 करोड़) था।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर पूंजीगत परिव्यय में ₹5,265 करोड़ की कमी आई (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹8,703 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹3,438 करोड़) जो मुख्य रूप से कृषि वित्तीय संस्थानों (आरक्षित निधि में अंतरण) (एमएच: 4416) में निवेश में ₹4,723 करोड़ की कमी (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹6,084 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹1,361 करोड़) के कारण हुआ। यह एक बार फिर मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों (एचओए: 4416.190) में ₹6,084 करोड़ के कम निवेश (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹6,084 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में शून्य निवेश) आदि के कारण था।

2.8 संघ सरकार की देनदारियाँ

यूजीएफए की विवरण संख्या 2 संघ सरकार की ऋण स्थिति का सारांश प्रदान करती है। **चित्र 2.25** यूजीएफए में दर्शाई गई संघ सरकार की बकाया देनदारियों पर चर्चा करता है।

चित्र 2.25: संघ सरकार की बकाया देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

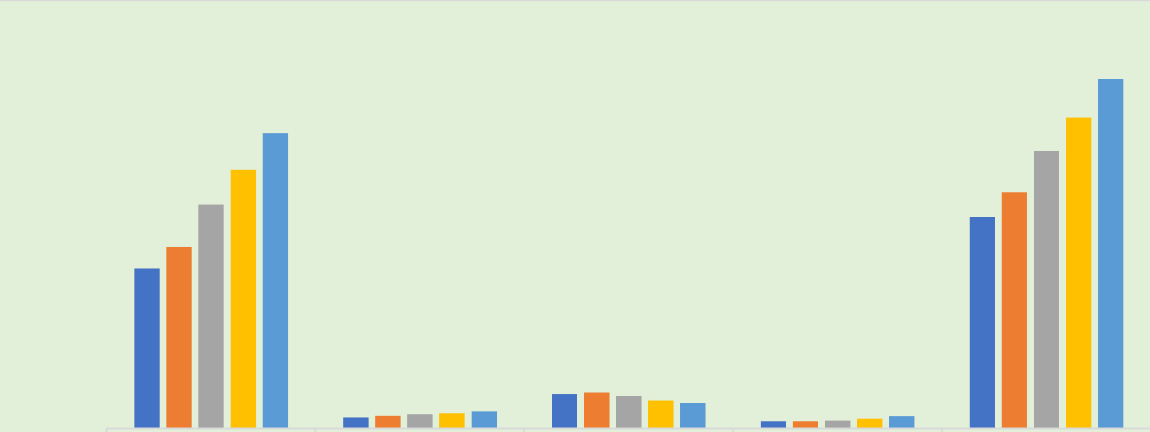

	आंतरिक ऋण	मार्च के अंत में वर्तमान मूल्यों पर बाह्य ऋण	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	आरक्षित निधि और जमा	संघ सरकार की देयताएं (यूजीएफए के अनुसार)
2018-19	70,74,941	4,74,439	15,09,506	3,02,510	93,61,396
2019-20	80,20,490	5,44,394	15,74,289	3,04,444	1,04,43,617
2020-21	99,09,543	6,14,829	14,27,324	3,33,948	1,22,85,644
2021-22	1,14,62,343	6,58,334	12,24,452	4,19,765	1,37,64,894
2022-23	1,30,73,732	7,48,456	11,18,661	5,38,137	1,54,78,986

वित्तीय वर्ष 2018-19 से कुल देनदारियों में लगातार 10 *प्रतिशत* से अधिक की वृद्धि हुई। 2022-23 में, यह मुख्य रूप से लोक ऋण (₹17,01,511 करोड़) में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 12.45 *प्रतिशत* बढ़ा।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, कुल लोक ऋण (आंतरिक ऋण + बाह्य ऋण ऐतिहासिक दर पर) की प्रतिशतता के रूप में आंतरिक ऋण 96.23 *प्रतिशत* और 96.40 *प्रतिशत* के बीच रहा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यह 96.36 *प्रतिशत* था।

यूजीएफए का विवरण 14 आंतरिक और बाह्य ऋण की विस्तृत स्थिति बताता है जो मिलकर संघ सरकार के लोक ऋण का गठन करते हैं और सीएफआई में सुरक्षित होते हैं। आंतरिक ऋण में मुख्य रूप से बाजार ऋण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, ट्रेजरी बिल और एनएसएसएफ, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और बहुपक्षीय निकायों से प्राप्त ऋणों का दर्शाता है।

2.8.1 लोक लेखा देयताएं

संघ सरकार की लोक लेखा देनदारियाँ उधारकर्ता के बजाय बैंकर या ट्रस्टी की हैसियत से होती हैं। इनमें लघु बचत (भविष्य निधि, बीमा निधि), आरक्षित निधि और जमा शामिल हैं। ये सभी देनदारियाँ या तो उनके अदायगी के संदर्भ में या विशिष्ट व्यय करने के लिए सरकार की बाध्यताएँ हैं। इन लेन-देनों का सारांश यूजीएफए के विवरण 13, 14 और 16 में दिया गया है।

चित्र 2.26 में दिखाया गया है, 31 मार्च 2023 तक संघ सरकार की कुल लोक लेखा देनदारियाँ ₹16,56,798 करोड़ थीं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लोक लेखा देनदारियों के मुख्य घटक नीचे दिए गए चित्र में दिए गए हैं:

चित्र 2.26: वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक लेखा देनदारियां

(₹ करोड़ में)

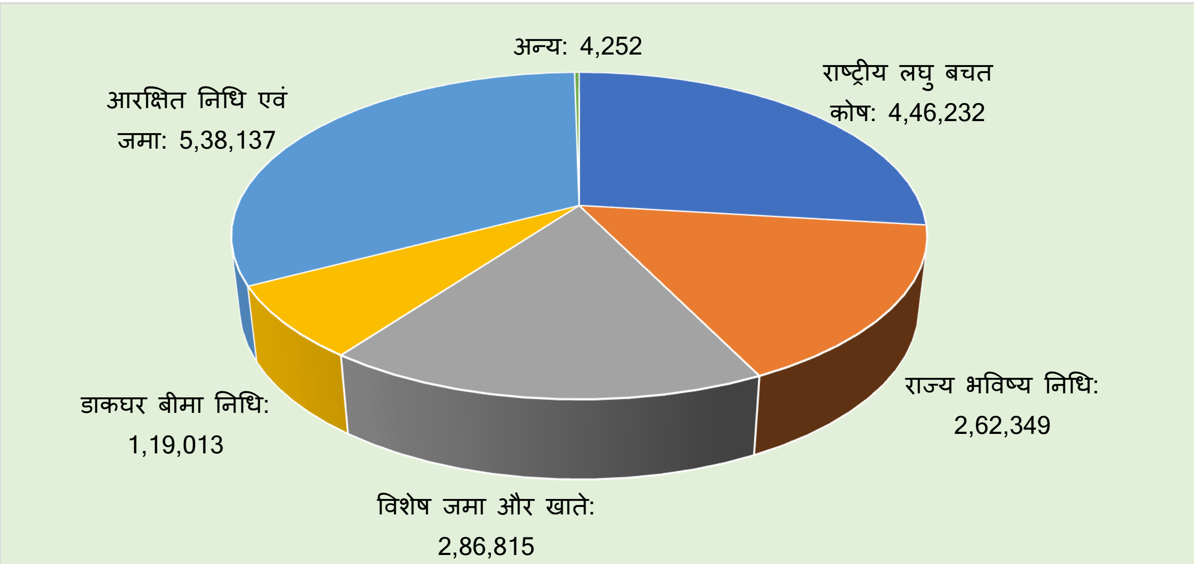

2.8.1.1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि

राष्ट्रीय लघु बचत निधि[7] (एनएसएसएफ) में डाकघर बचत लेखा, डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि लेखा, डाकघर प्रमाण पत्र जैसे बचत प्रमाणपत्र और सार्वजनिक भविष्य निधि जैसी बचत जमाएं शामिल हैं।

---

[7] राष्ट्रीय लघु बचत निधि (अभिरक्षा एवं निवेश) नियम, 2001 के अंतर्गत गठित इस निधि में निम्नलिखित प्रमुख शीर्ष शामिल हैं: प्रमुख शीर्ष: 8001 - बचत जमा; प्रमुख शीर्ष: 8002 - बचत प्रमाणपत्र; प्रमुख शीर्ष: 8006 - लोक भविष्य निधि; प्रमुख शीर्ष: 8007 - राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश; तथा प्रमुख शीर्ष: 8008 - राष्ट्रीय लघु बचत निधि की आय और व्यय।

एनएसएसएफ की कुल देनदारी वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹24,20,643 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹27,26,012 करोड़ हो गई। निवल संग्रह को केंद्र और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2023 तक, एनएसएसएफ के पास ₹7,612 करोड़ का ऋणात्मक (डेबिट) शेष था, जिसमें भुगतान/निवेश निवल संग्रह से अधिक था।

2.8.2 आरक्षित निधि

संविधान के अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा को उन निधियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत सरकार की ओर से प्राप्त की जाती हैं। सरकार द्वारा आरक्षित निधियों में रखा गया धन लोक लेखा का हिस्सा होते है और सड़क विकास, भविष्य निधि, प्राथमिक शिक्षा आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय समर्पित आरक्षित निधियों के माध्यम से किया जाता है। ये निधियाँ सरकार की नहीं होती हैं और इन्हें अंततः उन लोगों को वापस करना होता है जिन्होंने इन्हें जमा किया था या जो इससे संबंधित देनदारी है। ऐसे भुगतानों के लिए संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, जब संसद की स्वीकृति से संचित निधि से धन निकाला जाता है और किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यय के लिए लोक लेखा में रखा जाता है, तो इसे संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

संघ सरकार के लोक लेखा में आरक्षित निधियों को ब्याज देने वाली और ब्याज न देने वाली श्रेणी में रखा गया है। लोक लेखा में 56 आरक्षित निधियों में से 19 ब्याज देने वाली और 37 ब्याज न देने वाली हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ब्याज देने वाली आरक्षित निधियों पर ₹929 करोड़ का ब्याज चुकाया गया। वर्ष के दौरान 56 आरक्षित निधियों में से आठ का संचालन नहीं किया गया था। यूजीएफए में, आरक्षित निधियाँ उपकर, उगाही और शुल्क के संग्रह और उपयोग के लेखांकन के लिए मौजूद हैं, जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आरक्षित निधि से प्राप्तियों और संवितरणों की प्रवृत्ति इस प्रकार है:

चित्र 2.27: आरक्षित निधि से किए गए व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

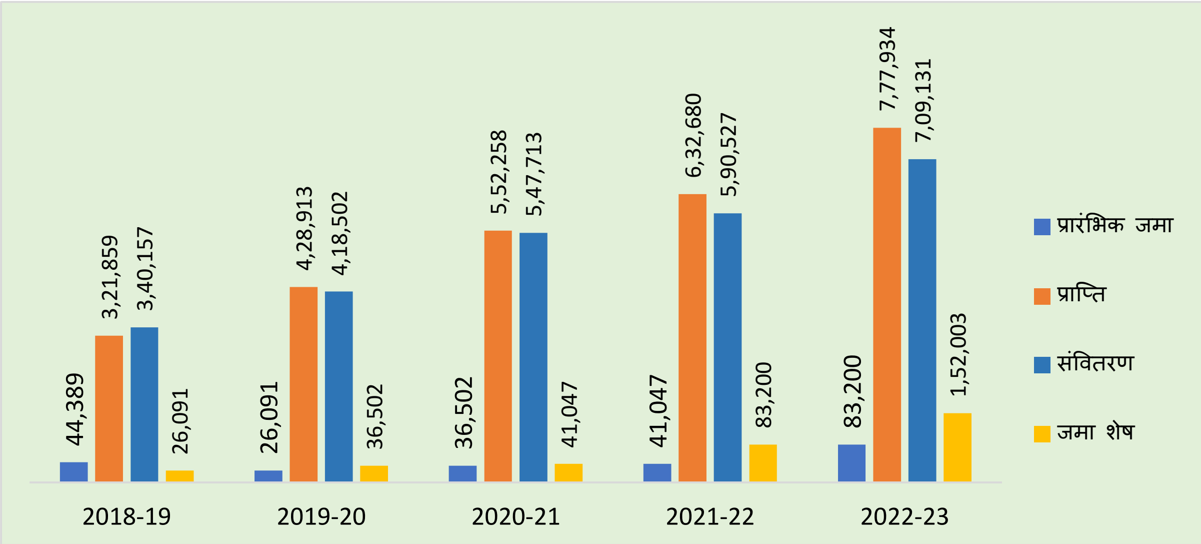

चित्र 2.27 से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान आरक्षित निधि से प्राप्तियां और संवितरण क्रमशः 2.42 गुना और 2.08 गुना बढ़ गए।

2.8.3 आंतरिक ऋण

चित्र 2.28 में आंतरिक ऋण के घटकों को दर्शाया गया है, अर्थात बाजार ऋण, राजकोषीय बिल, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति और संबंधित वित्तीय वर्षों के अंत में अन्य बांड।

चित्र 2.28: आंतरिक ऋण - संरचना और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

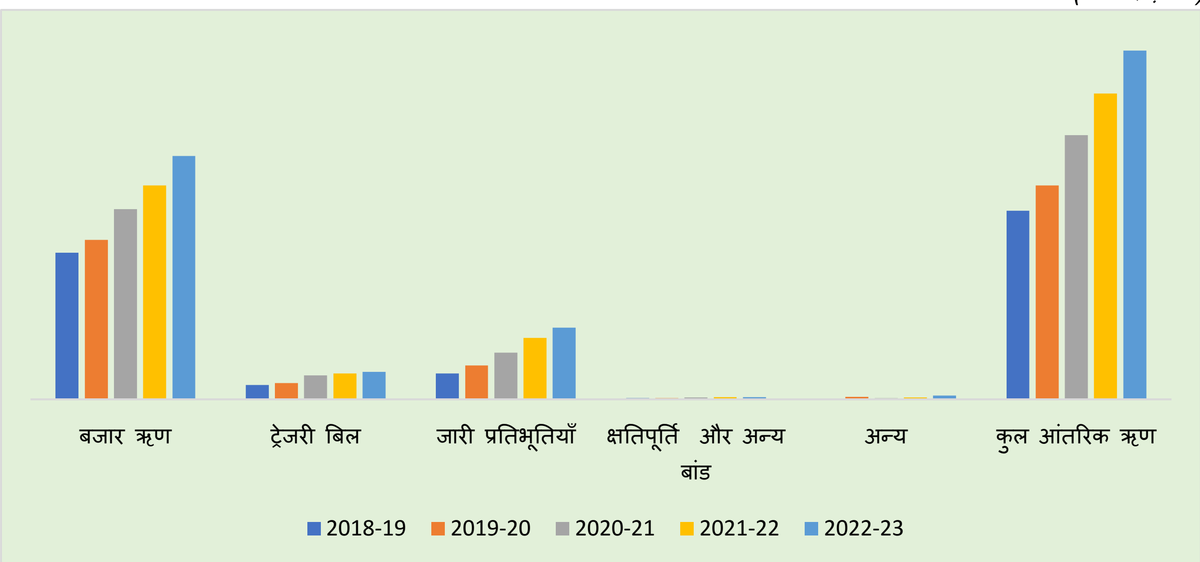

अवधि	बाजार ऋण	ट्रेजरी बिल	जारी प्रतिभूतियाँ	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	अन्य	कुल आंतरिक ऋण
2018-19	55,00,141	5,43,218	9,74,524	46,868	10,190	70,74,941
	77.74	*7.68*	*13.78*	*0.66*	*0.14*	
2019-20	59,86,127	6,13,321	12,73,757	53,226	94,059	80,20,490
	74.64	*7.65*	*15.88*	*0.66*	*1.17*	
2020-21	71,35,144	8,96,526	17,50,819	72,906	54,148	99,09,543
	72.00	*9.05*	*17.67*	*0.74*	*0.54*	
2021-22	80,26,725	9,73,964	23,07,666	85,643	68,345	1,14,62,343
	70.03	*8.50*	*20.13*	*0.75*	*0.59*	
2022-23	91,25,233	10,37,297	26,90,149	80,815	1,40,238	1,30,73,732
	69.80	*7.93*	*20.58*	*0.62*	*1.07*	

नोट: 'जारी प्रतिभूतियाँ' में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय लघु बचत कोष, डाक जीवन बीमा, विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। 'क्षतिपूर्ति और अन्य बांड' में 10 प्रतिशत राहत बांड भी शामिल हैं। 'अन्य' में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सॉवरेन गोल्ड बांड आदि शामिल हैं।

बाजार ऋण की प्रवृत्ति

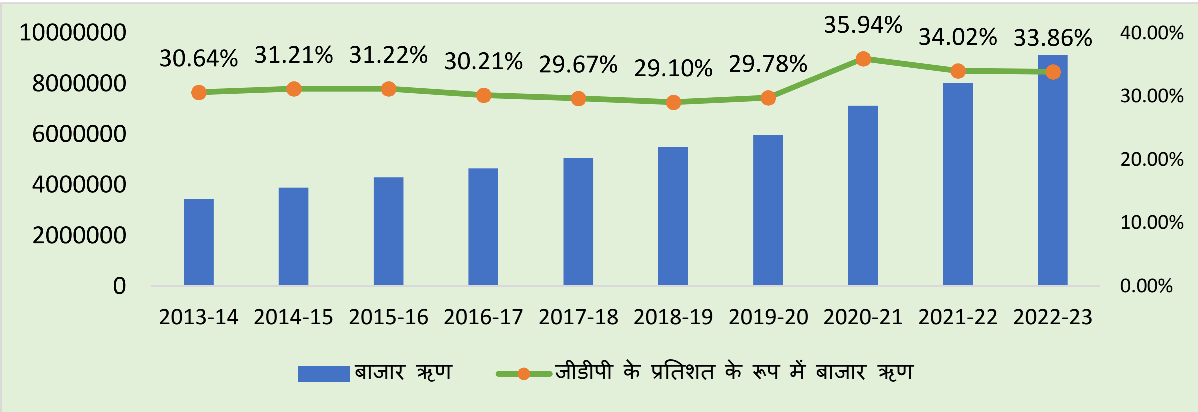

वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में संघ सरकार का कुल आंतरिक ऋण 14.06 *प्रतिशत* बढ़ा है। जैसा कि **चित्र 2.28** से देखा जा सकता है, बाजार ऋण प्राथमिक घटक थे, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में आंतरिक ऋण का 69.80 *प्रतिशत* था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इसका क्षतिपूर्ति अनुपात सुसंगत रूप से 77.74 से घटकर 69.80 *प्रतिशत* हो गया। कोष बिल और मुआवजा तथा अन्य बॉन्ड ऐसे घटक थे जिनमें वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्तमान वर्ष में आंतरिक ऋण के अनुपात में कमी देखी गई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, बाजार ऋण, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 29-31 *प्रतिशत* के आसपास था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 35.94 *प्रतिशत* हो गया और फिर वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 34.02 *प्रतिशत* हो गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बाजार ऋण जीडीपी के 33.86 *प्रतिशत* थे।

31 दिसंबर 2029 तक मोचन के लिए देय बाजार ऋण की राशि ₹34,62,146 करोड़ (बकाया बाजार ऋण का 37.94 *प्रतिशत*) है, जैसा कि चित्र 2.29 में दिखाया गया है।

चित्र 2.29: बाजार ऋणों की समयावधि की पूर्णता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

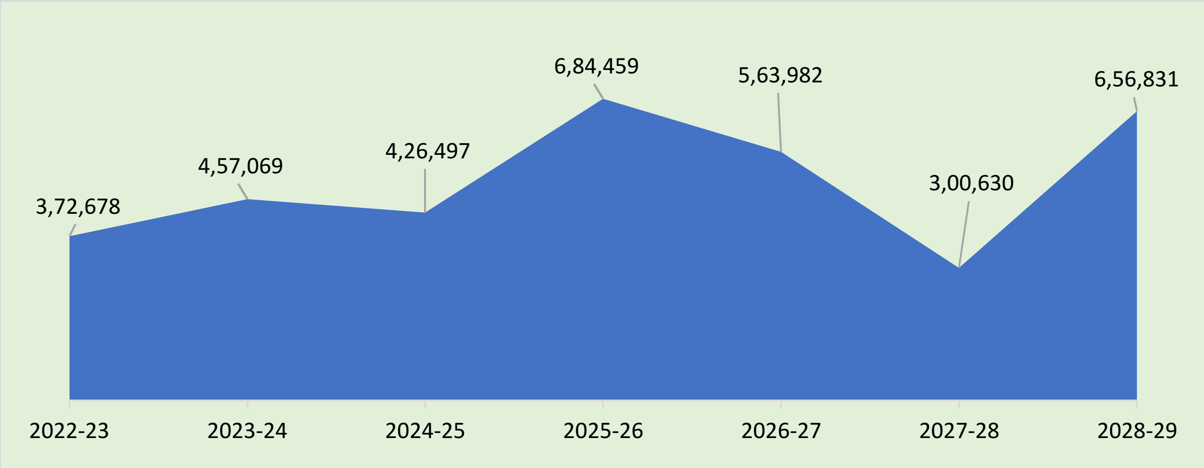

वर्ष 2023 में, सबसे लंबी पूर्ण समयावधि के लिए अनुबंधित दिनांकित प्रतिभूतियों की समयावधि 40 वर्षों की थी। हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण राशि, (दिसंबर 2029 तक मोचन के लिए देय राशि का 19.77 *प्रतिशत*) जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समयावधि में पूर्ण होगी, के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन की आवश्यकता होगी।

वित्त मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2024) में कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अदायगी के लिए देय बाजार ऋणों में से, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बदले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹55,104 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण भी शामिल हैं, जिसके लिए सरकार के पास जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से अतिरिक्त प्राप्तियां होंगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत सरकार वर्षों के दौरान मोचन दबावों का प्रबंधन करने के लिए स्विच नीलामी का उपयोग करती है।

2.8.4 बाह्य ऋण

चित्र 2.30 ऐतिहासिक विनिमय दरों और वर्तमान विनिमय दरों पर पिछले पांच वर्षों के लिए संघ सरकार के विदेशी ऋण को प्रस्तुत करता है।

चित्र 2.30: बाह्य ऋण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

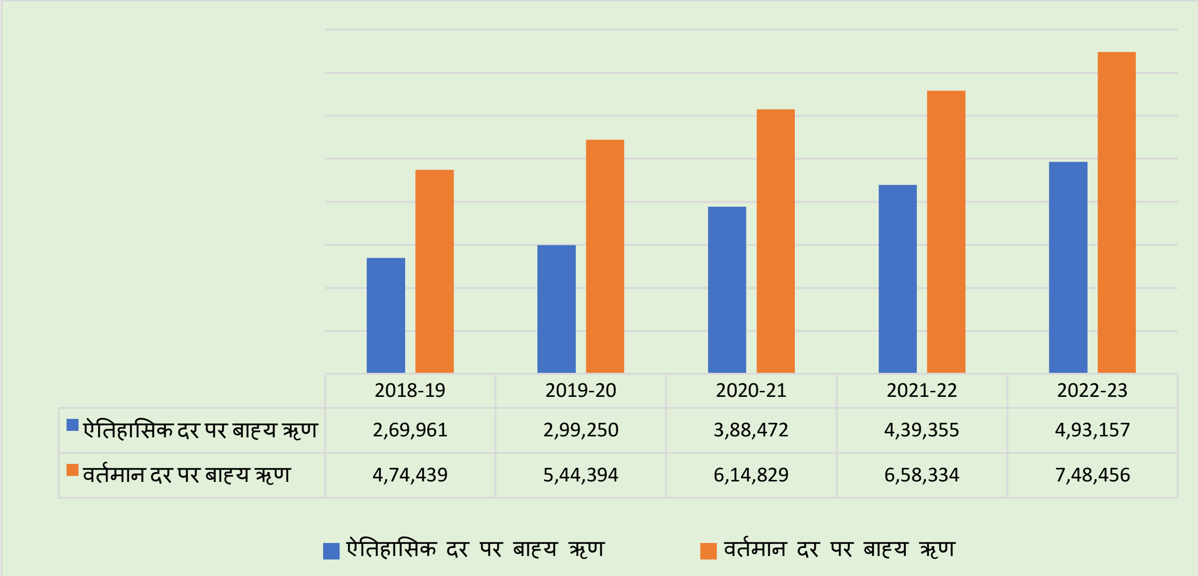

चित्र 2.30 से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऐतिहासिक दर (जब ऋण शुरू में अनुबंधित किया गया था, उस समय की मुद्रा दर) कुल बाह्य ऋण में 12.25 *प्रतिशत* पर और वर्तमान दर पर 13.69 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई (31 मार्च 2023 को इसी मुद्रा पर लागू)। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रमुख बाहरी ऋण में 'जापान सरकार से ₹24,696 करोड़ के ऋण', 'पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ₹22,237 करोड़ के ऋण' और 'एशियाई विकास बैंक से ₹21,983 करोड़ के ऋण' शामिल थे।

चित्र 2.31 पिछले पांच वर्षों के लोक ऋण प्राप्ति एवं अदायगी को दर्शाता है।

चित्र 2.31: लोक ऋण प्राप्तियां और अदायगी

(₹ करोड़ में)

अवधि	आंतरिक ऋण की अदायगी और सेवा		बाह्य ऋण की अदायगी और शोधन		लोक ऋण की कुल अदायगी और शोधन	लोक ऋण की कुल प्राप्ति	कॉलम 6 का कॉलम 7 से *प्रतिशत*
	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	(2+3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2018-19	60,34,206	5,33,265	30,739	8,150	66,06,360	67,58,482	97.75
2019-20	62,92,658	5,78,186	33,891	9,420	69,14,155	73,01,387	94.70
2020-21	61,49,920	6,44,829	34,715	8,204	68,37,668	81,62,910	83.77
2021-22	66,09,686	7,52,200	35,782	7,053	74,04,721	82,49,152	89.76
2022-23	71,59,772	8,84,099	39,929	12,667	80,96,467	88,64,893	91.33

चित्र 2.31 से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लोक ऋण की अदायगी और शोधन, कुल लोक ऋण प्राप्तियों के 83 और 98 *प्रतिशत* के बीच रही। यह दर्शाता है कि लोक ऋण का एक बड़ा हिस्सा पिछले ऋण की अदायगी और शोधन के लिए प्रतिबद्ध है।

2.9 राजकोषीय मापदंड

वर्ष में कुल व्यय (ऋण की अदायगी को छोड़कर) और इसकी कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) के बीच के अंतर को उधार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिसे वर्ष के लिए **राजकोषीय घाटा (एफडी)** कहा जाता है। एफआरबीएम नियम, 2004 के अनुसार, **राजस्व घाटा (आरडी)** का अर्थ राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरडी का अनुमान (आरई) ₹11,10,546 करोड़ था। हालाँकि, वास्तविक आरडी (बीएजी वित्तीय वर्ष 2024-25) 3.66 *प्रतिशत* कम था और यह ₹10,69,926 करोड़ पर स्थित रहा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों के अनुसार, राजस्व घाटा ₹10,70,431 करोड़ (संशोधित अनुमान से 3.61 *प्रतिशत* कम) था। हालांकि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3.75 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई , लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह पिछले वर्ष के 4.37 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.97 *प्रतिशत* हो गया है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (11.36 *प्रतिशत*) पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय की वृद्धि दर (9.10 *प्रतिशत*) से अधिक रही है।

इसके अलावा, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अनुसार, **राजकोषीय घाटे** का अर्थ है भारत की संचित निधि से, ऋण की अदायगी को छोड़कर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान कोष में कुल गैर-ऋण प्राप्तियों पर कुल संवितरण की अधिकता। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एफडी का अनुमान (आरई) ₹17,55,319 करोड़ था। हालांकि, वास्तविक एफडी (बीएजी वित्तीय वर्ष 2024-25) एक *प्रतिशत* कम था और यह ₹17,37,755 करोड़ पर स्थित रहा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों के अनुसार, राजकोषीय घाटा ₹17,54,940 करोड़ (संशोधित अनुमान से 0.02 *प्रतिशत* कम) था। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 से निरपेक्ष संख्या में कम है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि का अभिप्राय यह भी है कि इस वर्ष राजकोषीय घाटे में कटौती की गई है। यह राजकोषीय समेकन के मार्ग को इंगित करता है।

अध्याय

3

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ

अध्याय 3

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ

संघ सरकार के वित्त लेखा (यूजीएफए) में 16 विवरण हैं जो सरकार के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते हैं। यह अध्याय वित्त लेखों में लेखा प्रक्रियाओं, सटीकता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण की पर्याप्तता के अनुपालन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है। आंतरिक नियंत्रण और वर्गीकरण त्रुटियों के मुद्दे भी इस अध्याय में शामिल हैं।

3.1 लेखांकन प्रक्रियाओं का गैर- अनुपालन

3.1.1 आरक्षित निधि

आरक्षित निधियाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लोक लेखा में अलग रखी गई निधियाँ हैं। इन्हें आम तौर पर उपकर या लेवी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसे संग्रह करने पर भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के अनुपालन में विशेष आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाता है।

मौजूदा प्रक्रिया (एलएमएमएचए के निर्देश 3.4) के तहत, स्थानान्तरण, व्यय शीर्षों (राजस्व लेखा) में कार्यात्मक मुख्य/उप मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 797 (आरक्षित निधि/जमा लेखों में स्थानान्तरण) के माध्यम से किया जाता है।

हमें राजस्व लेखा शीर्ष के बजाय पूंजीगत लेखा शीर्ष के माध्यम से व्यय दर्ज करने के तीन उदाहरण मिले, जिसके कारण पूंजीगत व्यय को ₹49,942 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

3.1.1.1 राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मुद्रीकरण

सड़क निर्माण के लिए निधि जुटाने के लिए, सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को चुनिंदा परिचालन राजमार्गों पर टोल के भविष्य के संग्रह का मुद्रीकरण करने के लिए अधिकृत किया। डेवलपर्स सौंपे गए राजमार्गों के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान करेंगे जिसे पूंजीगत प्राप्ति (एमएच:4000) के रूप में माना जाना था और सड़क और पुल निधि (एमएच:8225) में पूरी तरह से स्थानांतरित किया जाना था। लेखा प्रक्रिया के अनुसार, सड़क और पुल निधि में स्थानांतरण राजस्व व्यय शीर्ष एमएच:3054 - सड़क और पुल के माध्यम से किया जाना था।

हमने पाया कि इस लेखा प्रक्रिया के विपरीत, सड़क और पुल निधि में हस्तांतरण राजस्व व्यय शीर्ष (एमएच:3054) के बजाय पूंजीगत व्यय शीर्ष (एमएच:5054) का उपयोग करके किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण पर ₹10,662 करोड़ एकत्र किए, जिनमें से ₹10,000 करोड़ निधि में स्थानांतरित किए गए। इस प्रकार, पूंजीगत व्यय को ₹10,000 करोड़ अधिक बताया गया। वर्ष के दौरान एमएच:5054 से वास्तविक व्यय ₹9,852 करोड़ था।

सीएजी प्रतिवेदन संख्या 21/2023 (पैरा संख्या 3.6.3बी) में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए इसी तरह के पैरा पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि "2016-17 के बजट अनुमान तक सभी निधियां राजस्व शीर्ष 3054.80.797 के माध्यम से लोक लेखा में निधि में स्थानांतरित की जा रही थीं। 2016-17 के संशोधित अनुमान चरण में वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया था कि यदि व्यय राजस्व भाग में किया जाना है तो निधि को राजस्व भाग के माध्यम से और यदि व्यय पूंजीगत भाग में किया जाना है तो पूंजीगत अनुभाग के माध्यम से लोक लेखा में स्थानांतरित किया जा सकता है"।

हालाँकि, अनुमोदित लेखा प्रक्रिया के अनुसार निधि का हस्तांतरण राजस्व शीर्ष 3054 के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

हमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) फंड और सॉवरेन ग्रीन फंड में स्थानांतरण में भी इसी प्रकार के उदाहरण मिले।

3.1.1.2 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (अब डिजिटल भारत निधि)

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के लिए लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, उगाही जिससे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (एमएच:8235) की पूर्ति होती है, उसका हस्तांतरण राजस्व व्यय लेखे (एमएच: 3275) के माध्यम से किया जाना था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, निधि में हस्तांतरण के लिए ₹72,537 करोड़ उपलब्ध थे, जिनमें से ₹53,500 करोड़ दो मुख्य शीर्षों का उपयोग करके हस्तांतरित किए गए: राजस्व व्यय शीर्ष (एमएच 3275) के माध्यम से ₹27,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय शीर्ष (एमएच:5275) के माध्यम से ₹26,500 करोड़। इस प्रकार, पूंजीगत व्यय को ₹26,500 करोड़ अधिक बताया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निधि से वास्तविक व्यय ₹3,500 करोड़ था।

3.1.1.3 सॉवरेन ग्रीन फंड

सॉवरेन ग्रीन फंड के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक लेखा प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, दो मंत्रालयों - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय - ने दो पूंजीगत व्यय लेखों: एमएच:4217 और एमएच:5002 के माध्यम से क्रमशः ₹3,203 करोड़ और ₹10,239 करोड़ आरक्षित निधि में स्थानांतरित किए। इस प्रकार, पूंजीगत व्यय को ₹13,442 करोड़ से अधिक बताया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निधि से वास्तविक व्यय ₹13,720 करोड़ था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2024) में कहा कि पूंजीगत शीर्षों के माध्यम से आरक्षित निधियों में धनराशि स्थानांतरित करने का मूल कारण बजटीय प्रयोजन के अनुरूप है और लेखों में बजट से प्रवाह बना रहना आवश्यक है।

यदि मंत्रालय के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 150 के उद्देश्य को नकार देता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "संघ और राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे, जैसा माननीय राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर निर्धारित करेंगे"। जब तक कोई अलग प्रक्रिया अधिसूचित नहीं की जाती, तब तक स्वीकृत राजस्व शीर्षों के माध्यम से आरक्षित निधियों में धनराशि स्थानांतरित करने की मौजूदा प्रक्रिया समान रूप से लागू रहेगी।

3.1.1.4 प्रतिपूरक वनरोपण (कैम्पा) निधि

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 के अंतर्गत, प्रतिपूरक वनीकरण[8] के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि जमा करने के लिए, भारत और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत एक निधि बनाई गई थी। निधि में लेखांकन प्रतिपूरक वनीकरण निधि (लेखा प्रक्रिया) नियम 2018 द्वारा शासित होना था। निधियों का प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर और प्रत्येक राज्य स्तर पर संबंधित कैम्पा प्राधिकरणों द्वारा किया जाना था।

कैम्पा प्राधिकरणों के गठन तक पहले से एकत्रित राशि के संबंध में, नियमों के अनुसार एकत्रित सभी निधियों को 'राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि' के अंतर्गत भारत के लोक लेखा के ब्याज देने वाले भाग में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से का

[8] प्रतिपूरक वनरोपण का अर्थ है कि जब भी वन भूमि को खनन या उद्योग जैसे गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उपयोगकर्ता एजेंसी गैर-वनीय भूमि के बराबर क्षेत्र में वन लगाने के लिए भुगतान करती है, या जब ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो बंजर वन भूमि के दोगुने क्षेत्र में वन लगाने के लिए भुगतान करती है।

10 *प्रतिशत* एकमुश्त राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित करना था और शेष राशि को राज्य निधि में स्थानांतरित करना था।

राज्य कैम्पा निधि के निर्माण के बाद एकत्रित की गई धनराशि के लिए, हस्तांतरण की एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। संबंधित राज्य कैम्पा प्राधिकरण को जमा राशि एकत्र करनी थी और उसके बाद जमा की गई धनराशि को संबंधित राज्य और केंद्र के बीच 90:10 के अनुपात में संबंधित आरक्षित निधि में वितरित करना था।

हालांकि, हमने पाया कि लेखांकन प्रक्रिया के उल्लंघन में, एकत्रित की गई उगाही की राशि को शुरू में राष्ट्रीय/राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में आगे वितरण के लिए मुख्य शीर्ष- 8336 'सिविल जमा' के तहत भारत के लोक लेखा में स्थानांतरित कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को संवितरण के लिए लंबित एमएच-8336-102-'राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा' के तहत ₹20,082 करोड़ पड़े थे। हमारे प्रश्न के उत्तर में, राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण ने कहा (अक्टूबर 2023) कि राष्ट्रीय कैम्पा (परिवेश पोर्टल के माध्यम से) द्वारा क्षतिपूर्ति उगाही राशि एकत्र करने की मौजूदा पद्धति को व्यापक सार्वजनिक हित को देखते हुए जारी रखा गया था।

36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अक्टूबर 2018 से जुलाई 2021 की अवधि के दौरान कैम्पा फंड की स्थापना की है। तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश- लक्षद्वीप और पुडुचेरी) में एससीएएफ की स्थापना की जानी अभी बाकी है। वित्त लेखों में इन तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रति राष्ट्रीय कैम्पा फंड में रखी गई निधि से संबंधित कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ- एमओईएफएंडसीसी) को राष्ट्रीय कोष से प्राप्तियों और भुगतानों का एक विस्तृत विवरण का रखरखाव करना था और इसका राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ मासिक रूप से मिलान करना था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कोई मिलान नहीं किया गया। हमने पाया कि 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय कैम्पा कोष में दर्शाई गई राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण के आंकड़ों से ₹864.56 करोड़ कम थी, जो लोक लेखा में इस राशि के संभावित कम आंकलन को दर्शाता है।

3.1.2 सहायता अनुदान

भारत सरकार के लेखा मानक-आईजीएएस-2 के अनुसार अनुदानदाताओं को अपने वित्तीय विवरणों[9] में सहायता-अनुदान (जीआईए) व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करना होगा। हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने ₹6.34 करोड़ के सहायता-अनुदान व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया। इससे पूंजीगत व्यय में ₹6.34 करोड़ की अधिकता हुई। विभाग ने हमें आश्वासन दिया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से इन्हें राजस्व लेखे के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

सिफारिश:

हम सिफारिश करते हैं कि जहाँ भी आवश्यक हो, व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) भाग में कार्यात्मक मुख्य/उप मुख्य शीर्ष के अंतर्गत आरक्षित निधि/जमा में अंतरण के लिए लघु शीर्ष खोला जा सकता है। व्यय के राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के बीच वर्गीकरण का सटीक विवरण प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है।

3.2 लेखों की सटीकता

3.2.1 उचंत शीर्ष

क. उचंत शीर्षों में निकासी के लिए शेष राशि

वे प्राप्तियाँ और भुगतान जिन्हें आवश्यक जानकारी/विवरण के अभाव में अंतिम लेखा शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता, उन्हें क्रमशः क्रेडिट और डेबिट के रूप में उचंत शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। अंतिम बुकिंग के लिए आवश्यक विवरण उपलब्ध होने के बाद क्रेडिट और डेबिट को मंजूरी दे दी जाती है। उचंत लेखों में शेष राशि का अर्थ है कि कम से कम लेखा का एक वित्तीय लेखा शीर्ष कम दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में महत्वपूर्ण शेष राशि वाले उचंत शीर्ष और मंत्रालय/विभाग जो कुल उचंत शेष राशि के लिए मुख्य योगदानकर्ता थे, उनका विवरण **अनुलग्नक 3.1** में दिया गया है।

[9] भले ही जीआईए परिसंपत्ति निर्माण के लिए हो, परिसंपत्ति का स्वामित्व अनुदान प्राप्तकर्ता के पास होगा और इसलिए, इसे संघ सरकार के लेखों में पूंजीगत व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ख. उचंत शीर्ष - चेक और बिल

जब सरकार द्वारा चेक जारी किए जाते हैं, तो व्यय को डेबिट किया जाता है और उचंत शीर्ष 'चेक और बिल' को क्रेडिट किया जाता है। बैंक से, बैंक में भुनाए गए चेक पर स्क्रॉल प्राप्त होने पर, इस उचंत शीर्ष को क्लियर कर दिया जाता है। इसलिए, इस उचंत शीर्ष के तहत शेष राशि मुख्य रूप से बिना भुनाए गए चेक के कुल मूल्य को दर्शाती है।

हमने पाया कि मार्च 2023 के अंत तक उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹39,311 करोड़ की निकासी लंबित थी।

लेन-देन की प्रकृति ऐसी है कि इस शीर्ष में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हमने तीन प्रतिकूल (डेबिट) बैलेंस देखे और पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्रतिकूल बैलेंस में ₹462.88 करोड़ की वृद्धि देखी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में चेक और बिल के अंतर्गत शेष राशि का आधे से अधिक हिस्सा डाक चेक (₹24,421 करोड़) से संबंधित था। डाक विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2024) कि अब तक, लेखांकन सॉफ्टवेयर में ₹17,404 करोड़ की गलत बुकिंग के रूप में पहचान की गई है और आश्वासन दिया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उन्हें ठीक कर दिया जाएगा।

महालेखा नियंत्रक ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आश्वासन के बावजूद, बकाया शेष राशि के लिए अवधि-वार विवरण की अनुपस्थिति निपटान में बाधा उत्पन्न करती है क्योंकि प्राथमिकता वाली मदों की पहचान आसानी से नहीं हो पाती।

सीएजी प्रतिवेदन संख्या 21/2023 (पैरा 3.4) में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए इसी तरह के पैरा पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि ये आंकड़े गतिशील प्रकृति के हैं और निर्धारित लेखांकन प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होते हैं। यह आश्वासन दिया गया कि सभी नियंत्रकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे हर साल यूजीएफए के लिए सामग्री की समीक्षा के समय उचंत शीर्ष के तहत बकाया राशि का निपटान करें।

ग. उचंत शीर्ष की नेटिंग

उचंत शीर्ष में क्रेडिट और डेबिट मदों का लेखा-जोखा रखना और लेखों में अलग-अलग दिखाना आवश्यक है ताकि प्रत्येक उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि की सटीक स्थिति मिल सके। हालांकि, वित्त लेखों का विवरण 13 उचंत शीर्ष के अंतर्गत केवल निवल शेष राशि दिखाता है,

इस प्रकार शेष राशि को कम करके दिखाया जाता है। हमने पिछले तीन वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों (प्रमुख शीर्ष-8658) के संबंध में प्रमुख उचंत शीर्ष के अंतर्गत समाशोधित किए जाने वाले वास्तविक उचंत शेष की स्थिति का पता लगाया (**चित्र 3.1)।**

चित्र 3.1: उचंत शेष राशि के नेटिंग का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	**वित्तीय वर्ष 2020-21**		**वित्तीय वर्ष 2021-22**		**वित्तीय वर्ष 2022-23**		**वित्तीय वर्ष 2022-23 में नेटिंग के कारण बकाया उचंत शेष की कम प्रतिशतता**
	डेबिट *(डीआर)*	**क्रेडिट** *(सीआर)*	**डेबिट** *(डीआर)*	**क्रेडिट** *(सीआर)*	**डेबिट** *(डीआर)*	**क्रेडिट** *(सीआर)*	
101 पीएओ उचंत	3,920.62	731.42	4,060.89	807.83	4,484.47	960.63	35.28
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	3,189.20 *(डीआर)*		3,253.06 *(डीआर)*		3,523.84 *(डीआर)*		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	**4,652.04**		**4,868.72**		**5,445.10**		
102 उचंत खाता (सिविल)	1,182.74	1000.24	1,175.46	440.54	1,157.79	520.06	61.99
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	182.50 *(डीआर)*		734.92 *(डीआर)*		637.73 *(डीआर)*		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	**2,182.98**		**1,616.00**		**1,677.85**		
107 नकद निपटान उचंत खाता	683.73	45.69	556.10	34.32	488.14	34.32	13.14
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	638.04 *(डीआर)*		521.78 *(डीआर)*		453.82 *(डीआर)*		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	**729.42**		**590.42**		**522.46**		
108 पीएसबी उचंत	10,397.65	4,309.04	7,886.51	4,461.49	8,587.75	5,122.44	74.72
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	6,088.61 *(डीआर)*		3,425.02 *(डीआर)*		3,465.31 *(डीआर)*		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	**14,706.69**		**12,348.01**		**13,710.19**		
109 रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	12.16	185.07	12.21	185.07	12.03	185.07	12.21
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	172.91 *(सीआर)*		172.86 *(सीआर)*		173.04 *(सीआर)*		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	**197.23**		**197.28**		**197.10**		
110 रिज़र्व बैंक उचंत केंद्रीय लेखा कार्यालय	71.10	4,543.23	70.96	2,327.85	76.13	1,077.78	13.20
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	4,472.13 *(सीआर)*		2,256.89 *(सीआर)*		1,001.65 *(सीआर)*		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	**5,254.25**		**2,398.81**		**1,153.91**		
129 सामग्री क्रय निपटान उचंत खाता	214.08	60.78	214.07	38.22	214.08	38.22	30.30
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	153.30 *(डीआर)*		175.85 *(डीआर)*		175.86 *(डीआर)*		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	**274.86**		**252.29**		**252.30**		

सिफारिश:

हम सिफारिश करते हैं कि वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सभी नियंत्रकों को उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का निपटान करने के लिए नियमित रूप से निर्देश दिए जाएं।

3.2.2 प्रतिकूल शेष

निधि/जमा शीर्षों में प्रतिकूल शेष राशि विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होती है जैसे (क) जब लेन-देन को डेबिट करने के बजाय गलत तरीके से क्रेडिट किया जाता है और इसके विपरीत, (ख) जब डेबिट को एक शीर्ष के तहत और संबंधित क्रेडिट को किसी अन्य शीर्ष के तहत या इसके विपरीत दर्ज किया जाता है, और (ग) जब आरक्षित निधि से बहिर्वाह/वितरण प्राप्तियों/शेष राशि से अधिक होता है। इस प्रकार ये शेष राशि त्रुटियों और वित्तीय नियंत्रण की अनुपस्थिति को दर्शाती है और लेखों की गुणवत्ता और सटीकता को प्रभावित करती है।

क. वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) में, "एमएच -8455.101- भारतीय डाक भुगतान बैंक के साथ निपटान खाते" के अंतर्गत ₹303.82 करोड़ का प्रतिकूल शेष देखा गया। यह ब्याजरहित जमा खाता अपने संचालन के पहले वर्ष (2018-19) से ही ₹31.99 करोड़ के प्रतिकूल शेष के साथ प्रतिकूल हो गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, प्रतिकूल शेष बढ़कर ₹368.45 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹372.51 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, इस शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रतिकूल शेष ₹483.19 करोड़ था, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में घटकर ₹303.82 करोड़ रह गया।

इस मद के अंतर्गत प्रतिकूल शेष राशि का मुद्दा पहले के सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाया गया है। विभाग ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2023) कि नोडल कार्यालय ने रिपोर्ट दी थी कि आईपीपीबी और ई-लेखा बुकिंग में अंतर है। नोडल कार्यालय द्वारा पीएओ-वार और माह-वार मिलान किया जा रहा है और परिणामस्वरूप ₹180 करोड़ का परिनिर्धारण किया गया। जल्द से जल्द सभी प्रतिकूल शेष राशि का परिनिर्धारण करने के लिए नोडल कार्यालय के साथ मामले को सख्ती से आगे बढ़ाया जा रहा है।

ख. वित्त लेखे में 65 प्रतिकूल शेष राशि के मामले शामिल हैं। (विवरण **अनुलग्नक 3.2** में दिया गया है) इनमें से 41 मामले पांच साल से अधिक समय से अनसुलझे थे, जिनमें सबसे पुराना 46 साल पुराना था। लेखांकन त्रुटियां जिनके कारण प्रतिकूल शेष राशि रह जाती है उनकी पहचान करके उनका समाधान किया जाना चाहिए। जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया, तो महालेखा नियंत्रक ने कहा (नवंबर 2023) कि उनके द्वारा प्रतिकूल शेष राशि के परिनिर्धारण के लिए सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

सिफारिश:

हम सिफारिश करते हैं कि जो प्रतिकूल शेष पांच वर्षों से अधिक समय से अनसुलझे पड़े हैं, उनकी समयबद्ध अवधि के भीतर समीक्षा की जाए।

3.2.3 ऋण और अग्रिम

वित्त लेखों के विवरण 15 में संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों के बारे में जानकारी है। 31 मार्च 2023 तक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों और अन्य संस्थाओं पर बकाया ₹8,69,479 करोड़ के कुल ऋण (ब्याज सहित) में से, ₹74,241 करोड़ की वसूली बकाया थी, जैसा कि **चित्र 3.2** में विस्तृत रूप से है। लंबित मामलों की अवधि को देखते हुए, इनमें से कुछ ऋण वसूली योग्य नहीं हो सकते हैं और इस हद तक, वे संभावित रूप से प्राप्य राशि को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का प्रभाव डाल सकते हैं।

चित्र 3.2: बकाया ऋण और अग्रिम का अवधिवार विवरण

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 तक बकाया						
क्रम सं.	**ऋणदाता की श्रेणी**	**राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/संस्थाओं की संख्या**	**बकाया की अवधि (वर्षों में)**	**मूलधन**	**ब्याज**	**राशि**
1.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार	23	>25	528	1,766	2,294
		05	15-25	3,334	3,102	6,436
2.	**अन्य संस्थाएं**	81	>25	5,302	32,311	37,613
		38	15-25	6,109	10,352	16,461
		30	5-15	5,657	4,816	10,473
		2	<5	964	0	964
कुल		**179**		**21,894**	**52,347**	**74,241**

(स्रोत: विवरण 15 की धारा 2 और 3)

नमूना जाँच में हमने पाया कि विद्युत मंत्रालय ने दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम (डीईएसयू) के बकाया भुगतान के लिए एनसीटी-दिल्ली सरकार को ₹3,326 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (मार्च 2013)। ऋण की अवधि 10 वर्ष थी, जिसकी अदायगी मार्च 2014 से शुरू होनी थी। 31 मार्च 2023 तक बकाया राशि ₹6,320 करोड़ थी, जिसमें मूल राशि के अलावा ₹2,994 करोड़ की ब्याज राशि भी शामिल थी। इस मुद्दे को विद्युत मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था और उत्तर प्रतीक्षित था।

3.3 लेखों में पारदर्शिता

3.3.1 आरक्षित निधि में कम अंतरण

हमने पाया कि चार आरक्षित निधियों के संबंध में, संघ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 से उपकर/उगाही/जमा के माध्यम से ₹2,41,220.26 करोड़ एकत्र किए, लेकिन आरक्षित निधि में केवल ₹344.48 करोड़ ही हस्तांतरित किए, जैसा कि **चित्र 3.3** में दर्शाया गया है। कम अंतरण के कारण राजस्व घाटे का कम आकलन हुआ।

चित्र 3.3: आरक्षित निधि में कम अंतरण

(₹ करोड़ में)

आरक्षित निधि	वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान एकत्रित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक आरक्षित निधि में हस्तांतरित की गई राशि	कम अंतरण
तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ)	83,621.42	अभी तक निधि नहीं बनाई गई है	83,621.42
निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष	3,697.90	106.00	3,591.90
कृषि अवसंरचना और विकास निधि	1,51,092.71	अभी तक निधि नहीं बनाई गई है	1,51,092.71
वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष	2,808.23	238.48	2,569.75
कुल	**2,41,220.26**	**344.48**	**2,40,875.78**

लोक लेखा समिति (17वीं लोकसभा) के 69वें प्रतिवेदन में छपे सरकार के निर्णय के अनुसार, उपकर राशि का संबंधित आरक्षित निधि में पूर्ण हस्तांतरण विनियोग अधिनियम में सक्षम प्रावधानों के अधीन है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में कम हस्तांतरण के संबंध में, सरकार ने कहा (जुलाई 2024) कि ऐसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण योजना के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त सीमित प्रस्तावों के कारण हुआ। हालांकि, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में हस्तांतरण में कमी को चरणबद्ध तरीके से ठीक कराए जाने की उम्मीद है।

ओआईडीएफ के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 के तहत एकत्रित उपकर को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के लिए निर्धारित न करने का निर्णय लिया था। वित्त मंत्रालय ने (जनवरी 2015) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को मौजूदा निर्णय से अवगत करा दिया। आगे कहा कि तेल क्षेत्र में सरकार द्वारा

किए जा रहे भारी व्यय को देखते हुए, ओआईडीबी को अतिरिक्त निधि हस्तांतरण आवश्यक नहीं माना गया। मंत्रालय का जवाब लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है।

लोक लेखा समिति ने अपने 69वें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि उपकर का एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें उद्देश्य प्राप्त हो जाने पर उसे बंद करने के लिए एक निश्चित अवधि का प्रावधान होना चाहिए।

3.3.2 बाह्य ऋण

पूर्ण रूप से चुकाए जा चुके[10] विदेशी ऋणों के संबंध में विनिमय परिवर्तन का लेखा-जोखा यह निर्धारित करता है कि इसे लेखा शीर्ष "8680- विविध सरकारी लेखे-लेखा शीर्ष से शेष तक बट्टे खाते में डाला जाना" के अंतर्गत बट्टे खाते में डाला जाएगा, जिसमें अदायगी किए जाने के समय लेखा शीर्ष "6002-बाह्य ऋण" के अंतर्गत डेबिट (कोंट्रा क्रेडिट द्वारा) को निरस्त करने के लिए एक प्रविष्टि की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एमएच:6002-बाह्य ऋण के तहत क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में शामिल विनिमय हानि ₹6,235 करोड़ थी, जो वास्तव में एक प्राप्ति नहीं थी, बल्कि अदायगी के समय विदेशी मुद्रा में हानि के रूप में लिखी जाने वाली राशि थी। हम सिफारिश करते हैं कि बाहरी सहायता की वास्तविक प्राप्ति से बट्टे खाते में डाली गई राशि को अलग करने के लिए लेखों में उचित प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

3.3.3 निष्क्रिय लेखे

हमने पाया कि नौ[11] आरक्षित निधि और 24[12] जमा खाते कम से कम तीन वित्तीय वर्षों या उससे अधिक समय से निष्क्रिय पड़े हैं, जिनमें ₹6,065 करोड़ का संचित शुद्ध क्रेडिट बैलेंस है। सबसे पुरानी आरक्षित निधि और जमा खाता वित्तीय वर्ष 2002-03 से निष्क्रिय था। संदर्भ के लिए निष्क्रिय रिज़र्व (**अनुलग्नक 3.3**) और जमा लेखों (**अनुलग्नक 3.4**) की सूची संलग्न की गई है। तथ्य यह है कि लेखे निष्क्रिय हैं, इसका मतलब है कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि क्रेडिट बैलेंस का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

---

[10] यूजीएफए 2022-23 के परिचयात्मक अध्याय का पैरा संख्या 7।

[11] सात आरक्षित निधियों का क्रेडिट शेष ₹308.23 करोड़ था, शेष दो का डेबिट शेष ₹0.23 करोड़ था ।

[12] इक्कीस जमा खातों में ₹5,954.64 करोड़ का क्रेडिट शेष था और तीन जमा खातों में ₹197.54 करोड़ का डेबिट शेष था।

3.3.4 लघु शीर्ष 800 का लगातार उपयोग

'अन्य प्राप्तियां'/'अन्य व्यय' नाम से लघु शीर्ष 800 का उपयोग प्राप्ति और व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किया जाता है, ताकि उन लेन-देनों का लेखा-जोखा रखा जा सके जिन्हें किसी विशिष्ट लघु शीर्ष के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। हालांकि, पारदर्शिता के उद्देश्य से, व्यय और प्राप्ति की प्रत्येक मद को उसके विशिष्ट लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए, जिससे बहुप्रचलित शीर्ष लघु शीर्ष 800 का उपयोग कम से कम हो।

हमने पाया कि छह मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत व्यय का 50 *प्रतिशत* से अधिक, जो कि ₹5,572 करोड़ है (इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय ₹6,707 करोड़ का 83 *प्रतिशत*), लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 3.5** में विस्तृत रूप से है। इसी प्रकार, 17 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों का 50 *प्रतिशत* से अधिक, जो कि ₹4,136 करोड़ है (इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल प्राप्तियों ₹5,492 करोड़ का 75 *प्रतिशत*), लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 3.6** में विस्तृत रूप से है।

सीएजी प्रतिवेदन संख्या 21/2023 (पैरा संख्या 3.8.2.1) में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए इसी तरह के पैरा पर की गई कार्रवाई के नोट में, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उसने सभी मंत्रालयों/विभागों से अलग-अलग लघु शीर्ष खोलने का अनुरोध किया है, जहां लघु शीर्ष 800 में व्यय संबंधित मुख्य शीर्षों के तहत कुल व्यय/प्राप्तियों के 50 *प्रतिशत* से अधिक है।

3.4 प्राप्य सहित परिसंपत्तियों पर आंतरिक नियंत्रण

3.4.1 गारंटी शुल्क

संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत, भारत सरकार (जीओआई) केंद्र सरकार की संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों आदि को अनुकूल शर्तों पर संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए संप्रभु गारंटी देती है। सरकारी गारंटी नीति (मई 2022) गारंटी के अनुदान को नियंत्रित करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, बकाया गारंटी की कुल राशि ₹3,14,293.80 करोड़ थी। बदले में, सरकार संस्थाओं से गारंटी शुल्क वसूलती है।

हमने कुल ₹113.57 करोड़ की गारंटी फीस की कम वसूली के तीन मामलों को देखा, जैसा कि **अनुलग्नक 3.7** में विस्तृत रूप से है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इंडियन

ड्रग फार्मास्युटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) जो घाटे में चल रही सीपीएसयू है, से ₹97.53 करोड़ की गारंटी फीस प्राप्त होनी थी, जिसे माफ करने पर विचार किया जा रहा था।

गारंटी नीति (मई 2022) में यह प्रावधान है कि संबंधित मंत्रालय को फॉर्म जीएफआर 25 में गारंटियों का रजिस्टर बनाए रखना चाहिए और हर साल यह डेटा वित्त मंत्रालय को भेजना चाहिए। हमने पाया कि वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने फॉर्म जीएफआर 25 में विवरण दर्ज नहीं किया। इसके अलावा, सैंपल किए गए सीपीएसई के रिकॉर्ड की नमूना जांच से पता चला कि सीपीएसई के लेखों में दर्शाई गई गारंटी की राशि और चार संस्थाओं के संबंध में यूजीएफए के विवरण 4 में दर्शाई गई राशि में ₹1,44,768 करोड़ का अंतर है। विवरण **अनुलग्नक 3.8** में हैं।

3.4.2 लाभांश

डीआईपीएएम (मई 2016) द्वारा जारी सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई कर-पश्चात लाभ (पीएटी) का न्यूनतम 30 *प्रतिशत* या निवल मूल्य का पांच *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन, का भुगतान करेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्राप्त कुल लाभांश ₹99,922 करोड़ था। सीपीएसई से प्राप्त लाभांश से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच करने पर, हमने पाया कि ₹736.10 करोड़ के प्राप्य लाभांश के मुकाबले केवल ₹66.97 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सात मंत्रालयों/विभागों के तहत कार्यरत 16 संस्थाओं के संबंध में ₹669.13 करोड़ के लाभांश की कम प्राप्ति हुई**,** जैसा कि **अनुलग्नक 3.9** में विस्तृत रूप से है**।**

3.4.3 सरकारी निवेश

हमने नमूना संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों के साथ वित्त लेखों के विवरण 11 का सत्यापन किया और दोनों अभिलेखों में इक्विटी शेयरों की मात्रा और सरकारी निवेश के *प्रतिशत* के बीच अंतर के 26 उदाहरण पाए (विवरण **अनुलग्नक 3.10** में दिया गया है)।

क. विवरण 11 (₹15,350 करोड़) में निहित भारत के निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) में संघ सरकार के निवेश के संबंध में सूचना की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (₹15,909 करोड़) के साथ जांच से पता चला कि भारत सरकार द्वारा किए गए निवेश की राशि में ₹559 करोड़ का अंतर है। इस मुद्दे को 2021-22 संघ सरकार के

लेखों पर 2023 की सीएजी प्रतिवेदन संख्या 21 में भी बताया गया था। उत्तर में, वित्तीय सेवा विभाग ने कहा (जनवरी 2024) कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एक्जिम बैंक के टियर-1 कैपिटल बॉन्ड को ₹559 करोड़ की इक्विटी पूंजी में बदलने के संबंध में लेखांकन समायोजन को पूरा करने के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग की गई है।

ख. इसके अलावा, एमएच-5466 (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश) लघु शीर्ष-207 (आईएमएफ की सदस्यता) के तहत ₹3,364 करोड़ की ऋणात्मक प्रविष्टि के कारण, प्रगतिशील शेष राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹1,42,643.84 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹1,39,279.58 करोड़ हो गई। हालांकि विवरण 10 में राशि सही ढंग से दिखाई गई है, विवरण 11 में राशि को अद्यतित नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी के नाम में परिवर्तन के दो साल बीत जाने के बावजूद संघ सरकार के वित्त लेखों के विवरण 11 में इकाई 'दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड' का नाम अभी तक 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड' के रूप में अद्यतित नहीं किया गया है।

सिफारिश:

हम सिफारिश करते हैं कि संघ के लेखों में शामिल गारंटी और निवेश की राशि को सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्टों के आंकड़ों के साथ मिलान वाले प्रकटीकरण को मंत्रालयों/विभागों द्वारा संबंधित केंद्रीय लेन-देन विवरण (एससीटी) में शामिल किया जा सकता है।

3.4.4 नकद शेष

विवरण 13 की जांच से पता चला कि रिजर्व बैंक जमा और संघ सरकार के वित्त लेखों के नकद शेष[13] के बीच ₹846.79 करोड़ (क्रेडिट) - (सिविल मंत्रालय ₹127.35 करोड़ (क्रेडिट), केंद्र शासित प्रदेश ₹285.12 करोड़ (क्रेडिट) और गैर-सिविल मंत्रालय ₹434.32 करोड़ (क्रेडिट)) का निवल संचयी अंतर है। ₹846.79 करोड़ (क्रेडिट) का निवल संचयी अंतर ₹2,721.95 करोड़ के क्रेडिट बैलेंस और ₹1,875.16 करोड़ के डेबिट बैलेंस को घटाने के कारण था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में आरबीआई के साथ मिलान किया जाने वाला कुल नकद शेष ₹4,597.11 करोड़ था।

[13] आरबीआई (सीएएस), नागपुर के अनुसार क्रेडिट बैलेंस (₹4,879.48 करोड़) और यूजीएफए के अनुसार (₹4,032.69 करोड़)।

इसके अलावा, विवरण 13 और आरबीआई के आंकड़ों के बीच समापन शेष में अंतर के संदर्भ में नमूना जांच किए गए मंत्रालयों/विभागों में नकदी शेष की विस्तृत जांच **अनुलग्नक 3.11** में दर्शाई गई है।

3.5 वर्गीकरण त्रुटियाँ

लेखा महानियंत्रक कार्यालय लेखा प्रक्रियाओं पर मंत्रालयों को निर्देश जारी करता है। लेखों का छह स्तरीय वर्गीकरण नीचे एक विशिष्ट मुख्य शीर्ष (2210: चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य) के उदाहरण के साथ दिया गया है।

लेन-देन के लेखांकन का वर्गीकरण

लेन-देन की विशेषता	उदाहरण	वर्गीकरण
कार्य	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य (2210)	मुख्य शीर्ष (4 अंक)
उप-कार्य	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान (05)	उप-मुख्य शीर्ष (2 अंक)
कार्यक्रम	आयुर्वेद (101)	लघु शीर्ष (3 अंक)
योजना	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान (02)	उप-शीर्ष (2 अंक)
उप-योजना	स्वच्छता कार्य योजना (96)	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
लेन-देन की प्रकृति	सहायता अनुदान सामान्य (31)	वस्तु शीर्ष (2 अंक)

इस प्रकार, उपरोक्त उदाहरण के अनुसार प्रत्येक लेनदेन 15 अंकों में दर्ज हो जाता है।

हमने कई विचलन पाए, जिसके कारण ₹5,522 करोड़ की राशि का गलत वर्गीकरण हुआ। इनमें से ₹4,289 करोड़ प्राप्तियों से संबंधित थे और शेष गलत वर्गीकरण कुल मिलाकर ₹1,233 करोड़ व्यय से संबंधित थे और ये मुख्य रूप से वस्तु शीर्ष (₹1,023 करोड़) के स्तर पर हुए; ₹198 करोड़ लघु शीर्ष स्तर पर; ₹12 करोड़ विस्तृत शीर्ष के स्तर पर थे।

3.5.1 प्राप्तियों में गलत वर्गीकरण

i. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में ₹848 करोड़ और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में ₹2,258 करोड़ की गैर-कर राजस्व प्रकृति की प्राप्तियां गलत तरीके से कर राजस्व के प्रासंगिक मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष 800 - 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत दर्ज की गईं।

ii. इसके अलावा, कर राजस्व के समान/अन्य मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पहले से ही अलग-अलग लघु शीर्ष मौजूद होने के बावजूद, ब्याज वसूली, जुर्माना, कर संग्रह आदि जैसी प्राप्तियाँ संबंधित मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दिखाई गईं। नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि इस तरह का गलत वर्गीकरण सीबीडीटी में ₹2.79 करोड़ और सीबीआईसी में ₹1,177 करोड़ था। सीबीआईसी ने कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (मार्च 2024), हालाँकि, सीबीडीटी से उत्तर प्रतीक्षित था।

iii. मुख्य शीर्ष-1425- 'अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान' के अंतर्गत ₹2.72 करोड़ की प्राप्तियों को गलत तरीके से लघु शीर्ष '102-अंतरिक्ष अनुसंधान' के बजाय लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया। विभाग ने स्वीकार किया (अगस्त 2023) कि इसे अनजाने में पीएओ, इसरो मुख्यालय द्वारा दर्ज किया गया था।

3.5.2 लघु शीर्ष स्तर पर गलत वर्गीकरण

i. हमने पाया कि अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभागीय कैंटीन के रखरखाव के लिए ₹7.26 करोड़ का व्यय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार, लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के तहत बुक करने के बजाय लघु शीर्ष '101-अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी' के तहत बुक किया है। इस मुद्दे को सीएजी के पिछले प्रतिवेदनों में भी बताया गया है। डीओएस ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि सीजीए के कार्यालय ने लघु शीर्ष, '800-अन्य व्यय' के उपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए थे (मई 2012)। डीओएस का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीओपीटी कैंटीन चलाने के विभिन्न पहलुओं पर निर्देश/नीति दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए नोडल एजेंसी है और इसलिए डीओपीटी के निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक था।

ii. हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसरो-मुख्यालय के संबंध में ₹190.40 करोड़ का व्यय गलत तरीके से लघु शीर्ष '001-निर्देशन और प्रशासन' के बजाय लघु शीर्ष '101-अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, अंतरिक्ष विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि सीजीए कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 से विभाग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

3.5.3 विस्तृत शीर्ष स्तर पर गलत वर्गीकरण

i. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 'सूचना प्रौद्योगिकी' पर किए गए व्यय की निगरानी की सुविधा के लिए, वित्त मंत्रालय ने 9 जुलाई 2003 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 'सूचना प्रौद्योगिकी' को मानक कोड '99' के साथ 'विस्तृत शीर्ष' स्तर (वर्गीकरण का पाँचवाँ स्तर) पर रखने का निर्णय लिया। हमने पाया कि दो विभागों/मंत्रालयों **(चित्र 3.4)** द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पर ₹11.78 करोड़ के व्यय को दर्ज करते समय इस विस्तृत शीर्ष का संचालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन (अगस्त 2023) को स्वीकार करते हुए, हमें आश्वासन दिया गया है कि इस तरह की आईटी संबंधित खरीद के लिए भविष्य के व्यय को निर्धारित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज़ किया जाएगा।

चित्र 3.4: सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यय की बुकिंग दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग/मंत्रालय	शीर्ष	विवरण	राशि
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215.01.102.19.09	प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटर	8.86
	2215.02.105.23.05	एमआईएस एवं कम्प्यूटरीकरण	1.59
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3451.00.090.17.01	लैन/वाई-फाई अवसंरचना की स्थापना	1.33
कुल			**11.78**

3.5.4 वस्तु शीर्ष स्तर पर गलत वर्गीकरण

i. 'वस्तु वर्ग VI-पूंजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय' का उपयोग केवल पूंजीगत प्रकृति के व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है और इसलिए, यह केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ मेल खाता है। अन्य वस्तु वर्ग (वर्ग I से V) के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों का उपयोग आमतौर पर राजस्व व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। हमें तीन अनुदानों के तहत 12 उदाहरण मिले, जहाँ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वस्तु शीर्षों और पूंजीगत/राजस्व मुख्य शीर्षों के गलत संयोजनों के तहत कुल ₹55.21 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था (**अनुलग्नक 3.12**)।

ii. हमने आगे देखा कि अंतरिक्ष विभाग में ₹6.96 करोड़ के राजस्व व्यय को गलत तरीके से पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था और ₹1.75 करोड़ के पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 3.13 (क) और (ख)** में विस्तृत रूप से है।

iii. भारत सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों को सक्षम करने के साथ-साथ गैर-सरकारी निजी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व वाली सुविधाओं का उपयोग करने के लिए डीओएस में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) का गठन किया। हालांकि, निर्धारित वस्तु शीर्षों के तहत अपनी स्वायत्त एजेंसी (इन-स्पेस) को सहायता-अनुदान जारी करने के बजाय, डीओएस ने अन्य वस्तु शीर्षों को संचालित करते समय राजस्व भाग के तहत ₹11.08 करोड़ और पूंजीगत भाग के तहत ₹9.81 करोड़ जारी किए, जैसा कि **अनुलग्नक 3.14** में विस्तृत रूप से है। डीओएस ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि एक नया निकाय होने के नाते, इन-स्पेस एक रूप में डीओएस का एक संलग्न कार्यालय है, जबकि यह कार्यात्मक, वित्तीय और कार्मिक मामलों के संबंध में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए स्वायत्त है। अतः आज की तिथि तक, यह डीओएस का एक संलग्न कार्यालय है, जिसे सीएफआई से वार्षिक बजटीय सहायता प्राप्त होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। चूंकि इन-स्पेस, डीओएस के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इन-स्पेस को निधियां, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 8 में निर्धारित अनुसार, वस्तु शीर्ष '31', '35' और '36' के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में जारी की जानी चाहिए थीं।

iv. अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सात अनुदानों के अंतर्गत 22 मामलों में कुल ₹927.90 करोड़ की धनराशि गलत वस्तु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज की गई थी (**अनुलग्नक 3.15**)।

v. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 1978 का नियम 8 स्वायत्त संगठनों को भारत की संचित निधि से अनुदान जारी करने के लिए वस्तु शीर्ष '31-सामान्य सहायता अनुदान', '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' और '36-वेतन सहायता अनुदान' निर्दिष्ट करता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, बीआईआरएसी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹40.00 करोड़ का सहायता अनुदान (जीआईए) जारी किया। वर्ष के दौरान बीआईआरएसी द्वारा किए गए कुल ₹35.17 करोड़

के व्यय में से, ₹9.78 करोड़ और ₹15 लाख क्रमशः वेतन और पूंजीगत परिसंपत्तियों पर खर्च किए गए। हालांकि, अनुदानों को उपयुक्त वस्तु शीर्ष '36-वेतन सहायता अनुदान' और '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' में विभाजित करने के बजाय, वस्तु शीर्ष 'सामान्य सहायता अनुदान' के तहत दर्ज किया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि वह बीआईआरएसी के लिए नए वस्तु शीर्ष खोलने की प्रक्रिया में था।

अध्याय

4

बजटीय प्रबंधन

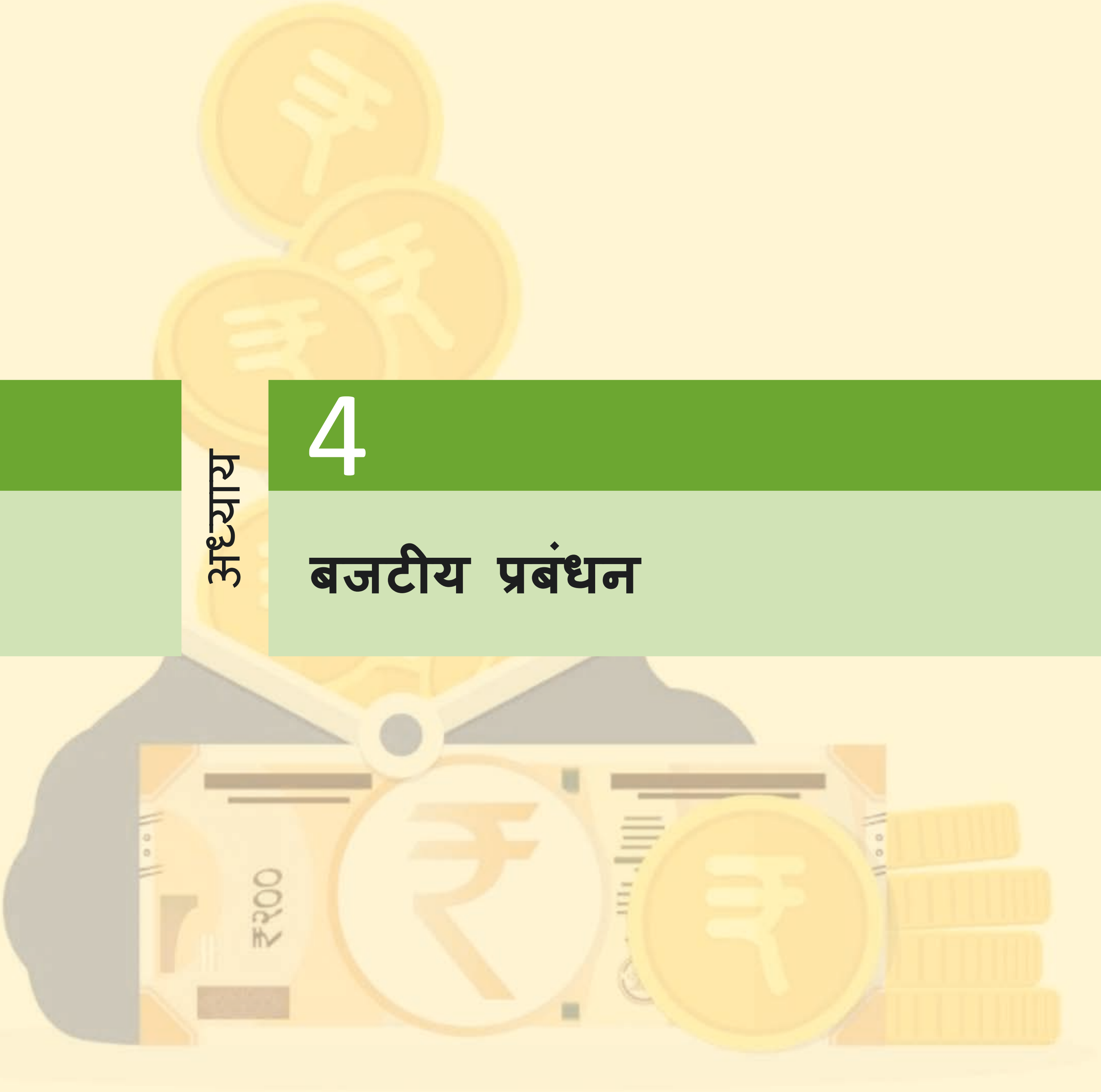

अध्याय 4 बजटीय प्रबंधन

4.1 विनियोग लेखों का अवलोकन

संसद द्वारा अधिनियमित विनियोग अधिनियम (संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत) सरकार को निर्धारित सेवाओं और उद्देश्यों के लिए भारत की संचित निधि (सीएफआई) से अनुदान की मांग के तहत अलग-अलग निर्दिष्ट राशि निकालने का अधिकार देता है। संसद वित्तीय वर्ष के दौरान (संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत) अनुपूरक अनुदानों को भी मंजूरी देती है। विनियोग उन मांगों के प्रति किए जाते हैं जो पूरी तरह से सीएफआई को 'प्रभारित' हों। अनुदान उन मांगों के प्रति किए जाते हैं जो या तो पूरी तरह से 'दत्तमत' हों या आंशिक रूप से 'दत्तमत' हों और आंशिक रूप से 'प्रभारित' हों। वित्तीय वर्ष 2022-23 में छह विनियोग और 96 अनुदान हैं।

चित्र 4.1: बजट प्रक्रिया

मंत्रालय सामान्य वित्तीय नियमों और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के बजट प्रभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बजट अनुमान (बीई) तैयार करते हैं। इन निर्देशों में यह उल्लिखित है कि सभी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीई को यथार्थवादी रूप से तैयार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अप्रयुक्त शेष राशि से बचा जाए। बजट दस्तावेजों में शामिल करने से पहले डीईए, एमओएफ द्वारा बीई की आगे जांच की जाती है।

4.1.1 प्रावधान और व्यय का विवरण

चित्र 4.2 में सिविल, रक्षा, रेलवे और डाक मंत्रालयों/विभागों में प्रावधान, व्यय और बचत का ब्यौरा दिखाया गया है, जबकि खंडवार विवरण[14] **अनुलग्नक 4.1** में दिया गया है।

चित्र 4.2: प्रावधान, संवितरण और बचत[15]

(₹ करोड़ में)

विनियोग लेखे (अनुदान की संख्या)	मूल प्रावधान (ओ)	अनुपूरक प्रावधान (एस)	कुल प्रावधान (ओ+एस)	संवितरण	बचत (-) *प्रतिशत* में)
सिविल (98)	1,11,81,797.52	6,63,990.61	1,18,45,788.13	1,15,46,311.81	-2,99,476.32 *(2.53%)*
रेलवे (1)	6,32,739.84	14,291.75	6,47,031.59	6,19,837.90	-27,193.69 *(4.20%)*
रक्षा (2)	3,92,113.32	27,474.44	4,19,587.76	4,07,317.10	-12,270.66 *(2.92%)*
पोस्ट (1)	36,395.89	0.00	36,395.89	34,072.23	-2,323.66 *(6.38%)*
कुल (102)	**1,22,43,046.57**	**7,05,756.80**	**1,29,48,803.37**	**1,26,07,539.04**	**-3,41,264.33 *(2.64%)***

कुल सकल व्यय का बड़ा हिस्सा अर्थात 91.58 *प्रतिशत* सिविल मंत्रालयों द्वारा किया गया, जैसा कि **चित्र 4.3** में दर्शाया गया है।

[14] प्रत्येक अनुदान/विनियोग के चार खंड हो सकते हैं - राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजी (प्रभारित) और पूंजी (दत्तमत)।

[15] विनियोग लेखों में, संसद द्वारा स्वीकृत राशियों के संदर्भ में भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, जिसमें अनुपूरक अनुदान या विनियोग और उसके प्रति व्यय शामिल हैं। नकारात्मक भिन्नताओं को 'बचत' और सकारात्मक भिन्नताओं को 'अतिरिक्त' कहा जाता है।

चित्र 4.3: व्यय का ब्यौरा

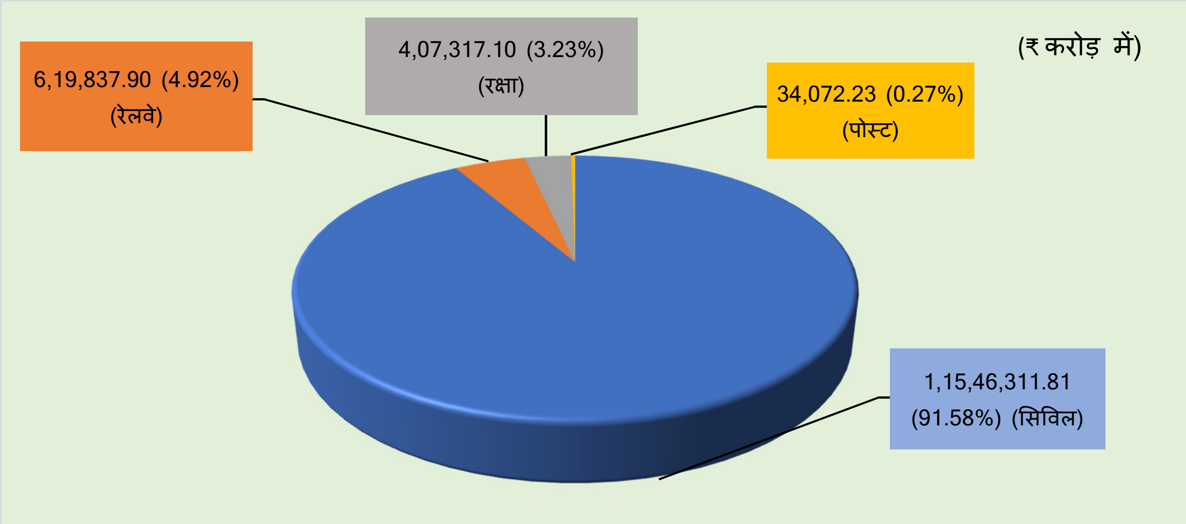

अधिकांश अनुदानों (61 *प्रतिशत*) का बजट ₹10,000 करोड़ से कम था और 18 अनुदानों का बजट ₹1,00,000 करोड़ से अधिक था, जिनमें से केवल एक अनुदान-ऋण अदायगी-₹10,00,000 करोड़ से अधिक था, जैसा कि नीचे **चित्र 4.4** में दर्शाया गया है (विवरण **अनुलग्नक 4.2** में दिया गया है)।

चित्र 4.4: संसद द्वारा अधिकृत धनराशि (ओ+एस) के आधार पर अनुदानों/विनियोगों का वर्गीकरण

वर्ग	स्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	अनुदान/विनियोग की संख्या
1	₹999 करोड़ तक	18
2	₹1,000 करोड़ से ₹9,999 करोड़	44
3	₹10,000 करोड़ से ₹99,999 करोड़	22
4	₹1,00,000 करोड़ से ₹9,99,999 करोड़	17
5	₹10,00,000 करोड़ से अधिक	1
कुल		**102**

4.1.2 प्रभारित और दत्तमत संवितरण

कुल मिलाकर, प्रभारित व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीएफ़आई से कुल संवितरण का 66.48 *प्रतिशत* था, जैसा कि नीचे **चित्र 4.5** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.5: प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

(₹ करोड़ में)

विनियोग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत/(अतिरिक्त)
	प्रभारित		
नागरिक	83,51,831.33	83,79,339.46	(27,508.13)
रेलवे	1,536.80	1,713.49	(176.69)
रक्षा	442.86	217.79	225.07
पोस्ट	0.80	0.51	0.29
कुल प्रभारित	**83,53,811.79** *(64.51%)*	**83,81,271.25** *(66.48%)*	**(27,459.46)**
	दत्तमत		
नागरिक	34,93,956.80	31,66,972.35	3,26,984.45
रेलवे	6,45,494.79	6,18,124.41	27,370.38
रक्षा	4,19,144.90	4,07,099.31	12,045.59
पोस्ट	36,395.09	34,071.72	2,323.37
कुल दत्तमत	**45,94,991.58** *(35.49%)*	**42,26,267.79** *(33.52%)*	**3,68,723.79**
कुल	**1,29,48,803.37**	**1,26,07,539.04**	**3,41,264.33**

सिविल मंत्रालयों के तहत प्रमुख प्रभारित संवितरण में दो विनियोग शामिल थे, अर्थात ऋण अदायगी (₹71,99,701.13 करोड़, जो कुल सिविल संवितरण का 62.35 *प्रतिशत* है) और ब्याज भुगतान (₹9,72,715.23 करोड़, जो कुल सिविल संवितरण का 8.42 *प्रतिशत* है) और राज्यों को एक दत्तमत अनुदान-हस्तांतरण (₹2,00,947.69 करोड़, जो कुल सिविल संवितरण का 1.74 *प्रतिशत* है)। प्रभारित व्यय में वृद्धि का रुझान रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, दत्तमत व्यय में पिछले पांच वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई **(चित्र 4.6)**।

चित्र 4.6: सिविल मंत्रालयों/विभागों में प्रभारित और दत्तमत संवितरण

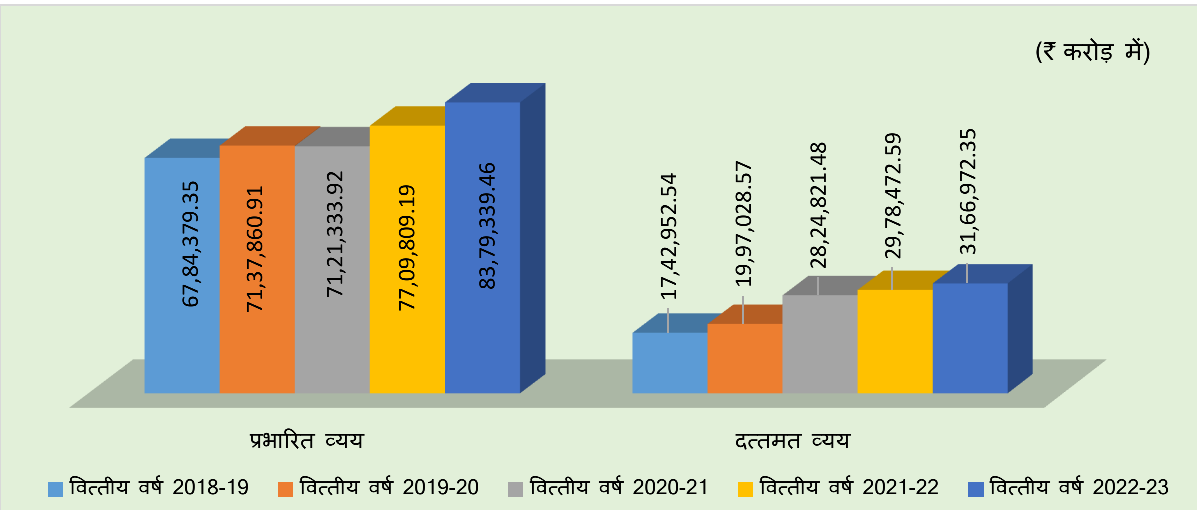

4.2 प्राधिकरण से भिन्नता

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 102 अनुदानों/विनियोगों में से 34 अनुदानों के संबंध में बचत प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक रही। तीन अनुदान अर्थात् वस्त्र मंत्रालय (72.72 *प्रतिशत*), पर्यटन मंत्रालय (70.54 *प्रतिशत*) और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (61.75 *प्रतिशत*) ने 61 से 80 *प्रतिशत* के बीच बचत दिखाई। इसके अलावा, दो अनुदान अर्थात् उपभोक्ता मामले विभाग (85.88 *प्रतिशत*) और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय (83.31 *प्रतिशत*) ने स्वीकृत प्रावधानों के 81 *प्रतिशत* से अधिक की बचत दिखाई, जैसा कि **चित्र 4.7 (अनुलग्नक 4.2 में विवरण)** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.7: अंतर के प्रतिशत के आधार पर अनुदानों/विनियोगों का वर्गीकरण (अधिक/बचत)

स्वीकृत प्रावधान (ओ+एस) के संबंध में बचत/अतिरिक्त का %	दर्शाए गए अनुदानों/विनियोगों की संख्या	
	बचत	अधिकता
0% - 20%	67	1
20% >= 40%	19	शून्य
40% >= 60%	10	शून्य
60% >= 80%	3	शून्य
80% से अधिक	2	शून्य
कुल	**101**	**1**

4.2.1 अतिरिक्त व्यय

अनुदानों/विनियोगों पर अतिरिक्त व्यय तथा लघु/उप-शीर्षों पर अतिरिक्त व्यय का विश्लेषण नीचे वर्णित है।

4.2.1.1 अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय

संविधान के अनुच्छेद 114(3) में प्रावधान है कि कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा सीएफआई से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। बजटीय प्रावधान से अधिक राशि, यदि कोई हो, को संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के तहत संसद द्वारा नियमित किया जाना आवश्यक है।

102 अनुदानों/विनियोगों में से, एक विनियोग (ऋण-पूंजी प्रभारित अदायगी) के अंतर्गत, ₹71,45,830.12 करोड़ के संसदीय प्राधिकरण के ₹71,99,701.13 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹53,871.01 करोड़ (₹538,71,00,96,887) का अधिक व्यय हुआ।

मंत्रालय ने जवाब दिया (नवंबर 2023) कि अतिरिक्त भुगतान मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने/दिनों में राज्य सरकारों द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए निकाली गई राशि की अधिक मात्रा के कारण हुआ। इस शीर्ष में/से प्राप्तियां/निवेश और निकासी/विनिवेश का राज्य सरकारों के पास अधिशेष निधियों की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ता है, जिसके लिए उन्हें आईटीबी (14-दिवसीय ट्रेजरी बिल) में निवेश करके उन्हें पार्क करने का अधिकार है और जरूरत के आधार पर वे पुनः लेखाकरण के माध्यम से अर्थात शेष अवधि के लिए आईटीबी में अपने निवेश पर अर्जित ब्याज से 50 बीपीएस अधिक का भुगतान करके आईटीबी के निर्धारित अदायगी से पहले धन निकालने के लिए स्वतंत्र हैं।

आगे बताया गया कि आईटीबी के लिए ₹48,17,152.06 करोड़ की अंतिम आवश्यकता का आकलन राज्यों द्वारा फरवरी 2023 तक प्राप्तियों/निवेश और निकासी/विनिवेश की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए किया गया था, हालांकि, राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए किए गए प्रावधान से बहुत अधिक राशि निकाली।

संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के तहत अनुदान/विनियोग की अधिकता को नियमित किया जाना आवश्यक है।

4.2.1.2 पर्याप्त धनराशि प्रावधान किए बिना लघु/उप-शीर्षों पर किया गया अतिरिक्त व्यय

जीएफआर, 2017 के नियम 61 के अनुसार, लेखा अधिकारी मुख्य लेखा प्राधिकरण की विशिष्ट स्वीकृति के बिना बजट प्रावधानों से अधिक राशि के लिए किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं देंगे। बदले में, किसी भी मद के अंतर्गत अतिरिक्त राशि को मंजूरी देने से पहले, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकरण पुनर्विनियोग/अनुदानों की पूरक मांग के माध्यम से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

हमने पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांगों के माध्यम से निधियों का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किए बिना 10 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 20 लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में ₹25 करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त व्यय पाया, जो कुल मिलाकर ₹59,077.36[16] करोड़ था। विवरण **अनुलग्नक 4.3** में दिया गया है।

4.2.2 बचत

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल बचत ₹3,41,264.33 करोड़ थी और यह कुल प्राधिकरण का 2.64 *प्रतिशत* थी। यह वित्तीय वर्ष

[16] कुल ₹59,077.36 करोड़ के अतिरिक्त व्यय में पैरा संख्या 4.2.1.1 में इंगित ₹53,871.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय शामिल है।

2021-22 के दौरान कुल प्राधिकरण की 6.15 *प्रतिशत* बचत के मुकाबले काफी बेहतर है, जो कि एक महत्वपूर्ण सुधार है। हमने अनुदान/विनियोग स्तर, खंड स्तर, लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर बचत का विश्लेषण किया और साथ ही बचत के कारणों का विश्लेषण किया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

4.2.2.1 अनुदान/विनियोग स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 18 अनुदानों/विनियोगों में अनुदान/विनियोग स्तर पर ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत देखी है। जैसा कि **अनुलग्नक 4.4** में दर्शाया गया है। इन अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹3,17,747.08 करोड़ की भारी बचत हुई, जो 102 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹3,41,264.33 करोड़ की कुल बचत का 93.11 *प्रतिशत* है। दो अनुदानों नामतः 'पेयजल एवं स्वच्छता विभाग' और 'राज्यों को हस्तांतरण' के अंतर्गत बचत ₹60,000 करोड़ से अधिक रही।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले उपरोक्त 18 अनुदानों/विनियोगों में से, आठ अनुदानों/विनियोगों में वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी लगातार बचत थी, जैसा कि नीचे **चित्र 4.8** में दिखाया गया है। अनुदान '42-राज्यों को हस्तांतरण' के तहत प्रत्येक वर्ष लगातार बचत ₹45,000 करोड़ से अधिक रही।

चित्र 4.8: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की लगातार बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
1.	63-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	74,622.70	18,545.93	5,550.71
2.	42-राज्यों को स्थानान्तरण	67,882.04	61,547.08	45,421.12
3.	85-रेल मंत्रालय	27,193.69	27,118.10	1,05,325.15
4.	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	22,427.54	8,177.19	25,985.30
5.	25-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	14,659.28	22,062.17	22,026.82
6.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	14,472.40	39,826.18	45,614.11
7.	13-दूरसंचार विभाग	12,420.67	29,767.44	25,920.89
8.	30-आर्थिक कार्य विभाग	8,368.57	55,527.03	33,975.03

हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इंगित किए जाने तथा लोक लेखा समिति के निर्देश पर वित्त मंत्रालय द्वारा यथार्थवादी बजट निर्धारण पर जारी परामर्श के बावजूद लगातार बचत दर्ज की गई।

सिफारिश:

हम सिफारिश करते हैं कि विभिन्न अनुदानों में ₹5000 करोड़ और उससे अधिक की लगातार बचत को देखते हुए बजट आकलन में पूर्वानुमान सटीकता में सुधार की काफी गुंजाइश है।

4.2.2.2 खंड स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

लोक लेखा समिति को यह अपेक्षा है कि अनुदान/ विनियोग में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत के बारे में समिति को बताया जाए। तदनुसार, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा खंडवार[17] तैयार किए गए विस्तृत व्याख्यात्मक नोट लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

75 अनुदानों/विनियोगों के 102 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई, जिसकी राशि ₹3,94,020.65 करोड़ थी। सात अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत नौ खंडों में बचत ₹10,000 करोड़ से अधिक रही, जो स्वीकृत प्रावधानों का 4 *प्रतिशत* से 59 *प्रतिशत* है। इसके अलावा, एक अनुदान अर्थात 'राज्यों को हस्तांतरण' के अंतर्गत तीन खंडों में बचत ₹10,000 करोड़ से अधिक रही। विवरण **अनुलग्नक 4.5** में दिए गए हैं।

4.2.2.3 लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

99[18] अनुदानों/विनियोगों की जांच से 63 अनुदानों/विनियोगों में महत्वपूर्ण बचत के 308 मामले[19] सामने आए, अर्थात् लघु -शीर्ष/उपशीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत तथा लघु शीर्ष /उपशीर्ष स्तर पर न्यूनतम ₹100 करोड़ की सीमा के अधीन आबंटन के 25 *प्रतिशत* से अधिक की बचत।

10 लघु-शीर्षों/उप-शीर्षों के अंतर्गत बचत छह अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत प्रत्येक में ₹10,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई। इसके अलावा, विनियोग 'ऋण अदायगी' के अंतर्गत, चार लघु-शीर्षों[20]/उप-शीर्षों के अंतर्गत बचत ₹66,829.53 करोड़ से लेकर ₹4,42,404 करोड़

---

[17] प्रत्येक अनुदान/विनियोग के चार खंड हो सकते हैं - राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजी (प्रभारित) और पूंजी (दत्तमत)।

[18] 98 सिविल अनुदान और एक डीओपी

[19] एनईआर से संबंधित मुख्य शीर्ष 2552 और 4552 के अंतर्गत बचत को बाहर रखा गया है क्योंकि वे गैर-कार्यात्मक शीर्ष हैं (अनुदान 23-एमओ डोनर को छोड़कर)।

[20] (6001.00.101-बाजार ऋण ₹66,829.53 करोड़, 6001.00.127-नकद प्रबंधन बिल ₹1,00,000 करोड़, 6001.00.103.01-91 दिन का राजकोषीय बिल ₹1,03,521.72 करोड़ और 6001.00.114-अर्थोपाय अग्रिम ₹4,42,404 करोड़)

तक रही। इसके अलावा, 23 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 51 उप-शीर्षों/लघु शीर्षों के अंतर्गत कुल ₹2,10,446.43 करोड़ के संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। विवरण क्रमशः **अनुलग्नक 4.6 क और 4.6 ख** में दिए गए हैं।

4.2.2.4 बचत का अभ्यर्पण न करना

जीएफआर, 2017 के नियम 62(2) में प्रावधान है कि बचत के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, पूर्वानुमान के अनुसार तुरंत सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए। तदनुसार, वित्त मंत्रालय ने विनियोग की प्रत्येक इकाई के अंतर्गत बचत के सभी अभ्यर्पणों की सूचना देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के लिए 21 मार्च 2023 की समय-सीमा निर्धारित की (फरवरी 2023[21])।

₹3,41,264.33 की बचत में से सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल ₹31,701.89 करोड़ (कुल बचत का 9.29 *प्रतिशत*) की राशि का अभ्यर्पण नहीं किया गया तथा 52 अनुदानों/ विनियोगों के अंतर्गत उसे समाप्त होने दिया गया। विवरण **अनुलग्नक 4.7** में दिया गया है।

बचत का अभ्यर्पण न करना अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। इससे वित्तीय नियोजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह उन गतिविधियों के लिए संसाधनों को पुनः आवंटित होने से रोकता है जहाँ धन की आवश्यकता होती है।

4.2.2.5 मुख्य शीर्ष 2552 के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अभ्यर्पण

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के निर्देशानुसार दिनांक 22 जुलाई 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत व्यय का 10 *प्रतिशत* पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। मुख्य शीर्ष 2552 के अंतर्गत बजट राशि को कार्यात्मक मुख्य शीर्षों में पुनः विनियोजित किया जाता है, ताकि पूर्वोत्तर के लिए उनकी योजनाओं/कार्यक्रमों को लक्षित किया जा सके।

हमने तीन अनुदानों की नमूना जांच में पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य शीर्ष 2552 के अंतर्गत कुल स्वीकृत प्रावधान ₹12,861.01 करोड़ में से ₹8,318.73 करोड़ की राशि कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोजित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹4,542.28 करोड़ की बचत हुई, जिसमें से ₹4,542.24 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया, जैसा कि **अनुलग्नक 4.8** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

[21] वित्त मंत्रालय का ओएमएफ सं.2(13)-बी(डी)/2023 दिनांक 22 फरवरी 2023।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग ने उत्तर दिया कि एनईआर राज्यों से कम/कोई प्रस्ताव/मांग प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पण की गई राशि अधिक थी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने उत्तर दिया कि बचत संशोधित अनुमान में कमी, कम मांग तथा राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष राशि के कारण हुई।

4.2.2.6 बचत के कारणों का विश्लेषण

उप-शीर्ष स्तर पर बचत के उपर्युक्त 308 मामलों (पैरा 4.2.2.3) के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों के विश्लेषण से पता चला कि मंत्रालयों/विभागों ने बड़ी संख्या में मामलों में प्रस्तावों की गैर/कम प्राप्ति, मांग की गैर/कम प्राप्ति, दावों की गैर/कम प्राप्ति आदि जैसे सामान्यीकृत कारण बताए थे, जो लेखों के उपयोगकर्ता की अपर्याप्त समझ को दर्शाता है। यह सिविल अकाउंट्स मैनुअल के पैरा 11.5.2 का उल्लंघन था जिसमें कहा गया है कि भिन्नताओं के कारण संक्षिप्त, सुस्पष्ट और विश्लेषणात्मक होने चाहिए तथा उनका उल्लेख उनके महत्व के अनुसार किया जाना चाहिए। 'अतिरिक्त अनुमान के कारण', 'वास्तविक व्यय के आधार पर', 'कम (या अधिक) व्यय के कारण', 'कम (या अधिक) मांग के कारण' आदि जैसे सामान्य कारणों से बचना चाहिए तथा मंत्रालय/विभाग से सही और विशिष्ट कारणों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

पैराग्राफ 4.2.2.3 में चर्चा की गई बचत को बचत के व्यापक कारणों के आधार पर **अनुलग्नक 4.9** में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि **चित्र 4.9** में संक्षेपित किया गया है।

चित्र 4.9: बचत का वर्गीकरण

श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
अवास्तविक बजट अनुमान	5,56,731.65
योजनाओं और गतिविधियों में निष्पादन में अंतराल और कमी को दर्शाने वाले कारण	3,48,206.50
व्यय के विनियमन के कारण	1,45,268.78
आरक्षित निधि में धन का हस्तांतरण न करना	11,406.59

4.3 अनुपूरक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 115(1) में प्रावधान है कि जब अनुदान/विनियोग के किसी भाग में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बचत उपलब्ध न हो या व्यय 'नई सेवा [22]' या 'सेवा के नए साधन[23]' पर किया जाना हो, तो भुगतान करने से पहले अनुपूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना आवश्यक है।

4.3.1 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

ऐसे मामलों की जांच[24] जहां मूल प्रावधानों के अतिरिक्त ₹10 करोड़ या उससे अधिक का अनुपूरक प्रावधान किया गया था, से पता चला कि 13 अनुदानों के अंतर्गत 21 लघु/उप-शीर्षों में, अधिक व्यय की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹4,988.13 करोड़ की राशि के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए, लेकिन ₹85,778.97 करोड़ का अंतिम व्यय ₹91,080.31 करोड़ के मूल प्रावधान से कम था। अनावश्यक प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹4,988.13 करोड़ की अतिरिक्त बचत हुई। विवरण **अनुलग्नक 4.10** में दिए गए हैं।

4.4 निधियों का पुनर्विनियोग

लोक लेखा समिति ने अपने 83वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा, 2012-13) में कहा कि निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी किया जा सकता है जब यह निश्चित रूप से ज्ञात हो या वास्तविक रूप से अनुमान हो कि जिस इकाई से निधियां स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, उसके लिए विनियोग का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा या इस बात की उचित निश्चितता हो कि विनियोग की इकाई में बचत की जा सकती है।

4.4.1 लघु/उप-शीर्षों से/में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

15 अनुदानों/विनियोगों में 21 मामलों में ₹10 करोड़ से अधिक के पुनर्विनियोग की जांच से पता चला कि कुल ₹3,821.17 करोड़ का पुनर्विनियोग किया गया, जबकि लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान पर्याप्त था। इससे इन शीर्षों के अंतर्गत ₹8,393.77 करोड़ की बचत

---

[22] इसका तात्पर्य किसी नए नीतिगत निर्णय के कारण निश्चित सीमा से अधिक व्यय से है, जो पहले संसद के ध्यान में नहीं लाया गया था, जिसमें कोई नई गतिविधि या निवेश का कोई नया रूप शामिल है।

[23] किसी मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न एक निश्चित सीमा से अधिक बड़ा व्यय।

[24] एनईआर से संबंधित मुख्य शीर्ष 2552 और 4552 के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों को यहां शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे गैर-कार्यात्मक शीर्ष हैं (अनुदान 23-एमओ डोनर को छोड़कर)।

हुई, जो इन शीर्षों में पुनर्विनियोग की गई राशि से अधिक या बराबर थी, जैसा कि **अनुलग्नक 4.11क** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

इसी प्रकार, सात अनुदानों के 10 मामलों में, इन लघु/उप-शीर्षों से अन्य शीर्षों में कुल ₹2,202.06 करोड़ का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया और परिणामस्वरूप इन लघु/उप-शीर्षों में ₹544.63 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक 4.11ख** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

4.4.2 परमाणु ऊर्जा विभाग के संबंध में वस्तु शीर्ष "प्रमुख कार्य" से अन्य वस्तु शीर्षों में ₹254.65 करोड़ का अनियमित पुनर्विनियोग

डीएफपीआर 1978 के नियम 10(5)(सी) और वित्तीय शक्तियों के प्रयोग (डीएई) नियम 1978 (ईएफपीआर) के नियम 4.2.7 (सी) के अनुसार, वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना, प्राथमिक इकाई 'प्रमुख कार्य' से किसी अन्य इकाई में कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।

परमाणु ऊर्जा आयोग **(**एईसी**)** के सदस्य (वित्त) ने परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के निधियों के पुनर्विनियोग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दे दी कि प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 'प्रमुख कार्य' से किसी अन्य शीर्ष में पुनर्विनियोग नहीं होना चाहिए। हमने पाया कि विभाग द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए प्राथमिक इकाई 'प्रमुख कार्य' से अन्य इकाइयों में ₹254.65 करोड़ का पुनर्विनियोग किया गया था।

डीएई ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि वस्तु शीर्ष "प्रमुख कार्य" से धन का पुनर्विनियोग सदस्य (वित्त), एईसी की पूर्व सहमति से किया गया था और उसके बाद सचिव, डीएई द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निधियों के पुनर्विनियोग के लिए सदस्य (वित्त) की सहमति इस शर्त के अधीन थी कि इसके परिणामस्वरूप 'प्रमुख कार्यों' से किसी अन्य शीर्ष में पुनर्विनियोग नहीं होना चाहिए।

4.5 अनियमित व्यय

हमारे द्वारा विनियोग लेखों की जांच से व्यय में निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं।

4.5.1 प्रावधानों को बढ़ाने के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

वित्त मंत्रालय ने कई अवसरों पर यह निर्धारित किया[25] है कि वस्तु शीर्षों (i) 'सहायता अनुदान (जीआईए सामान्य, वेतन और पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन)' (ii) 'सब्सिडी' और (iii) 'प्रमुख कार्यों' में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में वृद्धि पर वही सीमाएं लागू होंगी जो नई सेवा/सेवा के नए साधन पर लागू होती हैं और यह केवल संसद की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है। इन आदेशों का पालन न करने की ओर संघ सरकार के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार ध्यान दिलाया गया है।

इस संदर्भ में, लोक लेखा समिति[26] का मानना था कि वित्त मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए कि संसद की मंजूरी के बिना निर्दिष्ट सीमाओं से परे उपरोक्त वस्तु शीर्षों के तहत प्रावधानों को बढ़ाया न जाए। पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों और लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वस्तु शीर्ष 'सामान्य अनुदान' के संबंध में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत दो मामलों में कुल प्राधिकृत से ₹7.28 करोड़ अधिक व्यय हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक 4.12** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

4.5.2 संपत्ति कर समाप्त होने के बावजूद संपत्ति कर के संग्रह की लागत पर ₹21.13 करोड़ का व्यय हुआ

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से संपत्ति कर को समाप्त कर दिया, फिर भी ₹21.13 करोड़ (फॉर्मूले के अनुसार, कर संग्रह की कुल लागत का 0.25 *प्रतिशत*) का व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपत्ति कर संग्रह की लागत के लिए दर्ज किया गया। हमने यह भी देखा कि संपत्ति पर कर (एमएचः0032) के कारण ₹10.28 करोड़ की ऋणात्मक प्राप्तियाँ थीं। इसके परिणामस्वरूप करों की निवल राशि ₹21.13 करोड़ कम बताई गई।

उत्तर में विभाग ने हमें आश्वासन दिया कि वह विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों के परामर्श से आवंटन फार्मूले की जांच कर रहा है।

---

[25] आर्थिक कार्य विभाग के आदेश (मई 2006) और उन पर स्पष्टीकरण (मई 2012 और जुलाई 2015)।

[26] लोक लेखा समिति के 83वाँ प्रतिवेदन (2012-13), 15वीं लोकसभा।

4.5.3 रेल मंत्रालय के अंतर्गत अस्वीकृत व्यय

भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकृत अनुमान से अधिक व्यय, विस्तृत अनुमान के बिना किया गया व्यय और विविध अधिक भुगतान आदि को क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा आपत्ति पुस्तिकाओं में दर्ज किया जाता है और इसे अस्वीकृत व्यय माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 1932 मामलों में ₹21,236.98 करोड़ का अस्वीकृत व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएजी के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ की गई थीं। हालाँकि, सीएजी के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए जाने के बावजूद मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत व्यय के मामलों को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।

4.6 वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही और मार्च के दौरान व्यय में तेजी

जीएफआर 2017 के नियम 62(3) के अनुसार, व्यय में अत्यधिक वृद्धि, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचा जाना चाहिए।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 25.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम तिमाही और अंतिम माह में बजट अनुमान का क्रमशः 33 *प्रतिशत* और 15 *प्रतिशत* से अधिक व्यय स्वीकार्य नहीं होगा।

4.6.1 अनुदान/विनियोग के संबंध में व्यय की अधिकता

हमने देखा कि आठ अनुदानों के संबंध में, मार्च में बजट अनुमान का 163.71 *प्रतिशत* और 2023 की अंतिम तिमाही में बजट अनुमान का 309.45 *प्रतिशत* तक व्यय किया गया, जैसा कि **अनुलग्नक 4.13** में विस्तृत रूप से है, जो जीएफआर प्रावधानों और मौजूदा निर्देशों का उल्लंघन है।

उत्तर में, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने कहा कि ऐसा संशोधित अनुमान चरण में विभाग के बजट में वृद्धि के कारण हुआ है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक खर्च किया जाना है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी किए गए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के परिणामस्वरूप वर्ष की अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक अनुदान का कुल व्यय उसके बजटीय प्रावधानों से कम था और यदि अनुपूरक की आवश्यकता थी, तो अपेक्षित अनुपूरक समय रहते मांगा जाना चाहिए था। शेष विभागों/मंत्रालयों का उत्तर प्रतीक्षित है।

(पुरुषोत्तम तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
वित्त एवं संचार

नई दिल्ली
दिनांक: 22 मार्च 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 28 मार्च 2025

अनुलग्नक

अनुलग्नक 3.1

{पैराग्राफ 3.2.1 (क) देखें}

31 मार्च 2023 तक निपटान हेतु समग्र उचंत शेषों में प्रमुख योगदानकर्ताओं को दर्शाने वाल विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	उचंत शीर्ष का संक्षिप्त विवरण	समग्र उचंत शेष (31 मार्च 2023 तक)	उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ता	समग्र उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ताओं का प्रतिशत
101 पीएओ उचंत	इस लघु शीर्ष का संचालन संघ सरकार के अधीन वेतन और लेखा कार्यालयों, केन्द्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकारों की पुस्तकों में उत्पन्न होने वाले अंतर-विभागीय तथा अंतर-सरकारी लेन-देन के निपटान के लिए किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत लेन-देन या तो किसी लेखा अधिकारी द्वारा किसी अन्य लेखा अधिकारी की ओर से की गई वसूलियों या किए गए भुगतानों को दर्शाते हैं, जिसके प्रति लघु शीर्ष 'पीएओ उचंत' संचालित किया गया है। शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट का निपटान 'ऋणात्मक क्रेडिट' द्वारा तब किया जाता है, जब उस लेखा अधिकारी द्वारा चेक जारी किया जाता है, जिसकी पुस्तकों में प्रारंभिक वसूली का लेखा-जोखा रखा गया था। 'पीएओ उचंत' के अंतर्गत डेबिट का निपटान उस लेखा अधिकारी से चेक की प्राप्ति और वसूली पर 'ऋणात्मक डेबिट' द्वारा किया जाता है, जिसकी ओर से भुगतान किया गया था। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष का अभिप्राय है कि पीएओ द्वारा अन्य पीएओ की ओर से भुगतान किए गए हैं, जिनकी वसूली अभी की जानी है। बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ है कि अन्य पीएओ की ओर से पीएओ द्वारा राशि प्राप्त की गई है, जिसका भुगतान अभी शेष है।	5,445.10	1. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी/ सीबीईसी) ₹1,776.52 करोड़ (डेबिट) 2. विदेश मंत्रालय ₹1,097.67 करोड़ (डेबिट) 3. वाणिज्य विभाग (आपूर्ति) ₹961.83 करोड़ (डेबिट) 4. परमाणु ऊर्जा विभाग ₹558.66 करोड़ (क्रेडिट)। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी ये सभी प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं।	81%
102 उचंत लेखा (सिविल)	यह अस्थायी लघु शीर्ष 'उचंत लेखे (सिविल)' उन लेन-देन के लेखों के लिए संचालित किया जाता है, जिन्हें कुछ जानकारी, दस्तावेजों जैसे वाउचर, चालान आदि के अभाव में व्यय या प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है। अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज आदि प्राप्त होने पर, इस लघु शीर्ष का निपटान संबंधित मुख्य/उप-मुख्य/लघु लेखा शीर्षों में ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा कोंट्रा डेबिट या क्रेडिट द्वारा किया जाता है।	1,677.85	1. वाणिज्य विभाग (आपूर्ति) ₹597.59 करोड़ (डेबिट) 2. विदेश मंत्रालय (उच्चायोग) ₹435.76 करोड़ (डेबिट) 3. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी/सीबीईसी) ₹153.16 करोड़ (क्रेडिट)	71%

शीर्ष	उचंत शीर्ष का संक्षिप्त विवरण	समग्र उचंत शेष (31 मार्च 2023 तक)	उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ता	समग्र उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ताओं का प्रतिशत
108 पीएसबी उचंत	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जब सरकारी विभागों को पीएसबी को दिए गए निर्देशों के अनुसार किए गए भुगतानों का विवरण प्राप्त होता है, तो लेन-देन को शुरू में पीएसबी उचंत के प्रति क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाता है। जब आरबीआई सरकारी लेखों से राशि डेबिट करता है, तो पीएसबी उचंत के इस क्रेडिट का निपटान रिजर्व बैंक जमा (आरबीडी) शीर्ष में कोंट्रा क्रेडिट द्वारा हो जाता है। इसी तरह, प्राप्तियों के बारे में पीएसबी से सूचना प्राप्त करने के बाद, संबंधित सरकारी विभाग पीएसबी उचंत को डेबिट कर देता है। जब आरबीआई सरकारी लेखों में राशि जमा करता है, तो पीएसबी उचंत के इस डेबिट का निपटान आरबीडी शीर्ष में कोंट्रा डेबिट द्वारा हो जाता है।	13,710.19	1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (राजस्व और व्यय) ₹3,480.45 करोड़ (क्रेडिट), 2. केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (सीपीएओ) ₹2,368.79 करोड़ (डेबिट) 3. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी/सीबीईसी) ₹2,245.25 करोड़ (डेबिट) 4. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ₹1,270.20 करोड़ (क्रेडिट) 5. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ₹623.63 करोड़ (डेबिट)। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी इन सभी का प्रमुख योगदान रहा।	73%
110 रिज़र्व बैंक उचंत केंद्रीय लेखा कार्यालय	यह लघु शीर्ष संघ सरकार की पुस्तकों में राज्य सरकारों को ऋण, सहायता अनुदान, आयकर का हिस्सा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के हिस्से के भुगतान के लिए संचालित किया जाता है। जब भुगतान अधिकृत किया जाता है, तो संबंधित व्यय शीर्ष को डेबिट किया जाता है, और इस उचंत शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखों को समायोजित करने वाले आरबीआई से लेखों के मासिक विवरण की प्राप्ति पर, उचंत शीर्ष का निपटान ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण की अदायगी और उस पर ब्याज के भुगतान के समय, ऋण / ब्याज शीर्ष को क्रेडिट करके इस उचंत शीर्ष को डेबिट किया जाता है। आरबीआई केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर से लेखों का मासिक विवरण प्राप्त होने पर, एमएच '8675-आरबीआई के पास जमा-101-केंद्रीय सिविल' में कोंट्रा डेबिट द्वारा ऋणात्मक डेबिट प्रभावी होता है।	1,153.91	1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ₹660.00 करोड़ (क्रेडिट) 2. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ₹367.99 करोड़ (क्रेडिट)	89%

अनुलग्नक 3.2
{पैराग्राफ 3.2.2 (ख) देखें}

31 मार्च 2023 तक प्रतिकूल शेष की सूची

(₹ हजारों में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2023 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
		विवरण संख्या 14क			
1.	6001	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियाँ - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	डेबिट	4,04,339	
2.	6001	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियाँ - कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष	डेबिट	2,12,992	
		विवरण संख्या 14			
3.	6002.00.207	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऋण	डेबिट	16,56,202	2016-17
4.	6002.00.221	पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के विशेष कोष से ऋण	डेबिट	2,09,937	2021-22
5.	6002.00.226	पीएल-480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट एजेंसी के तहत यूएसए सरकार से ऋण	डेबिट	57,34,046	2016-17
6.	6002.00.227	अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसए से ऋण	डेबिट	1	2022-23
7.	6002.00.503	आईडीए से शेष ऋण समायोजन के लिये	डेबिट	82,69,981	2018-19
8.	6002.00.504	आईबीआरडी से समायोजन के लिये शेष ऋण	डेबिट	1,10,22,447	2014-15
9.	6002.00.506	आईएफएडी से समायोजन के लिये शेष ऋण	डेबिट	5,54,497	2022-23
10.	6002.00.507	जापान (जीओजेपी) से समायोजन के लिये शेष ऋण	डेबिट	3,83,172	2015-16
		विवरण संख्या 15			
11.	6202.01.203	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए ऋण	क्रेडिट	1,119	2016-17
12.	6215.02.800	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण - सीवेज और स्वच्छता अन्य ऋण	क्रेडिट	60,311	2016-17
13.	6216.02.190	आवास के लिए ऋण - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को शहरी आवास ऋण	क्रेडिट	5,79,267	2016-17
14.	6216.80.190	आवास के लिए ऋण - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सामान्य ऋण	क्रेडिट	2	2020-21
15.	6216.80.800	आवास के लिए ऋण - सामान्य अन्य ऋण	क्रेडिट	12,190	2020-21
16.	6225.01.800	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण अनुसूचित जातियों का कल्याण अन्य ऋण	क्रेडिट	829	1994-95
17.	6245.01.101	प्राकृतिक आपदाओं, सूखे, निःशुल्क राहत के कारण राहत ऋण	क्रेडिट	896	1986-87
18.	6245.02.101	प्राकृतिक आपदाओं बाढ़ चक्रवात के कारण राहत के लिए ऋण निःशुल्क राहत	क्रेडिट	2,157	1997-98
19.	6401.00.104	फसल पालन कृषि फार्मों के लिए ऋण	क्रेडिट	821	2016-17
20.	6402.00.102	मृदा एवं जल संरक्षण के लिए ऋण, मृदा संरक्षण	क्रेडिट	8,460	1995-96
21.	6402.00.203	मृदा एवं जल संरक्षण भूमि सुधार एवं विकास के लिए ऋण	क्रेडिट	592	2007-08
22.	6405.00.106	मत्स्य पालन के लिए ऋण, मछली पकड़ने के शिल्प का मशीनीकरण	क्रेडिट	532	2016-17

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2023 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
23.	6425.00.107	सहयोग के लिए ऋण सहकारी समितियों को ऋण के लिए ऋण	क्रेडिट	5,22,625	2017-18
24.	6425.00.108	सहयोग के लिए अन्य सहकारी समितियों को ऋण के लिए ऋण	क्रेडिट	9,00,446	2003-04
25.	6515.00.102	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक विकास ऋण	क्रेडिट	255	1986-87
26.	6801.00.201	बिजली परियोजनाओं जल विद्युत उत्पादन के लिए ऋण	क्रेडिट	8,80,938	2004-05
27.	6801.00.205	बिजली परियोजनाओं, परेषण और वितरण के लिए ऋण	क्रेडिट	13,91,766	2005-06
28.	6851.00.102	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए लघु उद्योग ऋण	क्रेडिट	11,900	2006-07
29.	7051.01.190	बंदरगाहों और प्रकाश गृहों के लिए ऋण सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को प्रमुख बंदरगाहों से ऋण	क्रेडिट	40,39,701	2018-19
30.	7053.00.190	नागरिक उड्डयन के लिए ऋण सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	3,77,537	2010-11
31.	7601.01.264	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम राशि गैर योजनागत योजनाओं के लिए ऋण जलापूर्ति- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	क्रेडिट	2,221	2021-22
32.	7601.01.436	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम, गैर योजनागत योजनाओं के लिए ऋण, फसल पालन वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट	1	2018-19
33.	7601.04.312	केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए ऋण शहरी विकास- लघु/मध्यम शहरों का एकीकृत विकास	क्रेडिट	1	2012-13
34.	7601.04.360	केंद्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- अन्य ऋण	क्रेडिट	408	2012-13
35.	7601.04.501	केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए ऋण मृदा एवं जल संरक्षण- मृदा संरक्षण योजनाएँ	क्रेडिट	34,180	2012-13
36.	7601.04.726	केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए ऋण ग्राम एवं लघु उद्योग-हथकरघा उद्योग	क्रेडिट	6,960	2012-13
37.	7601.04.786	केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए ऋण बाढ़ नियंत्रण- अन्य ऋण	क्रेडिट	4,115	2012-13
38.	7601.04.825	केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए ऋण, अंतर-राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें - सड़क कार्य	क्रेडिट	18,359	2012-13
39.	7601.04.826	केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए ऋण, अंतर-राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें - मशीनरी और उपकरण	क्रेडिट	106	2012-13
40.	7601.04.871	केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए ऋण अंतर्देशीय जल परिवहन-अन्य ऋण	क्रेडिट	897	2012-13
41.	7601.07.800	1984-1985 से पहले के ऋण अन्य ऋण	क्रेडिट	1,580	2012-13
42.	7605.00.055	विदेशी सरकारों को अग्रिम मालदीव सरकार को ऋण	क्रेडिट	6,27,715	2021-22
43.	7610.00.203	सरकारी कर्मचारियों को ऋण अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	क्रेडिट	46,942	2004-05
		विवरण संख्या 16			
44.	8002.00.103	ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण-पत्र	डेबिट	6,962	1976-77
45.	8002.00.104	रक्षा बचत प्रमाण-पत्र	डेबिट	4,762	2021-22
46.	8002.00.105	बचत प्रमाण-पत्र - बैंक श्रृंखला	डेबिट	189	2007-08
		विवरण संख्या 14	डेबिट		
47.	8012.00.108	आईएमएफ में विशेष आहरण अधिकार	डेबिट	1,33,13,021	2022-23

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2023 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
48.	8012.00.109	विशेष जमा और आयकर वार्षिकी जमा लेखे	डेबिट	13,983	2015-16
49.	8014.01.106	पीएलआई संयुक्त बंदोबस्ती आश्वासन योजनाएं	डेबिट	38,62,680	2019-20
50.	8014.02.105	आरपीएलआई प्रत्याशित बंदोबस्ती आश्वासन योजनाएं	डेबिट	18,26,709	2015-16
		विवरण संख्या 13			
51.	8229.00.200	अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट	20,46,640	2007-08
52.	8232.00.101	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि	डेबिट	2	2020-21
53.	8235.00.135	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	डेबिट	15,93,805	2015-16
54.	8337.00.104	रेलवे के जमा-गैर-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि-निवेश खाता	डेबिट	50	2022-23
55.	8342.00.112	क्षेत्रीय जमा	डेबिट	1,43,42,003	2021-22
56.	8443.00.112	भारत में खरीद आदि के लिए जमा राशि	डेबिट	23,57,029	2018-19
57.	8446.00.800	डाक जमा-अन्य जमा	डेबिट	1,16,705	2005-06
58.	8448.00.104	स्थानीय निधियों की जमाराशि-भारतीय बीमा संघ की निधियाँ	डेबिट	291	1976-77 से पूर्व
59.	8449.00.106	अन्य जमा राशियाँ- भारत-अमेरिका समझौता 1974 के अंतर्गत लेखे	डेबिट	3	2018-19
60.	8451.00.101	भोपाल गैस रिसाव आपदा राहत कोष-दावे और राहत कोष	डेबिट	91,015	2007-08
61.	8455.00.101	आईपीपीबी के साथ लेनदेन	डेबिट	30,38,205	2018-19
62.	8551.00.101	रक्षा अग्रिम	क्रेडिट	1,09,46,818	2015-16
63.	8670.00.103	चेक और बिल-विभागीय चेक	डेबिट	44,10,188	2022-23
64.	8670.00.104	चेक और बिल- ट्रेजरी चेक	डेबिट	14,83,541	2018-19
65.	8670.00.114	चेक और बिल- विभागीय (सीडीडीओ) इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	डेबिट	2,23,660	2018-19

अनुलग्नक 3.3
{पैराग्राफ 3.3.3 देखें}
निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

(₹ हज़ारों में)

क्रम सं.	शीर्ष का नाम	31 मार्च 2023 तक शेष	वित्तीय वर्ष से निष्क्रिय
1.	8117.XXX-विकास निधि -निवेश खाता	-1,099	2016-17
2.	8117.XXX-रेलवे - शाखा लाइन कंपनियों को ऋण	-1,177	2016-17
3.	8121.108- कर्मचारी लाभ निधि (रेलवे रणनीतिक लाइनें)	4,788	2016-17
4.	8226.101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	30,69,569	2019-20
5.	8229.101 शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	7	2002-03
6.	8229.102 चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधि	60	2002-03
7.	8229.108 खनन क्षेत्र विकास निधि	102	2002-03
8.	8235.101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि	7,586	2008-09
9.	8235.105- सामान्य बीमा निधि	215	2019-20
	क्रेडिट शेष	**₹308.23 करोड़**	
	डेबिट शेष	**₹-0.23 करोड़**	
	निवल क्रेडिट शेष	**₹308.00 करोड़**	

अनुलग्नक 3.4
{पैराग्राफ 3.3.3 देखें}

निष्क्रिय जमा खाते

(₹ हज़ारों में)

क्रम सं.	शीर्ष का नाम	31 मार्च 2023 तक शेष	तब से निष्क्रिय
1	8342.107 - संपदा शुल्क के भुगतान के लिए जमा	103	2002-03
2	8342.108 - आयकर, सुपर कर, अतिरिक्त लाभ कर और अधिभार की जमाराशि	12,107	2002-03
3	8342.110 - टेलीफोन आवेदन जमा	22,39,867[27]	2002-03
4	8342.111 - टेलेक्स आवेदन जमा	79,306	2002-03
5	8342.114 - पट्टे पर दी गई दूरसंचार सुविधा जमा	16,947	2002-03
6	8443.114 - निर्यात व्यापार जमा	1,52,527	2002-03
7	8443.120- स्वायत्त जिला एवं क्षेत्रीय निधियों की जमाराशि (असम, मेघालय एवं मिजोरम)	6,421	-
8	8443.127 - ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेंशनभोगियों आदि के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की जमा राशि, जो पाकिस्तान चले गए हैं	2,106	2002-03
9	8443.130 - प्रोविडेंट सोसाइटीज लिक्विडेशन अकाउंट्स	13	2008-09
10	8447.800 - अन्य जमा	5,01,543	2013-14
11	8448.103 - छावनी निधि	1	2003-04
12	8448.106- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कोष	4,55,659	2018-19
13	8448.109- पंचायत निकाय निधि	2	2019-20
14	8448.111 - चिकित्सा और धर्मार्थ निधि	52	2003-04
15	8448.120 - अन्य निधियाँ	226	2004-05
16	8449.104 - खनन भविष्य निधि की जमाराशि	1,601	2002-03
17	8449.107 - आयकर, सुपर कर, ब्याज और अधिभार सहित अतिरिक्त लाभ कर की जमाराशि	13,393	2002-03
18	8449.111 - दवा मूल्य समकारी निधि	29,96,911	2019-20
19	8449.120 - विविध जमा	5,23,75,571	2019-20
20	8450.101 - पुडुचेरी का शेष	4,01,290	2008-09
21	8450.102 - गोवा, दमन और दीव का शेष	-1,63,026	2002-03
22	8450.104 - अरुणाचल प्रदेश का शेष	-5,68,251	2002-03
23	8450.105 - मिजोरम का शेष	-12,44,138	2002-03
24	8453.101 - सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय के लिए राशि	2,90,744	2013-14
क्रेडिट शेष		**₹5,954.64 करोड़**	
डेबिट शेष		**₹-197.54 करोड़**	
निवल क्रेडिट शेष		**₹5,757.10 करोड़**	

[27] वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जमा राशि में ₹61,000 की और वृद्धि हुई है।

अनुलग्नक 3.5

{पैराग्राफ 3.3.4 देखें}

मुख्य शीर्ष के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय को लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत दर्ज करने का विवरण

लघु शीर्ष 800 (अन्य व्यय) विवरण संख्या 9 का वर्णन				
				(₹ हज़ारों में)
क्र. सं.	**मुख्य शीर्ष**	**कुल व्यय**	**लघु शीर्ष 800**	**% हिस्सेदारी**
1	2506- भूमि सुधार	24,73,889	16,23,045	65.61
2	2701- मध्यम सिंचाई	6,20,63,899	5,16,61,566	83.24
3	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	10,58,520	10,46,585	98.87
	कुल (क)	**6,55,96,308**	**5,43,31,196**	**82.83**
लघु शीर्ष 800 (अन्य व्यय) विवरण संख्या 10 का वर्णन				
4	4211- परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	21,362	21,362	100
5	4853- अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5,82,204	5,82,204	100
6	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8,71,045	7,86,185	90.26
	कुल (ख)	**14,74,611**	**13,89,751**	**94.25**
	कुल योग (क+ख)	**6,70,70,919**	**5,57,20,947**	**83.08**

अनुलग्नक 3.6
{पैराग्राफ 3.3.4 देखें}
मुख्य शीर्ष की 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्तियों को लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत दर्ज करने का विवरण

(₹ हज़ारों में)

लघु शीर्ष 800 (अन्य प्राप्तियां) विवरण संख्या 8 का वर्णन				
क्र. सं.	**मुख्य शीर्ष**	**कुल प्राप्तियां**	**लघु शीर्ष 800**	**हिस्सेदारी का प्रतिशत**
1	0029 - भू-राजस्व	28,79,516	28,56,465	99.20
2	0030 - मोहरें और पंजीकरण शुल्क	36,77,546	25,78,754	70.12
3	0059 - लोक निर्माण	58,97,471	31,19,177	52.89
4	0077 - रक्षा सेवाएँ- नौसेना	1,30,11,926	1,11,96,404	86.05
5	0078 - रक्षा सेवाएँ- वायु सेना	1,78,84,008	1,09,34,227	61.14
6	0079 - रक्षा सेवाएँ - आयुध निर्माणियाँ	55,506	55,506	100.00
7	0080 - रक्षा सेवाएँ-अनुसंधान और विकास	31,97,435	31,97,435	100.00
8	0217 - शहरी विकास	4,49,272	4,14,097	92.17
9	0230 - श्रम और रोजगार	7,46,298	6,58,211	88.20
10	0701 - मध्यम सिंचाई	5,09,599	4,87,023	95.57
11	0702 - लघु सिंचाई	20,54,044	20,53,828	99.99
12	0803 - कोयला और लिग्नाइट	21,407	21,407	100.00
13	0851 - ग्राम एवं लघु उद्योग	12,42,274	10,37,910	83.55
14	1052 - शिपिंग	13,44,254	8,03,385	59.76
15	1055 - सड़क परिवहन	18,02,964	18,02,964	100.00
16	1056 - अंतर्देशीय जल परिवहन	1,32,536	1,32,536	100.00
17	1456 - नागरिक आपूर्ति	15,070	14,001	92.91
कुल योग		**5,49,21,126**	**4,13,63,330**	**75.31**

अनुलग्नक 3.7

{पैराग्राफ 3.4.1 देखें}

गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति दर्शाने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	गारंटी शुल्क प्राप्य	गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ	गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति
1	वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय)	83.41	77.06	6.35
2	फार्मास्यूटिकल्स विभाग-आईडीपीएल (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)	97.53	0	97.53
3	दूरसंचार विभाग (संचार मंत्रालय)	221.19	211.50	9.69
	कुल	**402.13**	**288.56**	**113.57**

अनुलग्नक 3.8

{पैराग्राफ 3.4.1 देखें}

विवरण 4 की गारंटियों और सीपीएसई के अभिलेखों के बीच अंतर दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

गारंटियों का वर्ग	विभाग द्वारा दर्शाया गया शेष (गारंटियों की संख्या)	सीपीएसई/संस्थाओं के अनुसार* शेष (गारंटियों की संख्या)	राशि में अंतर (गारंटियों की संख्या)
वर्ग-III (अथ जमा)	1,88,798.89 (216)	2,02,431.69 (329)	13,632.80 (113)
वर्ग-III (अंत शेष)	67,593.93 (325)	1,98,728.90 (309)	1,31,134.97 (16)

*(*भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड))*

अनुलग्नक 3.9

{पैराग्राफ 3.4.2 देखें}

दीपम के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय न्यूनतम वार्षिक लाभांश के आधार पर गणना करके सीपीएसई द्वारा लाभांश का कम भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

यूजीएफए 2022-23 के विवरण 11 में क्र. सं.	मंत्रालय	सीपीएसई	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर पश्चात लाभ	पीएटी का 30%	निवल मूल्य (2021-22)	निवल मूल्य का 5%	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	भारत सरकार की शेयर होल्डिंग की प्रतिशतता	भारत सरकार द्वारा प्राप्य लाभांश (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त कुल लाभांश	लाभांश भुगतान में कमी (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए)
297	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	6.98	2.09	794.77	39.74	39.74	100.00	39.74	0.00	39.74
128	भारी उद्योग मंत्रालय	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	40.2	12.06	11.44	0.57	12.06	100.00	12.06	0.00	12.06
61	दूरसंचार विभाग	टी सी आई एल	30.33	9.10	612.78	30.64	30.64	100.00	30.64	12.13	18.51
11	इस्पात मंत्रालय	आरआईएनएल	913.19	273.96	3174.55	158.73	273.96	100	273.96	शून्य	273.96
209	इस्पात मंत्रालय	बीएसएलसी	7.81	2.34	-141.10	-7.06	2.34	49.65	1.16	0.00	1.16
207	इस्पात मंत्रालय	ईआईएल	-0.44	-0.13	270.75	13.54	13.54	15.79	2.14	0.00	2.14
67	रक्षा मंत्रालय	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर	134.59	40.38	2306.79	115.34	115.34	54.03	62.32	22.50	39.82
70	रक्षा मंत्रालय	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडिगामा	101.09	30.33	1148.41	57.42	57.42	51.09	29.34	25.87	3.47
214	रक्षा मंत्रालय	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम	50.78	15.23	-547.31	-27.37	15.23	100.00	15.23	0.00	15.23
37	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय/उर्वरक विभाग	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	35.74	10.72	666.50	33.32	33.32	100.00	33.32	शून्य	33.32

यूजीएफए 2022-23 के विवरण 11 में क्र. सं.	मंत्रालय	सीपीएसई	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर पश्चात लाभ	पीएटी का 30%	निवल मूल्य (2021-22)	निवल मूल्य का 5%	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	भारत सरकार की शेयर होल्डिंग की प्रतिशतता	भारत सरकार द्वारा प्राप्य लाभांश (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त कुल लाभांश	लाभांश भुगतान में कमी (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए)
39	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय/उर्वरक विभाग	हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड	2.52	0.76	138.40	6.92	6.92	100.00	6.92	शून्य	6.92
42	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय/उर्वरक विभाग	राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड	108.20	32.46	2281.54	114.08	114.08	74.71	85.23	शून्य	85.23
44	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय/उर्वरक विभाग	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	10.81	3.24	167.40	8.37	8.37	100.00	8.37	3.24	5.13
38	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड कोच्चि	353.28	105.98	189.37	9.47	105.98	97.38	103.21	शून्य	103.21
41	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	मद्रास उर्वरक लिमिटेड चेन्नै	1.90	0.57	-5.05	-0.25	0.57	59.50	0.34	शून्य	0.34
18	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	10.76	3.23	642.30	32.12	32.12	100.00	32.12	3.23	28.89
								कुल	736.10	66.97	669.13

अनुलग्नक 3.10
{पैराग्राफ 3.4.3 देखें}
इक्विटी शेयर और शेयर होल्डिंग प्रतिशतता का विवरण

मंत्रालय/विभाग (विवरण 11 में क्रम संख्या)	संस्था	विवरण संख्या 11 के अनुसार		संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	
		इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग
भारी उद्योग मंत्रालय *(क्रमांक 118, 137, 281, 283, 146 और 120)*	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	7,23,81,900 *(@ ₹100 प्रति शेयर)*	100.00	5,32,98,800 *(@ ₹100 प्रति शेयर)*	100.00
	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा	14,65,603 *(@ ₹1,000 प्रति शेयर)*	100.00	2,40,450 *(@ ₹1,000 प्रति शेयर)*	100.00
	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	3,894 *(@₹100 प्रति शेयर)* 5,23,89,900 *(@₹10 प्रति शेयर)* 16,73,50,000 *(@₹2 प्रति शेयर)*	93.30	43,63,74,630 *(@ ₹2 प्रति शेयर)*	89.25
	दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	4,41,00,000 *(@ ₹10 प्रति शेयर)*	100.00	4,90,00,000 *(@ ₹10 प्रति शेयर)*	49.00
	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ	13,47,16,430 (13,24,65,000 *@ ₹10 प्रति शेयर)* (3,61,430 *@ ₹1,000 प्रति शेयर)* (18,90,000 *@ ₹10 प्रति शेयर)*	100	8,19,24,029	93.87
	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), भोपाल	16,57,547 *(@ ₹1,000 प्रति शेयर)* 59,91,72,402 *(@ ₹2 प्रति शेयर)*	63.06	2,19,96,50,402 *(@ ₹2 प्रति शेयर)*	63.17

मंत्रालय/विभाग (विवरण 11 में क्रम संख्या)	संस्था	विवरण संख्या 11 के अनुसार		संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	
		इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग
वित्तीय सेवा विभाग *(क्रमांक 4, 91 एवं 93)*	जीवन बीमा निगम, मुंबई	----	96.50	610,36,22,781 *(@ ₹10 प्रति शेयर)*	96.50
	इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी	26,14,00,000	17.24	26,14,00,000	16.34
	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड)	182,86,38,028	66.35	145,68,90,872	66.35
रक्षा मंत्रालय *(क्रमांक 72 एवं 66)*	मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	12,12,90,983 *(@ ₹10 प्रति शेयर)*	-	17,10,90,983	-
	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद	4,56,84,902 *(@ ₹10 प्रति शेयर)*	-	13,73,25,527	-
विद्युत मंत्रालय *(क्रम संख्या 82 एवं 84)*	भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड	3,99,76,26,483 *(@ ₹10 प्रति शेयर)*	-	4,95,53,46,251	-
	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	2,71,96,29,008 *(@ ₹10 प्रति शेयर)*	-	3,58,11,63,210	-
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय *(क्रमांक 156, 158 एवं 159)*	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	35,47,83,293 *(@ ₹10 प्रति शेयर)*	54.93	1,14,91,83,592	52.98
	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	9,01,01,648 *(@ ₹5 प्रति शेयर)*	-	28,84,58,584	-
	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	54,71,29,498	51.45	3,38,75,80,047	51.52
रेल मंत्रालय *(क्रमांक 166 एवं 14)*	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	10,68,49,205	61.80	33,38,84,975	54.80
	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	60,33,14,000	-	62,33,40,000	-
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय *(क्रम संख्या 216)*	राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	20,00,000	-	10,30,00,000	-
राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक *(क्रम संख्या 339)*	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	5,05,70,00,000	52.71	4,88,98,71,903	45.48
उर्वरक विभाग *(क्रम संख्या 37)*	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	66,67,199 *(@ ₹1,000 प्रति शेयर)*	-	75,09,239	-
दूरसंचार विभाग *(क्रम संख्या 59)*	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेंगलुरु (आईटीआई लिमिटेड)	86,78,87,500	97.80	85,59,12,566	90.14

मंत्रालय/विभाग (विवरण 11 में क्रम संख्या)	**संस्था**	**विवरण संख्या 11 के अनुसार**		**संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार**	
		इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग
आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय *(क्रम संख्या 65)*	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	20,12,50,000	25	14,56,96,885	51.12
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय *(क्रम संख्या 154)*	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए लिमिटेड)	1,51,08,46,000	-	1,50,00,00,000	-
परमाणु ऊर्जा विभाग *(क्रम संख्या 269)*	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई	15,92,78,311 *(@ ₹1,000 प्रति शेयर)*	-	13,73,36,627	-
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय *(क्रम संख्या 212)*	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	9,58,32,564	100	9,58,43,464	72.86

अनुलग्नक 3.11

{पैराग्राफ 3.4.4 देखें}

आरबीआई और यूजीएफए के नकदी शेष के बीच अंतर दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मंत्रालय/विभाग के अनुसार शेष *(₹ करोड़ में)*	टिप्पणी
1	नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय	₹91.34 (डेबिट) ₹63.45 (क्रेडिट)	मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, ₹27.89 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर था। सीजीए कार्यालय ने ₹26.53 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर दिखाया। प्रधान लेखा कार्यालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2023)।
2	सीबीआईसी	₹6.65 (डेबिट)	सीबीआईसी के अनुसार, निवल अंतर ₹6.65 करोड़ (डेबिट) है। सीजीए कार्यालय ने ₹164.61 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर दिखाया। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (मार्च 2024)।
3	सीबीडीटी	₹869.71 (डेबिट) ₹756.22 (क्रेडिट)	सीबीडीटी के अनुसार, निवल अंतर ₹113.49 करोड़ (डेबिट) रहा। सीजीए कार्यालय ने ₹170.76 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर दर्शाया। विभाग ने जवाब दिया (जून 2023) कि अंतर का समाधान न होने के कारण को क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के साथ उठाया जा रहा है।
4	वित्तीय सेवा विभाग	₹6.80 (क्रेडिट)	डीएफएस के अनुसार, निवल अंतर ₹6.80 करोड़ (क्रेडिट) है। सीजीए कार्यालय ने ₹18.52 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर दिखाया। जवाब की प्रतीक्षा है।

अनुलग्नक 3.12
{पैराग्राफ 3.5.4 (i) देखें}

मुख्य शीर्षों के साथ वस्तु शीर्षों का गलत उपयोग

अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय *(₹ करोड़ में)*	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
3-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51	2.00	उत्तर में (जुलाई 2023), विभाग ने कहा कि यद्यपि अधिकांश मामलों में विभाग डीएफपीआर, 1978 के नियम 8 में उल्लिखित लेखा शीर्षों का संचालन करता है, फिर भी कुछ योजनाएं हैं जहां पूंजीगत प्रकृति के वस्तु शीर्षों को वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राजस्व प्रभाग के तहत संचालित किया गया है। डीएई ने आश्वासन दिया कि वस्तु शीर्ष 51 और 52 वित्तीय वर्ष 2023-24 से राजस्व प्रभाग के अंतर्गत नहीं आएंगे।
		52	29.90	
		51	0.49	
		60	7.29	
	3401	51	0.28	
		51	0.89	
		51	1.18	
		52	0.07	
78- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	5052	50	2.20	मंत्रालय ने (नवंबर 2023) बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदान की विस्तृत मांग में पहले से ही अपेक्षित शीर्ष अर्थात 5052.80.800.09.99.71 - सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण शामिल कर लिया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 से सही बुकिंग हो रही है।
86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	5054	13	6.94	मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि मुख्य शीर्ष 5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत उप शीर्ष 01.99.50 - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय/मंडल/क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आईटी से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद पर व्यय करने के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर 1999 में खोला गया था। बाद में लेखापरीक्षा और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआर. सीसीए) की सलाह पर इस शीर्ष को 04.99.13-कार्यालय व्यय के रूप में बदल दिया गया। '11-घरेलू यात्रा व्यय' के संबंध में यह कहा गया कि मुख्य शीर्ष 5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के पर्यवेक्षण के लिए एक नया उप-शीर्ष 01.06.11-घरेलू यात्रा भत्ता, प्रधान मुख्य लेखापरीक्षा नियंत्रक और वित्त मंत्रालय के परामर्श से 2001 में खोला गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मंत्रालय ने डीएफपीआर के नियम 8 का पालन नहीं किया है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि वस्तु शीर्ष (51-56 और 60) का उपयोग केवल पूंजीगत प्रकृति के व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है तथा यह केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप ही होगा।
	5054	20	1.92	
	5401	11	2.05	
कुल			**55.21**	

अनुलग्नक 3.13 (क)
{पैराग्राफ 3.5.4(ii) देखें}

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत ढंग से दर्ज करना

क्रम सं.	अनुदान	राशि *(₹ करोड़ में)*
1	**अनुदान संख्या 95- अंतरिक्ष विभाग**	6.96

पीएओ-इसरो मुख्यालय द्वारा हनले, लद्दाख में आईआईए (डीएसटी की केंद्रीय स्वायत्त संस्था) की भूमि पर अपनी नेत्रा परियोजना के लिए पहुंच मार्गों के निर्माण के भुगतान के लिए किए गए ₹6.96 करोड़ के व्यय को '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत व्यय की राजस्व प्रकृति की बुकिंग ने पूंजीगत व्यय को ₹6.96 करोड़ अधिक दर्शाया है।

डीओएस ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि पहुंच मार्गों का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था क्योंकि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। इसके लिए भुगतान बीआरओ को जमा कार्य के रूप में दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईआईए (डीएसटी की केंद्रीय स्वायत्त संस्था) की भूमि पर सड़क निर्माण को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए आईआईए को दिए गए अनुदान के रूप में '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता' के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। पूंजीगत अनुभाग के तहत राजस्व व्यय की बुकिंग ने राजस्व व्यय को ₹6.96 करोड़ कम करके दिखाया है।

अनुलग्नक 3.13 (ख)
{पैराग्राफ 3.5.4(ii) देखें}

पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में गलत ढंग से दर्ज करना

क्रम सं.	अनुदान	राशि *(₹ करोड़ में)*
1	**अनुदान संख्या 95- अंतरिक्ष विभाग**	1.75

1. जीएसएलवी-निरंतरता परियोजना, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) पर ₹0.57 करोड़ का व्यय, पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के बजाय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '21-आपूर्ति और सामग्री' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।

   डीओएस ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि ये वस्तुएं ग्राउंड टेस्टिंग/आरएंडडी उद्देश्यों के लिए खरीदी गई थी, और कुछ उपभोग्य तार थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसएलवी की वित्तीय मंजूरी के प्रति सभी व्यय अंतरिक्ष उपयोगी(खपत) वस्तुएं होंगी और अंतरिक्ष परिसंपत्ति का हिस्सा बनेंगी और उन्हें पूंजीगतकृत किया जाना चाहिए।

2. जीएसएलवी-निरंतरता परियोजना, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी), रीसैट-1ए और 1बी आदि पर ₹1.18 करोड़ का व्यय, पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के बजाय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।

   डीओएस ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि ये मदें राजस्व प्रकृति की थी, जो परिवहन और आकस्मिक शुल्क, उपग्रहों को स्थित करने के लिए आश्रय, आदित्य एल 1 उपग्रह के कार्यस्थानों और सहायक उपकरणों के प्रेषण आदि पर व्यय की गई थी और इसलिए राजस्व अनुभाग के तहत दर्ज की गईं।

   उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नेविगेशन सैटेलाइट, आरआईएसएटी1ए सैटेलाइट, ओसियन्स 3 और 3A सैटेलाइट आदि की वित्तीय मंजूरी के प्रति किए गए सभी अंतरिक्ष उपयोगी(खपत) वस्तुएं और सभी व्यय अंतरिक्ष परिसंपत्ति हैं और उन्हें पूंजीगतकृत किया जाना चाहिए। राजस्व अनुभाग के तहत व्यय की पूंजीगत प्रकृति की बुकिंग ने पूंजीगत व्यय को ₹1.75 करोड़ कम करके दिखाया है।

अनुलग्नक 3.14
{पैराग्राफ 3.5.4(iii) देखें}
'31-सहायता अनुदान-सामान्य', '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' तथा '36-सहायता अनुदान-वेतन' वस्तु शीर्ष का गैर-संचालन

क्रम सं.	वस्तु शीर्ष के अंतर्गत बुक की गई निधियाँ	सही वस्तु शीर्ष जिसके अंतर्गत निधियां दर्ज की जानी चाहिए थीं	मात्रा *(₹ करोड़ में)*
राजस्व			
1.	3402.101.84.00.06	3402.101.84.00.31	0.06
2.	3402.101.84.00.11	3402.101.84.00.31	0.88
3.	3402.101.84.00.12	3402.101.84.00.31	0.36
4.	3402.101.84.00.13	3402.101.84.00.31	2.13
5.	3402.101.84.00.14	3402.101.84.00.31	0.10
6.	3402.101.84.00.20	3402.101.84.00.31	0.14
7.	3402.101.84.00.21	3402.101.84.00.31	0.03
8.	3402.101.84.00.24	3402.101.84.00.31	0.04
9.	3402.101.84.00.26	3402.101.84.00.31	0.05
10.	3402.101.84.00.27	3402.101.84.00.31	0.00
11.	3402.101.84.00.28	3402.101.84.00.31	0.12
12.	3402.101.84.00.30	3402.101.84.00.31	0.02
13.	3402.101.84.00.50	3402.101.84.00.31	1.51
14.	3402.101.84.99.13	3402.101.84.00.31	0.39
15.	3402.101.84.99.50	3402.101.84.00.31	0.21
16.	3402.101.84.00.01	3402.101.84.00.36	5.04
		कुल	**11.08**
पूंजीगत			
1.	5402.101.81.00.51	ओएच '35 के अंतर्गत राजस्व भाग - पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान'	0.82
2.	5402.101.81.99.52		8.99
		कुल	**9.81**

अनुलग्नक 3.15
{पैराग्राफ 3.5.4(iv) देखें}

विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच लेखा शीर्षों का गलत उपयोग

क्रम सं.	अनुदान	राशि *(₹ करोड़ में)*
1.	**24-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**	**243.07**

1. पीएओ (आईएमडी), एमओईएस द्वारा विभिन्न उपकरणों (अर्थात एमएफआई सिस्टम और डॉपलर मौसम रडार) के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) पर व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹8.20 करोड़ का व्यय किया गया और इसे वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के बजाय वस्तु शीर्ष '27-लघु कार्य' के तहत दर्ज किया गया।

   मंत्रालय ने जवाब दिया (अगस्त 2023) कि सीएएमसी में डॉपलर वेदर रडार और एमएफआई सिस्टम के सभी दोषपूर्ण भागों/उपकरणों का निवारक और उचित रखरखाव और मरम्मत/प्रतिस्थापन शामिल है ताकि इसे सेवा योग्य रखा जा सके। इस तरह के भुगतान पांच वर्ष से अधिक समय से अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार छोटे-मोटे कामों से किए गए हैं।

2. 'एफओआरवी सागर संपदा पोत के लिए पानी के नीचे और जहाज पर वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद' पर किए गए ₹8.90 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष **'35** -पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' के बजाय वस्तु शीर्ष '31-अनुदान-सहायता सामान्य ' के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था।

   अपने उत्तर (अगस्त 2023) में मंत्रालय ने कहा कि जहाजों के लिए पोत संवर्धन (शिपबोर्ड और वैज्ञानिक उपकरण) आदि समुद्र में परिचालन उद्देश्यों के लिए व्यय योग्य/उपभोज्य हैं।

   उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उद्धृत प्रशासनिक आदेश के तहत परियोजनावार बजट विभाजन में अनुसंधान जहाजों के संचालन और रखरखाव के तहत 'जहाज और वैज्ञानिक उपकरणों, जहाज/आईवीएचएम आदि के पर्यावरण अनुक्रमण' के लिए निधि/व्यय को गैर-आवर्ती/पूंजीगत प्रकृति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

3. डीप ओशन मिशन योजना के अंतर्गत गैर-आवर्ती तथा आवर्ती व्यय के लिए जारी किए गए ₹184.32 करोड़ को केवल वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया। वस्तु शीर्ष '31- सामान्य सहायता अनुदान' (आवर्ती व्यय) और '35 - पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' (गैर-आवर्ती व्यय) में विभाजित करने के बजाय केवल '31- सामान्य सहायता अनुदान' (आवर्ती व्यय) में विभाजित किया जाएगा।

   जवाब में मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2023) कि एनआईओटी और आईएनसीओआईएस द्वारा प्रस्तुत यूसी में केवल आवर्ती मदों के लिए व्यय दर्शाया गया है और पूंजीगत खरीद से संबंधित सभी व्यय गैर-आवर्ती मदों से किए जाएंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एनआईओटी द्वारा प्रस्तुत यूसी में अनुदान सहायता सामान्य के माध्यम से प्रदान की गई धनराशि के प्रति गैर-आवर्ती घटक के लिए ₹51.71 करोड़ का व्यय दर्शाया गया था।

4. 'जहाजों के लिए गैर-आवर्ती बजट/व्यय' के लिए जारी किए गए ₹30.36 करोड़ को 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के स्थान पर वस्तु शीर्ष 31 - सामान्य अनुदान के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।
   जवाब में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2023) कि ड्राई डॉकिंग आदि से संबंधित सभी व्यय जहाजों के संचालन और रखरखाव से संबंधित थे और योजना के प्रशासनिक आदेश दिनांक 07 मार्च 2022 के प्रावधान के अनुसार भुगतान राजस्व शीर्ष से किया जाना आवश्यक था।

   उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उद्धृत प्रशासनिक आदेश के तहत परियोजनावार बजट विभाजन में अनुसंधान पोतों के संचालन एवं रखरखाव के अंतर्गत 'ड्राई-डॉकिंग और अफ्लोट मरम्मत' के लिए निधि/व्यय को गैर-आवर्ती/पूंजीगत प्रकृति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. एनसीएमआरडब्ल्यूएफ, नोएडा में उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग-एमआईएचआईआर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम हेतु आवश्यक डेटा सेंटर के लिए व्यापक समर्थन/वार्षिक रखरखाव अनुबंध और ओ एंड एम सेवाओं के लिए व्यावसायिक सेवाओं पर किए गए ₹11.29 करोड़ के व्यय को '28 - व्यावसायिक सेवाएं' के बजाय '27 -लघु कार्य' के तहत दर्ज किया गया था।

जवाब में मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2023) कि ' व्यावसायिक सेवाओं' के रूप में दर्ज ₹1.38 करोड़ का व्यय वारंटी समर्थन अवधि से संबंधित था। इसके विपरीत, ₹11.29 करोड़ का शेष भुगतान वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद एएमसी के लिए किया गया था, इसलिए पांच वर्ष से

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>अनुदान</th><th>राशि
(₹ करोड़ में)</th></tr>
<tr><td colspan="3">अधिक समय से अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार इसे 'मामूली कार्यों' के तहत दर्ज किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सेवाओं की प्रकृति वारंटी अवधि या उसके बाद भी एक जैसी ही रही।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</td><td>2.14</td></tr>
<tr><td colspan="3">₹2.14 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएँ' के बजाय वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया।
विभाग ने अपने उत्तर (सितंबर 2023) में अवलोकन को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि इसे भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>64-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</td><td>109.27</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए नामांकन शुल्क, ई-श्रम कार्ड के प्रिंट पर ₹109.23 करोड़ का व्यय, पीएओ मुख्य सचिवालय द्वारा वस्तु शीर्ष 16- प्रकाशन के तहत दर्ज करने के बजाय वस्तु शीर्ष 50-अन्य शुल्क के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।
2. यात्रा भत्ते के बिलों के भुगतान/प्रतिपूर्ति पर किए गए ₹0.04 करोड़ के व्यय को पीएओ श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा वस्तु शीर्ष '11-घरेलू यात्रा व्यय' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।
मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>86- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</td><td>17.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. भारतीय राजमार्ग इंजीनियर अकादमी (आईएएचई) द्वारा सहायक विद्युत इंजीनियरों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर किए गए ₹4.46 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '20 - अन्य प्रशासनिक व्यय' के स्थान पर वस्तु शीर्ष '50 - अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया।
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटीआर) में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय चेयर की स्थापना पर किए गए ₹5.00 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष "28- व्यावसायिक सेवाएं" के बजाय वस्तु शीर्ष '50- अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया।
3. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर (जेएनटीयूए) द्वारा "सड़क निर्माण में प्राकृतिक रबर का उपयोग" पर शोध प्रस्ताव के लिए किए गए ₹1.23 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष "31 - सहायता-अनुदान-सामान्य" के बजाय वस्तु शीर्ष '50- अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
4. केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय राजमार्ग इंजीनियर अकादमी (आईएएचई) को भुगतान किए गए ₹2.50 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष "20 - अन्य प्रशासनिक व्यय " के बजाय वस्तु शीर्ष '50- अन्य प्रभार' के तहत दर्ज किया गया था।
5. आर एफ आई डी आधारित गुड ट्रैफिक व्यवहार प्रोत्साहन प्रणाली के लिए हार्डवेयर विकसित करने और स्थापित करने के लिए नागपुर नगर निगम द्वारा किए गए ₹3.91 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष" 35 - पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान" के बजाय वस्तु शीर्ष '50- अन्य शुल्क' के तहत दर्ज किया गया था।
मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि कैलेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों और उनके निगमों के प्रशिक्षण के लिए आईएएचई को जारी किए गए ₹6.69 करोड़ के निधि में सभी विविध व्यय जैसे बोर्डिंग, लॉजिंग और अन्य विविध व्यय शामिल हैं। चूंकि मुख्य शीर्ष प्रशिक्षण आदि के लिए है, इसलिए आईएएचई को निधि वस्तु शीर्ष 50-अन्य शुल्क से जारी किया गया था।
उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने व्यय को उपयुक्त शीर्ष '20 - अन्य प्रशासनिक व्यय' के बजाय वस्तु शीर्ष '50 - अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप विनियोग की प्राथमिक इकाइयों अर्थात वस्तु शीर्षों के बीच लेखा शीर्षों का गलत उपयोग हुआ।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>89-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</td><td>1.77</td></tr>
<tr><td colspan="3">इंस्पायर योजना के अंतर्गत विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में कुल ₹1.77 करोड़ की धनराशि जारी की, तथा इसे वस्तु शीर्ष 50- 'अन्य प्रभार' के स्थान पर वस्तु शीर्ष - 31- 'सामान्य अनुदान' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज कर दिया।
विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वस्तु शीर्ष 49-अन्य राजस्व व्यय' के सृजन के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए गए थे क्योंकि वस्तु शीर्ष 50- अन्य प्रभार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाद बंद कर दिया गया है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>अनुदान</th><th>राशि
(₹ करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>**6.**</td><td>**91-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग**</td><td>**540.08**</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 3425.60.151.02.00.35 अनुदान के स्थान पर शीर्ष 3425.60.151.02.00.31- सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत पेटेंट करने और रखरखाव पर ₹26.71 करोड़ का व्यय हुआ।
विभाग ने (अक्टूबर 2023) जवाब दिया कि सीएसआईआर को उनके अनुसंधान एवं विकास प्रकृति के कारण पेटेंट का मूल्यांकन व्यवहार्य नहीं लगा। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पेटेंट पर होने वाला खर्च अनिवार्य रूप से परिसंपत्ति वर्ग के अंतर्गत आता है।
2. छात्रवृत्तियों/वजीफों/पुरस्कारों पर ₹513.37 करोड़ के समस्त व्यय को '34-छात्रवृत्ति/वजीफा' और '50- अन्य प्रभार' के स्थान पर वस्तु शीर्ष '31 -सामान्य अनुदान' के अंतर्गत दर्ज किया।
विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2023) में बताया कि वस्तु शीर्ष-34 के अंतर्गत छात्रवृत्ति/फेलोशिप के लिए सहायता अनुदान जारी करना वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>**7.**</td><td>**95-अंतरिक्ष विभाग (डीओएस)**</td><td>**14.47**</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. पीएओ-इसरो मुख्यालय द्वारा राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं (एनएएल), बैंगलोर, सीएसआईआर की एक इकाई, जो कि डीएसआईआर के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है, को केन्द्रीय विद्यालय की व्यवस्थित करने में आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के लिए भुगतान किए गए ₹1.15 करोड़ के व्यय को गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के बजाय वस्तु शीर्ष '21-आपूर्ति और सामग्री' और '27-लघु कार्य' के तहत दर्ज किया गया था।
विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि व्यय को वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राशि को अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से वस्तु शीर्ष '21-आपूर्ति और सामग्री' और '27-लघु कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
2. पीएओ-यूआरएससी (परियोजना) द्वारा मल्टी-चैनल स्टैटिक टेस्ट लोडिंग सिस्टम के संवर्धन के लिए किए गए ₹1.16 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।
डी ओ एस ने भविष्य के अनुपालन (सितंबर 2023) के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन पर ध्यान दिया।
3. सी-बैंड टीडब्ल्यूटी एम्पलीफायर (ग्राउंड यूज) की खरीद पर पीएओ-यूआरएससी (प्रोजेक्ट) द्वारा किए गए ₹2.18 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के तहत दर्ज करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '60 -अन्य पूंजीगत व्यय' के तहत दर्ज किया गया था।
डीओएस ने भविष्य के अनुपालन (सितंबर 2023) के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया।
4. उपकरण एल-आर्म असेंबली के निर्माण पर किए गए ₹2.57 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '60 -अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
अंतरिक्ष विभाग ने भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (सितंबर 2023)।
5. पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस के लिए प्रदर्शनी मंडप/स्थान किराये पर लेने के लिए पीएओ-इसरो मुख्यालय द्वारा किए गए ₹3.09 करोड़ के व्यय को गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '26-विज्ञापन और प्रचार' के बजाय वस्तु शीर्ष '21-आपूर्ति और सामग्री' के तहत दर्ज किया गया था।
अंतरिक्ष विभाग (सितंबर 2023) ने भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा बिंदु पर ध्यान दिया।
6. कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) आयोजित करने के लिए पीएओ-यूआरएससी (केंद्र) द्वारा किए गए ₹4.32 करोड़ के व्यय को '28-व्यावसायिक सेवाएं' के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '14-किराया, दरें और कर', और '50-अन्य शुल्क' के तहत दर्ज किया गया था।
अंतरिक्ष विभाग (सितंबर 2023) ने भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया।</td></tr>
<tr><td colspan="2">**कुल योग**</td><td>**927.90**</td></tr>
</table>

अनुलग्नक 4.1
{पैराग्राफ 4.1.1 देखें}

प्राधिकरण और व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक संवितरण	बचत (-) अतिरिक्त (+)
क - सिविल					
दत्तमत					
राजस्व	22,45,437.84	5,44,847.48	27,90,285.32	25,22,357.38	(-)2,67,927.94
पूंजीगत (ऋण और अग्रिम सहित)	6,60,409.98	43,261.50	7,03,671.48	6,44,614.97	(-)59,056.51
कुल	**29,05,847.82**	**5,88,108.98**	**34,93,956.80**	**31,66,972.35**	**(-)3,26,984.45**
प्रभारित					
आय	11,68,404.55	4,950.02	11,73,354.57	11,51,203.87	(-)22,150.70
पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	71,07,545.15	70,931.61	71,78,476.76	72,28,135.59	49,658.83
कुल	**82,75,949.70**	**75,881.63**	**83,51,831.33**	**83,79,339.46**	**27,508.13**
कुल योग	**1,11,81,797.52**	**6,63,990.61**	**1,18,45,788.13**	**1,15,46,311.81**	**(-)2,99,476.32**
व्यय में कमी से वसूली			7,46,566.84	6,38,789.72	
कुल निवल प्रावधान			1,10,99,221.29		
कुल निवल व्यय				**1,09,07,522.09**	
ख - डाक					
दत्तमत					
राजस्व	35,506.47	0.00	35,506.47	32,595.05	(-)2,911.42
पूंजीगत	888.62	0.00	888.62	1476.67	588.05
कुल	**36,395.09**	**0.00**	**36,395.09**	**34,071.72**	**(-)2,323.37**
प्रभारित					
राजस्व	0.80	0.00	0.80	0.51	(-)0.29
पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.80**	**0.00**	**0.80**	**0.51**	**(-)0.29**
कुल योग	**36,395.89**	**0.00**	**36,395.89**	**34,072.23**	**(-)2,323.66**
व्यय में कमी से वसूली			1,200.00	1,139.24	
कुल निवल प्रावधान			35,195.89		
कुल निवल व्यय				**32,932.99**	

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक संवितरण	बचत (-) अतिरिक्त (+)
ग - रक्षा सेवाएँ						
दत्तमत						
राजस्व		2,39,645.67	27,218.87	2,66,864.54	2,64,324.56	(-)2,539.98
पूंजीगत		1,52,280.34	0.02	1,52,280.36	1,42,774.75	(-)9,505.61
कुल		**3,91,926.01**	**27,218.89**	**4,19,144.90**	**4,07,099.31**	**(-)12,045.59**
प्रभारित						
राजस्व		98.04	21.57	119.61	52.53	(-)67.08
पूंजीगत		89.27	233.98	323.25	165.26	(-)157.99
कुल		**187.31**	**255.55**	**442.86**	**217.79**	**(-)225.07**
कुल योग		**3,92,113.32**	**27,474.44**	**4,19,587.76**	**4,07,317.10**	**(-)12,270.66**
व्यय में कमी से वसूली				73.36	144.18	
कुल निवल प्रावधान				4,19,514.40		
कुल निवल व्यय					**4,07,172.92**	
घ - रेलवे						
दत्तमत						
राजस्व		3,03,064.14	1,340.94	3,04,405.08	3,01,490.03	(-)2,915.05
पूंजीगत		3,29,089.70	12,000.01	3,41,089.71	3,16,634.38	(-)24,455.33
कुल		**6,32,153.84**	**13,340.95**	**6,45,494.79**	**6,18,124.41**	**(-)27,370.38**
प्रभारित						
राजस्व		488.00	68.80	556.80	537.04	(-)19.76
पूंजीगत		98.00	882.00	980.00	1,176.45	196.45
कुल		**586.00**	**950.80**	**1,536.80**	**1,713.49**	**176.69**
कुल योग		**6,32,739.84**	**14,291.75**	**6,47,031.59**	**6,19,837.90**	**(-)27,193.69**
व्यय में कमी से वसूली				2,80,172.71	2,17,250.83	
कुल निवल प्रावधान				3,66,858.88		
कुल निवल व्यय					**4,02,587.07**	
कुल						
कुल सीएफआई	दत्त मत	39,66,322.76	6,28,668.82	45,94,991.58	42,26,267.79	(-)3,68,723.79
	प्रभारित	82,76,723.81	77,087.98	83,53,811.79	83,81,271.25	27,459.46
कुल योग सीएफआई		**1,22,43,046.57**	**7,05,756.80**	**1,29,48,803.37**	**1,26,07,539.04**	**(-)3,41,264.33**
व्यय में कमी से कुल वसूली				10,28,012.91	8,57,323.97	
विनियोग लेखा के अनुसार कुल प्रावधान और व्यय				1,19,20,790.46	1,17,50,215.07	
वित्त लेखों से अंतर					0	
वित्त लेखों के अनुसार सीएफआई से कुल संवितरण					**1,17,50,215.07**	

***नोट:** प्रभारित और दत्तमत व्यय के लिए प्रावधान को क्रमशः विनियोग और अनुदान कहा जाता है।*

सीएफआई - भारत की संचित निधि

अनुलग्नक 4.2
{पैराग्राफ 4.1.1 एवं 4.2 देखें}

अनुदानानुसार अधिक/बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	कुल प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत/ (अधिक)	बचत/ (अधिक) का कु.प्रा. पर %
1	*40-विनियोग - ऋण की अदायगी*	*71,45,830.12*	*71,99,701.13*	(53,871.01)	(0.75)
2	58-जम्मू और कश्मीर में हस्तांतरण	44,696.13	44,696.13	0.00	0.00
3	59-पुडुचेरी में हस्तांतरण	3,129.79	3,129.77	0.02	0.00
4	*84-विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग*	*370.00*	*369.99*	0.01	0.00
5	6-उर्वरक विभाग	2,54,856.54	2,54,841.43	15.11	0.01
6	22-रक्षा पेंशन	1,53,420.38	1,53,406.90	13.48	0.01
7	35-राजस्व विभाग	3,14,293.59	3,14,161.73	131.86	0.04
8	41-पेंशन	68,340.00	68,270.72	69.28	0.10
9	*39-विनियोग - ब्याज भुगतान*	*9,74,833.67*	*9,72,715.23*	2,118.44	0.22
10	72-पंचायती राज मंत्रालय	905.78	901.18	4.60	0.51
11	68-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	23,728.23	23,583.89	144.34	0.61
12	*75-विनियोग-केन्द्रीय सतर्कता आयोग*	*43.46*	*43.16*	0.30	0.69
13	86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4,32,581.08	4,28,995.09	3,585.99	0.83
14	69-खान मंत्रालय	1,759.95	1,745.10	14.85	0.84
15	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	8,658.91	8,578.15	80.76	0.93
16	20-रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2,66,984.15	2,64,377.09	2,607.06	0.98
17	33-सार्वजनिक उद्यम विभाग	183.00	181.18	1.82	0.99
18	53-चंडीगढ़	5,846.07	5,778.80	67.27	1.15
19	38-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	6,110.77	6,027.37	83.40	1.36
20	10-वाणिज्य विभाग	7,198.02	7,081.02	117.00	1.63
21	91-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5,950.13	5,853.37	96.76	1.63
22	60-आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय	79,013.09	77,616.68	1,396.41	1.77
23	87-ग्रामीण विकास विभाग	3,37,943.79	3,31,820.80	6,122.99	1.81
24	66-चुनाव आयोग	327.25	320.23	7.02	2.15
25	18-संस्कृति मंत्रालय	3,363.10	3,284.12	78.98	2.35
26	3-परमाणु ऊर्जा	35,508.16	34,487.31	1,020.85	2.87
27	*67-विनियोग-भारत का सर्वोच्च न्यायालय*	*405.47*	*392.78*	12.69	3.13
28	26-उच्च शिक्षा विभाग	55,091.06	53,244.90	1,846.16	3.35
29	52-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,763.97	5,558.69	205.28	3.56
30	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4,182.01	4,024.13	157.88	3.78
31	83-उपराष्ट्रपति सचिवालय	8.64	8.31	0.33	3.82
32	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	3,06,311.10	2,93,774.96	12,536.14	4.09
33	85-रेलवे	6,47,031.59	6,19,837.90	27,193.69	4.20
34	51-पुलिस	1,22,016.86	1,16,509.67	5,507.19	4.51
35	*80-विनियोग - राष्ट्रपति का स्टाफ, घरेलू खर्च और भत्ते*	*84.80*	*80.38*	4.42	5.21
36	29-विदेश मंत्रालय	17,706.62	16,684.78	1,021.84	5.77
37	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	1,52,603.61	1,42,940.01	9,663.60	6.33
38	12-डाक	36,395.89	34,072.24	2,323.65	6.38
39	101-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	25,672.30	24,012.07	1,660.23	6.47

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	कुल प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत/ (अधिक)	बचत/ (अधिक) का कु.प्रा. पर %
40	65-कानून और न्याय	6,789.22	6,323.31	465.91	6.86
41	36-प्रत्यक्ष कर	9,538.54	8,876.85	661.69	6.94
42	74-कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2,502.68	2,280.59	222.09	8.87
43	13-दूरसंचार विभाग	1,34,929.73	1,22,509.06	12,420.67	9.21
44	9-कोयला मंत्रालय	547.89	497.06	50.83	9.28
45	78-पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	2,352.26	2,130.33	221.93	9.43
46	19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	49,254.60	44,567.16	4,687.44	9.52
47	7-औषध विभाग	2,270.36	2,050.10	220.26	9.70
48	76-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	34,443.56	30,912.71	3,530.85	10.25
49	82-राज्यसभा	431.71	383.52	48.19	11.16
50	71-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	12,571.01	11,121.14	1,449.87	11.53
51	77-योजना मंत्रालय	960.30	849.11	111.19	11.58
52	56-लक्षद्वीप	1,457.46	1,283.37	174.09	11.94
53	64-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	16,893.69	14,800.61	2,093.08	12.39
54	4- आयुष मंत्रालय	3,050.02	2,663.30	386.72	12.68
55	8-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	10,677.03	9,321.53	1,355.50	12.70
56	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,13,458.10	98,985.70	14,472.40	12.76
57	25-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1,11,549.40	96,890.12	14,659.28	13.14
58	28-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3,285.08	2,837.75	447.33	13.62
59	100- जनजातीय कार्य मंत्रालय	8,461.88	7,278.77	1,183.11	13.98
60	102-युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	3,062.63	2,568.49	494.14	16.13
61	81-लोकसभा	800.02	666.57	133.45	16.68
62	37-अप्रत्यक्ष कर	41,139.21	33,995.24	7,143.97	17.37
63	57-दिल्ली हस्तांतरण	1,168.01	960.49	207.52	17.77
64	90-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2,581.02	2,121.42	459.60	17.81
65	48-भारी उद्योग मंत्रालय	3,306.03	2,712.54	593.49	17.95
66	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	1,24,000.08	1,01,572.54	22,427.54	18.09
67	94-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1,212.43	989.35	223.08	18.40
68	42-राज्यों को हस्तांतरण	3,67,620.04	2,99,738.00	67,882.04	18.47
69	97-इस्पात मंत्रालय	57.72	46.04	11.68	20.24
70	16-सहकारिता मंत्रालय	2,056.04	1,636.52	419.52	20.40
71	73-संसदीय कार्य मंत्रालय	66.40	52.20	14.20	21.39
72	17- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	753.03	588.69	164.34	21.82
73	31-व्यय विभाग	476.89	366.03	110.86	23.25
74	47-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3,200.67	2,432.11	768.56	24.01
75	89-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	6,002.23	4,559.99	1,442.24	24.03
76	95-अंतरिक्ष विभाग	13,700.64	10,158.48	3,542.16	25.85
77	55-लद्दाख	5,958.22	4,179.88	1,778.34	29.85
78	11- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	8,646.79	5,956.15	2,690.64	31.12
79	5-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	209.01	143.96	65.05	31.12
80	96-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5,398.09	3,716.31	1,681.78	31.16
81	54-दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	3,882.12	2,493.42	1,388.70	35.77
82	43-मत्स्यपालन विभाग	2,118.50	1,360.56	757.94	35.78
83	62-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	19,047.06	12,201.48	6,845.58	35.94
84	27-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	14,620.05	9,220.29	5,399.76	36.93

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	कुल प्रावधान (ओ+एस)	व्यय	बचत/ (अधिक)	बचत/ (अधिक) का कु.प्रा. पर %
85	50-कैबिनेट	1,711.05	1,057.14	653.91	38.22
86	34-निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	290.42	178.89	111.53	38.40
87	44-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	4,319.99	2,660.83	1,659.16	38.41
88	24-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2,657.99	1,586.08	1,071.91	40.33
89	93-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	13,030.68	7,769.89	5,260.79	40.37
90	30-आर्थिक कार्य विभाग	20,502.28	12,133.71	8,368.57	40.82
91	49-गृह मंत्रालय	7,621.08	4,287.64	3,333.44	43.74
92	79-विद्युत मंत्रालय	18,444.25	10,233.55	8,210.70	44.52
93	88-भूमि संसाधन विभाग	2,269.62	1,259.13	1,010.49	44.52
94	45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2,942.02	1,455.13	1,486.89	50.54
95	92-कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	2,999.01	1,387.85	1,611.16	53.72
96	32-वित्तीय सेवा विभाग	7,436.92	3,337.71	4,099.21	55.12
97	63-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,34,413.14	59,790.44	74,622.70	55.52
98	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2,924.78	1,118.71	1,806.07	61.75
99	99-पर्यटन मंत्रालय	2,405.27	708.52	1,696.75	70.54
100	98-वस्त्र मंत्रालय	12,388.69	3,379.22	9,009.47	72.72
101	70-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	5,020.50	837.68	4,182.82	83.31
102	14-उपभोक्ता मामले विभाग	1,769.15	249.72	1,519.43	85.88

अनुलग्नक 4.3
{पैराग्राफ 4.2.1.2 देखें}

पर्याप्त धनराशि के प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम अधिक व्यय
अनुदान संख्या 12 - डाक विभाग				
1	5201.00.104.62- परियोजना प्रबंधन इकाई	621.72	723.93	102.21
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
2	2071.01.105.02 - पारिवारिक पेंशन	2,599.76	2,630.33	30.57
3	3275.00.800.94 - स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारी को वृद्धिशील पेंशन भुगतान	3,436.21	3,464.76	28.55
अनुदान संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)				
4	5054.02.337.03 - सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत कार्य	4,557.50	4,589.39	31.89
अनुदान संख्या 20 - रक्षा सेवाएं (राजस्व)				
5	2077.00.105 - परिवहन	760.36	795.77	35.41
6	2078.00.110 - भंडार	20,891.42	21,132.33	240.91
7	2078.00.800 - अन्य व्यय	990.85	1,098.74	107.89
अनुदान संख्या 21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
8	*4076.02.202 - निर्माण कार्य (प्रभारित)*	*28.00*	*59.42*	*31.42*
9	4076.03.202 - निर्माण कार्य	2,014.48	2,046.42	31.94
अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन				
10	2071.02.101.01 -पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1,03,687.25	1,03,769.92	82.67
11	2071.02.103.03 - छुट्टी नकदीकरण	637.12	705.87	68.75
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान				
12	*2049.03.104.02 -अन्य राज्य भविष्य निधि*	*6,229.08*	*6,644.79*	*415.71*
विनियोग संख्या 40 - ऋण की अदायगी				
13	*6001.00.115.00 -14 दिन का ट्रेजरी बिल*	*48,17,152.06*	*48,71,057.36*	*53,905.30*
अनुदान संख्या 41 - पेंशन				
14	2071.01.104.01 - साधारण पेंशन	5,650.67	6,126.68	476.01
15	2071.01.115.01 - साधारण पेंशन	3,360.00	3,460.04	100.04
16	2071.01.117.01 -सरकारी अंशदान	8,074.90	8,292.93	218.03
17	2071.01.120.01 - दिल्ली सरकार से वसूले जाने वाले पेंशनरी शुल्क	4,150.00	4,180.99	30.99
अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग				
18	2505.02.797.01 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि में हस्तांतरण	89,400.00	90,810.99	1,410.99
19	3601.06.797.05 - केंद्रीय सड़क निधि/केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (पीएमजीएसवाई-जी) में हस्तांतरण	17,249.20	18,084.70	835.50
20	3602.06.797.06 - केंद्रीय सड़क निधि/केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (पीएमएवाई-जी) में हस्तांतरण	139.00	1,031.58	892.58
	कुल	**50,91629.58**	**51,50,706.94**	**59,077.36**

अनुलग्नक 4.4
{पैराग्राफ 4.2.2.1 देखें}

अनुदान स्तर पर ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत[28]
1	63-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,34,413.14	59,790.44	74,622.70
2	42-राज्यों को हस्तांतरण	3,67,620.04	2,99,738.00	67,882.04
3	85-रेल मंत्रालय	6,47,031.59	6,19,837.90	27,193.69
4	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	1,24,000.08	1,01,572.54	22,427.54
5	25-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1,11,549.40	96,890.12	14,659.28
6	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,13,458.10	98,985.70	14,472.40
7	15-खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3,06,311.10	2,93,774.96	12,536.14
8	13-दूरसंचार विभाग	1,34,929.73	1,22,509.06	12,420.67
9	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,52,603.61	1,42,940.01	9,663.60
10	98-वस्त्र मंत्रालय	12,388.69	3,379.22	9,009.47
11	30-आर्थिक कार्य विभाग	20,502.28	12,133.71	8,368.57
12	79-विद्युत मंत्रालय	18,444.25	10,233.55	8,210.70
13	37-अप्रत्यक्ष कर	41,139.21	33,995.24	7,143.97
14	62-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	19,047.06	12,201.48	6,845.58
15	87-ग्रामीण विकास विभाग	3,37,943.79	3,31,820.80	6,122.99
16	51-पुलिस	1,22,016.86	1,16,509.67	5,507.19
17	27-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	14,620.05	9,220.29	5,399.76
18	93-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	13,030.68	7,769.89	5,260.79
कुल		**26,91,049.66**	**23,73,302.58**	**3,17,747.08**

[28] ये उसी अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त राशि को घटाकर प्राप्त राशि है।

अनुलग्नक 4.5
{पैराग्राफ 4.2.2.2 देखें}

खंड स्तर पर ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
राजस्व (दत्तमत)				
1.	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	1,23,960.82	22,396.38	18.07
2.	3-परमाणु ऊर्जा	19,664.05	878.27	4.47
3.	4- आयुष मंत्रालय	3,050.02	386.72	12.68
4.	7-औषध विभाग	2,263.25	220.21	9.73
5.	8-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	10,590.57	1,355.48	12.80
6.	10-वाणिज्य विभाग	6,797.51	111.49	1.64
7.	11- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	7,048.06	2,690.48	38.17
8.	12-डाक विभाग	35,506.47	2,911.42	8.20
9.	13-दूरसंचार विभाग	71,157.80	4,902.36	6.89
10.	14-उपभोक्ता मामले विभाग	1,742.53	1,518.45	87.14
11.	15-खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	2,94,278.19	12,514.71	4.25
12.	16-सहकारिता मंत्रालय	1,891.03	419.29	22.17
13.	17- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	712.53	129.44	18.17
14.	19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	37,126.65	627.98	1.69
15.	20-रक्षा सेवाएँ (राजस्व)	2,66,864.54	2,539.98	0.95
16.	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2,140.06	1,362.63	63.67
17.	24-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2,207.99	710.20	32.17
18.	25-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1,11,549.40	14,659.28	13.14
19.	26-उच्च शिक्षा विभाग	55,073.04	1,831.09	3.32
20.	27-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	14,232.03	5,288.35	37.16
21.	28-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3,170.05	404.72	12.77
22.	29-विदेश मंत्रालय	16,290.35	779.79	4.79
23.	30-आर्थिक कार्य विभाग	7,312.35	1,095.80	14.99
24.	31-व्यय विभाग	476.88	110.85	23.24
25.	34-निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	290.42	111.53	38.40
26.	35-राजस्व विभाग	3,14,259.29	126.54	0.04
27.	36-प्रत्यक्ष कर	8,866.80	407.75	4.60
28.	37-अप्रत्यक्ष कर	39,739.19	6,426.47	16.17
29.	42-राज्यों को हस्तांतरण	43,132.01	25,537.04	59.21
30.	43-मत्स्यपालन विभाग	2,093.93	735.65	35.13
31.	44-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	4,263.95	1,616.58	37.91
32.	45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2,942.02	1,486.89	50.54
33.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,07,825.50	11,890.62	11.03

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
34.	47-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3,200.67	768.56	24.01
35.	48-भारी उद्योग मंत्रालय	3,213.81	545.23	16.97
36.	49-गृह मंत्रालय	7,384.64	3,311.22	44.84
37.	50-कैबिनेट	1,202.23	239.87	19.95
38.	51-पुलिस	1,11,480.38	3,190.20	2.86
39.	54-दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	2,952.96	1,388.64	47.03
40.	55-लद्दाख	2,553.37	463.65	18.16
41.	57-दिल्ली को हस्तांतरण	1,168.00	207.51	17.77
42.	60-आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय	51,552.74	928.29	1.80
43.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4,156.36	157.88	3.80
44.	62-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	18,608.22	6,588.16	35.40
45.	63-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,34,413.14	74,622.70	55.52
46.	64-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	16,846.38	2,083.29	12.37
47.	70-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	4,861.50	4,182.82	86.04
48.	71-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	12,557.27	1,449.60	11.54
49.	74-कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2,087.68	118.12	5.66
50.	76-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	33,843.56	2,930.85	8.66
51.	78-पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	1,508.29	118.40	7.85
52.	79-विद्युत मंत्रालय	18,421.14	8,210.70	44.57
53.	81-लोकसभा	799.00	133.36	16.69
54.	85-रेल मंत्रालय	3,04,405.08	2,915.05	0.96
55.	86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	22,594.20	1,450.14	6.42
56.	87-ग्रामीण विकास विभाग	3,37,943.79	6,122.99	1.81
57.	88-भूमि संसाधन विभाग	2,259.37	1,000.24	44.27
58.	89-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	5,919.51	1,399.55	23.64
59.	90-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2,581.02	459.60	17.81
60.	92-कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	2,847.55	1,519.27	53.35
61.	93-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	12,787.51	5,070.80	39.65
62.	94-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1,212.42	223.07	18.40
63.	95-अंतरिक्ष विभाग	6,233.82	335.87	5.39
64.	96-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5,378.09	1,669.63	31.05
65.	98-वस्त्र मंत्रालय	12,357.16	9,008.04	72.90
66.	99-पर्यटन मंत्रालय	2,405.27	1,696.75	70.54
67.	100-जनजातीय कार्य मंत्रालय	3,791.53	559.41	14.75
68.	101-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	25,670.30	1,658.23	6.46
69.	102-युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	3,057.31	490.82	16.05
राजस्व (प्रभारित)				
70.	*39-ब्याज भुगतान*	*9,74,833.67*	*2,118.44*	*0.22*
71.	*42-राज्यों को हस्तांतरण*	*1,92,108.00*	*19,348.32*	*10.07*
72.	*100- जनजातीय कार्य मंत्रालय*	*4,620.35*	*593.70*	*12.85*

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
पूंजीगत (दत्तमत)				
73.	3-परमाणु ऊर्जा	15,825.11	141.41	0.89
74.	13-दूरसंचार विभाग	63,745.79	7,518.30	11.79
75.	19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	12,090.02	4,054.65	33.54
76.	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,52,280.36	9,505.61	6.24
77.	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	784.72	443.44	56.51
78.	24-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	450.00	361.71	80.38
79.	27-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	388.02	111.42	28.72
80.	29-विदेश मंत्रालय	1,416.24	242.02	17.09
81.	30-आर्थिक कार्य विभाग	13,189.93	7,272.77	55.14
82.	32-वित्तीय सेवा विभाग	6,072.07	4,086.07	67.29
83.	36-प्रत्यक्ष कर	671.74	253.94	37.80
84.	37-अप्रत्यक्ष कर	1,400.02	717.50	51.25
85.	42-राज्यों को हस्तांतरण	1,00,000.02	18,804.67	18.80
86.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	5,632.60	2,581.78	45.84
87.	50-कैबिनेट	508.82	414.04	81.37
88.	51-पुलिस	10,522.00	2,309.31	21.95
89.	52-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	587.42	115.72	19.70
90.	55-लद्दाख	3,404.85	1,314.70	38.61
91.	56-लक्षद्वीप	221.91	134.46	60.59
92.	60-आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय	27,303.06	456.70	1.67
93.	62-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	438.84	257.42	58.66
94.	65-कानून और न्याय	1,615.00	423.76	26.24
95.	76-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	600.00	600.00	100.00
96.	78- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	843.97	103.53	12.27
97.	85-रेल मंत्रालय	3,41,089.71	24,455.33	7.17
98.	86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4,09,981.88	2,131.21	0.52
99.	93-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	243.17	190.00	78.13
100.	95-अंतरिक्ष विभाग	7,465.22	3,205.78	42.94
पूंजीगत (प्रभारित)				
101.	*21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय*	*323.25*	*157.99*	*48.88*
102.	*42-राज्यों को हस्तांतरण*	*32,380.01*	*4,192.00*	*12.95*
कुल			**3,94,020.65**	

अनुलग्नक 4.6 क

{पैराग्राफ 4.2.2.3 देखें}

लघु/उप शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की अन्य महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्षक	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग				
1	2401.00.110.14 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	10,542.78	7,480.14	3,062.64
2	2401.00.114.17 - कृष्णोन्नति योजना	754.88	239.67	515.21
3	2401.00.789.40 - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	9,854.17	7,002.41	2,851.76
4	2401.00.789.45 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	2,389.58	1,620.12	769.46
5	2416.00.789.03 - संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)	2,917.73	1,191.52	1,726.21
6	3601.06.101.95 - कृष्णोन्नति योजना	2,324.09	1,539.32	784.77
7	3601.06.101.96 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	6,131.33	3,258.97	2,872.36
8	3601.06.789.77 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,313.79	649.61	664.18
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा				
9	6801.00.206.01 - न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ऋण	6,125.00	4,599.00	1,526.00
अनुदान संख्या 8 - नागरिक उड्डयन मंत्रालय				
10	3053.80.190.04 - एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग (एसपीवी)	9,259.91	7,200.00	2,059.91
अनुदान संख्या 11 - उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग				
11	2885.03.102.01 - राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)	1,500.01	108.69	1,391.32
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
12	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	11,979.90	9,818.43	2,161.47
13	2071.01.102.01 - साधारण पेंशन	1,355.00	807.13	547.87
14	2071.01.104.01 - साधारण पेंशन	3,458.70	2,230.97	1,227.73
15	3275.00.800.93 - 4G स्पेक्ट्रम पर जीएसटी के लिए अनुदान	3,550.00	0.00	3,550.00
16	5275.00.101.05 - भारत नेट	5,999.00	1,432.83	4,566.17
17	5275.00.190.03 - बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूंजीगत निवेश	44,720.01	26,386.44	18,333.57
18	5275.00.797.01 - ओएफसी आधारित नेटवर्क - केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में निधि का हस्तांतरण	1,961.00	0.00	1,961.00
अनुदान संख्या 14 - उपभोक्ता मामले विभाग				
19	3456.00.001.14 - मूल्य स्थिरीकरण निधि	1,350.00	0.01	1,349.99
अनुदान संख्या 15 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग				
20	2408.01.101.10 - एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय आवाजाही और एफपीएस डीलर के मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता	5,219.53	0.00	5,219.53
21	2408.01.102.10 - एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत खाद्यान्न लेनदेन पर एफसीआई और अन्य को देय सब्सिडी	1,87,495.15	1,73,167.51	14,327.64

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्षक	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)				
22	4047.00.037.01 - तट रक्षक संगठन	4,246.38	3,300.25	946.13
23	5054.02.797.01 - सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत कार्य	3,500.00	0.00	3,500.00
अनुदान संख्या 25 - स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
24	2202.02.797.02 - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में अंतरण के लिए धनराशि	10,100.01	0.00	10,100.01
25	3601.06.101.67 - समग्र शिक्षा- प्रारंभिक शिक्षा	18,314.27	17,699.80	614.47
26	3601.06.101.87 - अनुकरणीय	1,065.15	0.00	1,065.15
अनुदान संख्या 26 - उच्चतर शिक्षा विभाग				
27	2202.03.102.23 - उच्चतर शिक्षा	1,627.54	956.88	670.66
28	3601.06.101.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	1,135.89	260.31	875.58
अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
29	2852.07.102.04 - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	1,944.37	634.03	1,310.34
30	2852.07.187.01 - बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई	4,056.58	1,540.27	2,516.31
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग				
31	5465.01.190.46 - राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश	5,000.00	1,681.34	3,318.66
32	5465.01.190.51- एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में पूंजीगत निवेश	1,000.00	0.00	1,000.00
33	5466.00.207.02 - मूल्य रखरखाव (एमओवी) दायित्व	1,000.00	0.00	1,000.00
अनुदान संख्या 32 - वित्तीय सेवा विभाग				
34	4416.00.190.01 - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजीगत में सदस्यता	500.00	0.00	500.00
35	4416.00.190.03 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार के हिस्से का योगदान	1,361.00	0.00	1,361.00
36	4885.01.190.09 - भारतीय निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजीगत में सदस्यता	1,500.00	0.00	1,500.00
37	6885.01.190.20- सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)	500.00	0.00	500.00
38	7465.00.101.07 - आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत ऋण	500.00	0.00	500.00
अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर				
39	2037.00.109.01 - निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट के तहत स्क्रिप्स जारी करना	14,245.40	13,174.67	1,070.73
40	2037.00.111.01 - भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) के तहत स्क्रिप्स जारी करना	3,288.80	1,248.13	2,040.67
41	2037.00.112.01 - भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) के तहत स्क्रिप्स जारी करना	4,000.80	2,610.35	1,390.45
42	2037.00.113.01 - टारगेट प्लस योजना के अंतर्गत छूट/प्रोत्साहन के तहत स्क्रिप्स जारी करना	1,032.68	129.32	903.36
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान				
43	*2048.00.200.13 - सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर प्रीमियम का भुगतान*	*3,213.61*	*1,025.68*	*2,187.93*

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्षक	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
44	*2049.01.101 - बाजार ऋण पर ब्याज*	*6,57,048.70*	*6,53,109.21*	*3,939.49*
45	*2049.01.115 - भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज*	*1,000.00*	*23.85*	*976.15*
46	*2049.01.122 - 1-4-99 से लघु बचत के निवल संग्रह के प्रति जारी विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज*	*98,875.62*	*95,680.75*	*3,194.87*
47	*2049.01.128 - नकद प्रबंधन बिलों पर छूट*	*1,000.00*	*0.00*	*1,000.00*
48	*2049.03.108.02 - औद्योगिक श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन सह जीवन बीमा निधि*	*17,962.47*	*17,083.14*	*879.33*
49	*2049.60.106.17 - 8.40% तेल कंपनियों के भारत सरकार के विशेष बांड, 2025*	*780.94*	*172.78*	*608.16*
50	*2049.60.106.18 - 8.20% तेल कंपनियों के भारत सरकार के विशेष बांड, 2023*	*1,804.00*	*656.90*	*1,147.10*
विनियोग संख्या 40 - ऋण की अदायगी				
51	*6001.00.101 - बाजार ऋण*	*4,76,387.57*	*4,09,558.04*	*66,829.53*
52	*6001.00.103.01 - 91 दिन का ट्रेजरी बिल*	*8,43,270.56*	*7,39,748.84*	*1,03,521.72*
53	*6001.00.105.02 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष*	*7,000.00*	*5,040.64*	*1,959.36*
54	*6001.00.106.30 - 8% बचत बांड, 2003 (कर योग्य)*	*16,884.91*	*14,912.86*	*1,972.05*
55	*6001.00.114 - भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम*	*5,00,000.00*	*57,596.00*	*4,42,404.00*
56	*6001.00.122 - 1-4-1999 से लघु बचत के निवल संग्रह के प्रति जारी विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियाँ*	*1,41,509.67*	*1,37,679.96*	*3,829.71*
57	*6001.00.127 - नकद प्रबंधन बिल*	*1,00,000.00*	*0.00*	*1,00,000.00*
58	*6002.00.217 - जापान सरकार से ऋण*	*7,266.30*	*6,231.50*	*1,034.80*
अनुदान संख्या 41 - पेंशन				
59	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	31,500.00	30,289.77	1,210.23
अनुदान संख्या 42 - राज्यों को हस्तांतरण				
60	2210.80.800.06 - कोविड-19 टीकाकरण के लिए सहायता	5,000.00	959.97	4,040.03
61	2245.80.103.02 - गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता	10,408.00	1,665.89	8,742.11
62	*3601.07.102.01 - ग्रामीण निकाय अनुदान (राज्य)*	*46,513.00*	*45,577.75*	*935.25*
63	*3601.07.103.01 - शहरी निकाय अनुदान (राज्य)*	*22,908.00*	*17,779.25*	*5,128.75*
64	*3601.07.104.01 - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि अनुदान (राज्य)*	*18,635.20*	*16,392.80*	*2,242.40*
65	*3601.07.105.01 - राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अनुदान (राज्य)*	*4,658.80*	*3,500.00*	*1,158.80*
66	3601.07.105.02 - राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि से राज्य को सहायता (राज्य)	2,602.00	0.00	2,602.00
67	*3601.07.106.01 - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे हेतु समर्थन*	*3,478.42*	*1,049.07*	*2,429.35*
68	*3601.07.106.02 - ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ*	*994.20*	*318.16*	*676.04*
69	*3601.07.106.03 - शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (शहरी के लिए)*	*4,524.80*	*873.51*	*3,651.29*
70	*3601.07.106.04 - भवनविहीन उपकेंद्र, पीएचसी, सीएचसी (ग्रामीण के लिए)*	*1,349.95*	*154.35*	*1,195.60*

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्षक	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
71	*3601.07.106.05 - ग्रामीण पीएचसी और उप केंद्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में परिवर्तित करना (ग्रामीण के लिए)*	*2,844.63*	*913.79*	*1,930.84*
72	3601.08.111.09 - विशेष सहायता (राज्य)	15,000.00	2,271.23	12,728.77
73	*7601.09.101.03 - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (बैक टू बैक)*	*31,930.00*	*27,673.42*	*4,256.58*
74	7601.09.101.05 - पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता की योजना	1,00,000.00	81,195.35	18,804.65
अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
75	2408.01.103.23 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	1,022.00	489.83	532.17
अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
76	2210.05.105.41 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)	5,673.13	5,048.17	624.96
77	2210.06.001.11 - आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीला पूल राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन	1,779.00	661.22	1,117.78
78	3601.06.101.20 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	4,265.23	1,235.06	3,030.17
79	3601.06.101.94 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	2,164.25	449.61	1,714.64
80	3601.06.789.15 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	1,500.55	459.99	1,040.56
81	3601.06.789.75 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम- एबीएचआईएम)	713.77	187.40	526.37
82	3601.06.796.15 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	781.72	268.35	513.37
83	3601.06.797.08 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में हस्तांतरण के लिए धनराशि	16,385.50	12,159.52	4,225.98
84	4210.03.105.12 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)	4,274.87	2,469.47	1,805.40
अनुदान संख्या 47 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग				
85	2210.05.105.61 - पीएम-एबीएचआईएम जैव सुरक्षा तैयारी और महामारी अनुसंधान को मजबूत करना और एक स्वास्थ्य के लिए बहु क्षेत्र राष्ट्रीय संस्थान और मंच	690.00	125.84	564.16
अनुदान संख्या 48 - भारी उद्योग मंत्रालय				
86	2852.80.800.37 - ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	2,913.28	1,183.68	1,729.60
अनुदान संख्या 49 - गृह मंत्रालय				
87	3454.01.001.04 - गणना	3,000.55	164.63	2,835.92
अनुदान संख्या 51 - पुलिस				
88	3601.06.101.11 - पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	1,900.49	1,025.24	875.25
अनुदान संख्या 54 - दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव				
89	2801.05.103.01 - संचालन और रखरखाव	1,412.00	23.73	1,388.27
अनुदान संख्या 55 - लद्दाख				
90	4575.04.001.02 - सचिव वित्त- केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख	2,666.00	1,377.36	1,288.64

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्षक	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 60 - आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय				
91	3601.06.101.24 - शहरी संरक्षण मिशन- 500 बस्तियाँ (अमृत)	6,685.40	6,007.34	678.06
92	3601.06.101.31 - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	19,446.07	11,026.29	8,419.78
93	6217.60.190.01 - एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	15,428.00	12,032.13	3,395.87
अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				
94	2700.80.190.03 - नदियों को आपस में जोड़ना	1,400.00	624.34	775.66
95	2701.80.800.27 - पीएमकेएसवाई के तहत नाबार्ड से ऋण शोधन	4,585.00	3,757.85	827.15
96	3435.04.101.08 - राष्ट्रीय गंगा योजना	2,800.01	2,183.69	616.32
97	3601.06.101.89 - विदर्भ और मराठवाड़ा जिलों तथा महाराष्ट्र के अन्य दीर्घकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने हेतु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज	800.00	213.02	586.98
98	3601.06.101.92 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएँ	2,607.69	601.75	2,005.94
99	3601.06.101.93 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	962.00	99.07	862.93
100	3601.06.796.30 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएँ	600.00	66.85	533.15
अनुदान संख्या 63 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग				
101	2215.01.789.02 - जल जीवन मिशन	13,200.00	12,100.00	1,100.00
102	2215.01.797.01 - केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतरण - जेजेएम	60,000.00	0.00	60,000.00
103	2215.02.797.02 - केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)-एसबीएम(जी) में अंतरण	1,151.61	0.00	1,151.61
104	3601.06.101.55 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	3,283.79	2,474.48	809.31
105	3601.06.797.04 - केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)-एसबीएम(जी) में अंतरण	5,790.39	0.00	5,790.39
अनुदान संख्या 64 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय				
106	2230.01.111.06 - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	4,764.50	3,771.31	993.19
अनुदान संख्या 68 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय				
107	2851.00.102.99 - बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम	1,389.05	650.00	739.05
अनुदान संख्या 70 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय				
108	2225.04.277.03 - अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1,298.90	43.95	1,254.95
109	3601.06.101.64 - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)	1,247.38	104.58	1,142.80
अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
110	2802.80.102.08 - एलपीजी के लिए डीबीटी	3,496.00	157.31	3,338.69
111	4802.03.101.01 - भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान	600.00	0.00	600.00
अनुदान संख्या 79 - विद्युत मंत्रालय				
112	2801.01.800.01 - पाकल दुल परियोजना-जेकेएसपीडीसीएल	1,455.98	424.92	1,031.06
113	2801.05.789.03 - सुधार से जुड़ी संवितरण योजना	1,246.25	318.79	927.46

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्षक	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
114	2801.05.797.02 - केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरएंडआईएफ) से प्राप्त आईपीडीएस योजना में अंतरण	1,550.00	0.00	1,550.00
115	2801.05.800.09 - सुधार से जुड़ी संवितरण योजना	5,735.25	2,224.91	3,510.34
अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
116	3601.08.108.01 - राज्य सड़कों के लिए अनुदान	8,047.71	7,100.98	946.73
117	3601.08.797.01 - केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण के लिए ब्लॉक अनुदान	8,047.71	7,499.41	548.30
118	5054.01.337.01 - सड़क विंग के अंतर्गत कार्य	6,306.86	2,430.55	3,876.31
119	5054.80.797.03 - राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण के लिए अंतरण	20,000.00	10,000.00	10,000.00
120	5054.80.797.06 - - राष्ट्रीय निवेश कोष में अंतरण	13,505.00	10,663.67	2,841.33
अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग				
121	3601.06.101.25 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	34,485.51	32,030.00	2,455.51
122	3602.06.101.30 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1,500.00	741.72	758.28
123	3602.06.797.04 - केंद्रीय सड़क निधि/केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (पीएमजीएसवाई) में अंतरण	1,500.00	741.72	758.28
अनुदान संख्या 88 - भूमि संसाधन विभाग				
124	3601.06.101.53 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास घटक	1,165.00	639.35	525.65
अनुदान संख्या 92 - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय				
125	2230.03.102.15 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	1,273.58	618.88	654.70
अनुदान संख्या 93 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय				
126	2225.01.789.36 - अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)	950.00	236.99	713.01
127	3601.06.789.34 - अनुसूचित जातियों के विकास के लिए व्यापक योजना	8,312.21	5,150.97	3,161.24
अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग				
128	5402.00.101.35 - मानव मिशन पहल / मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान)	1,992.80	874.30	1,118.50
अनुदान संख्या 96 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
129	2553.00.101.01 - सहायता अनुदान	3,965.00	2,566.96	1,398.04
अनुदान संख्या 98 - वस्त्र मंत्रालय				
130	2852.08.202.16 - भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन के अंतर्गत कपास की खरीद	9,243.09	678.99	8,564.10
अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय				
131	3452.01.101.14 - स्वदेश दर्शन- थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	871.30	165.81	705.49
कुल		**39,10,303.16**	**28,29,454.56**	**10,80,848.60**

अनुलग्नक 4.6 ख
{पैराग्राफ 4.2.2.3 देखें}

लघु/उप शीर्ष स्तर पर ₹100 करोड़ या उससे अधिक की अन्य महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग				
1	2401.00.130.06 - कृषि अवसंरचना निधि	335.60	144.29	191.31
2	2401.00.789.36 - एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन	226.80	0.00	226.80
3	2401.00.789.46 - कृष्णोन्नति योजना	261.57	87.88	173.69
4	2401.00.796.38 - एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन	116.10	0.00	116.10
5	2416.00.796.03 - संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)	1,210.44	806.91	403.53
6	2435.01.101.17 - कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन	336.61	93.75	242.86
7	2435.60.796.01 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	100.00	0.00	100.00
8	3601.06.789.76 - कृष्णोन्नति योजना	687.30	311.11	376.19
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा				
9	4861.03.212.04 - अपशिष्ट उपचार, उन्नत ईंधन, ईंधन पुनर्प्रसंस्करण परियोजनाएं (बीएआरसी)	280.00	179.74	100.26
10	4861.03.212.06 - फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल परियोजनाएं (एफआरएफसीएफ) कलपक्कम	660.00	384.19	275.81
अनुदान संख्या 11 - उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग				
11	2885.02.101.17 - केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017	110.00	8.29	101.71
12	2885.02.101.19 - जम्मू और कश्मीर की केन्द्र शासित प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास	150.00	44.97	105.03
13	4875.60.190.07 - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस)	283.50	140.00	143.50
अनुदान संख्या 12 - डाक विभाग				
14	3201.01.101.03 - डाक विभाग	1,391.01	993.23	397.78
15	3201.01.101.04 - आरएमएस डिवीजन	266.79	128.33	138.46
16	3201.02.103.06 - अन्य	567.53	372.21	195.32
17	3201.03.101.03 - प्रधान डाकघरों में लघु बचत	313.28	169.08	144.20
18	3201.07.102.01 - पेंशन का परिवर्तित मूल्य	933.48	686.87	246.61
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
19	3275.00.187.01 - भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	527.68	39.22	488.46
20	5275.00.796.03 - भारत नेट	301.00	67.17	233.83

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 15 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग				
21	2408.01.102.17 - इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना	300.00	175.00	125.00
22	2408.01.789.07 - एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय आवाजाही और एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता	495.68	0.00	495.68
23	2408.01.796.13 - एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय आवाजाही और एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	256.80	0.00	256.80
अनुदान संख्या 16 - सहकारिता मंत्रालय				
24	3601.06.101.99 - सहकारिता के माध्यम से समृद्धि	184.46	0.00	184.46
25	4059.01.201.06 - भूमि की खरीद	165.00	15.27	149.73
अनुदान संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)				
26	4059.60.051.23 - रक्षा संपदा संगठन	170.03	21.58	148.45
अनुदान संख्या 23 - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय				
27	2552.00.101.06 - पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना	318.79	123.04	195.75
28	2552.00.101.07 - पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	348.29	160.88	187.41
29	2552.00.101.12 - संसाधन का गैर-समाप्तियोग्य केंद्रीय पूल (एनएलसीपीआर)	319.05	29.93	289.12
30	2552.00.796.01 - पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	598.95	227.16	371.79
31	4552.00.054.16 - पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना	435.96	0.19	435.77
अनुदान संख्या 24 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
32	3403.00.101.10 - महासागर सेवाएँ, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)	435.00	234.39	200.61
33	3403.00.101.11 - गहरे महासागर मिशन (डीओएम)	450.00	56.03	393.97
34	5403.00.101.11 - गहरे महासागर मिशन (डीओएम)	200.00	0.00	200.00
35	5455.00.101.06 - पर्यावरण और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएँ (अक्रोस)	200.00	64.45	135.55
अनुदान संख्या 25 - स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
36	3601.06.101.91 - परिणामों में सुधार के लिए राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना (एस्पायर)	170.00	0.00	170.00
37	3601.06.102.35 - परिणामों में सुधार के लिए राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना (एस्पायर)	165.00	0.00	165.00
38	3601.06.789.72 - अनुकरणीय	308.74	0.00	308.74
39	3601.06.796.75 - अनुकरणीय	169.80	0.00	169.80
40	3602.06.101.57 - समग्र शिक्षा- प्रारंभिक शिक्षा	781.32	373.65	407.67
41	3602.06.101.58 - समग्र शिक्षा- माध्यमिक शिक्षा	333.57	100.10	233.47
42	3602.06.796.45 - समग्र शिक्षा- प्रारंभिक शिक्षा	156.15	23.29	132.86

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 26 - उच्च शिक्षा विभाग				
43	2202.80.107.21 - छात्र वित्तीय सहायता	1,482.55	1,034.92	447.63
44	3601.06.789.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	314.52	70.73	243.79
45	3601.06.796.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	198.37	28.46	169.91
अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
46	2852.07.102.01 - जनशक्ति विकास कार्यक्रम	230.00	70.31	159.69
47	2852.07.102.03 - राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम	400.00	267.40	132.60
48	2852.07.102.06 - सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास	443.17	271.83	171.34
49	2852.07.102.07 - साइबर सुरक्षा परियोजनाएँ	215.00	26.61	188.39
50	2852.07.188.05 - भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना संस्थान (बीआईएसएजी-एन)	100.00	0.00	100.00
51	2852.07.188.06 - सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल)	320.00	203.86	116.14
52	2852.07.789.17 - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	179.00	0.00	179.00
53	2852.07.789.19 - बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई	389.12	63.46	325.66
54	2852.07.796.17 - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	147.00	0.00	147.00
55	2852.07.796.19 - बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई	324.30	51.22	273.08
56	5475.00.052.07 - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	258.00	145.99	112.01
अनुदान संख्या 28 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय				
57	3435.04.104.04 - राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम	193.60	16.38	177.22
58	3601.06.101.02 - वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास	271.35	149.44	121.91
अनुदान संख्या 29 - विदेश मंत्रालय				
59	3605.00.101.09 - बांग्लादेश को सहायता	300.00	133.88	166.12
60	3605.00.101.11 - नेपाल को सहायता	750.00	434.27	315.73
61	3605.00.101.40 - मॉरीशस को सहायता	900.00	568.08	331.92
62	4059.60.051.17 - बाह्य मामले	400.00	222.94	177.06
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग				
63	3475.00.800.10 - सहायता अनुदान -सामान्य	227.74	82.95	144.79
64	4046.00.208.01 - सिक्के	1,518.00	1,107.30	410.70
65	5465.01.190.50 - किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष विंडो	1,500.00	1,020.00	480.00

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 32 - वित्तीय सेवा विभाग				
66	3465.01.190.08 - राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) को सहायता	100.01	0.00	100.01
67	7465.00.101.09 - कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस)	250.00	125.00	125.00
अनुदान संख्या 34 - निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)				
68	3451.00.090.52 - निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	290.42	178.89	111.53
अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर				
69	2037.00.114.03 - फोकस उत्पाद योजना और बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना के तहत स्क्रिप्स जारी करना	377.12	39.76	337.36
70	2037.00.114.04 - फोकस मार्केट स्कीम के तहत स्क्रिप्स जारी करना	116.85	2.13	114.72
71	2037.00.114.06 - स्टेटस होल्डर्स इंसेंटिव स्कीम (एसएचआईएस) के तहत स्क्रिप्स जारी करना	169.20	3.40	165.80
72	2037.00.114.07 - वार्षिक वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्क्रिप्स जारी करना	149.90	9.95	139.95
73	4047.00.037.03 - निवारक और अन्य कार्य	200.00	5.63	194.37
74	4059.01.051.22 - कस्टम व सी जी एस टी आयुक्तालयों के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	700.94	356.33	344.61
75	4216.01.108.04 - कस्टम व सी जी एस टी आयुक्तालयों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	419.99	172.22	247.77
अनुदान संख्या 38 - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा				
76	2016.00.102.03 - केंद्रीकृत खरीद	237.67	46.61	191.06
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान				
77	*2049.60.106.11 - 8.01 % तेल विपणन कंपनियों के भारत सरकार के विशेष बांड, 2023*	*332.42*	*231.89*	*100.53*
78	*2049.60.106.15 - 7.95% तेल कंपनियों के भारत सरकार के विशेष बांड, 2025*	*894.93*	*448.14*	*446.79*
79	*2049.60.111.02 - डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष फ्लोटिंग रेट बांड 2022*	*472.50*	*0.00*	*472.50*
80	*2049.60.111.04 - 8.20% डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष सिक्योरिटी 2023*	*807.68*	*565.28*	*242.40*
विनियोग संख्या 40 - ऋण की अदायगी				
81	*6001.00.105.04 - एशियाई विकास बैंक*	*161.03*	*54.00*	*107.03*
82	*6001.00.130.01 - नकद भुगतान योजना*	*270.00*	*19.90*	*250.10*
83	*6002.00.230.00 - रूसी संघ की सरकार से ऋण*	*478.90*	*60.56*	*418.34*
अनुदान संख्या 42 - राज्यों को हस्तांतरण				
84	*7601.09.103.01 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (राज्य) (प्रभारित)*	*100.00*	*0.00*	*100.00*

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 43 - मत्स्य विभाग				
85	2405.00.103.21 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	323.00	181.31	141.69
86	3601.06.101.75 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	917.00	652.85	264.15
87	3601.06.789.64 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	280.00	175.52	104.48
अनुदान संख्या 44 - पशुपालन एवं डेयरी विभाग				
88	2403.00.101.39 - पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	767.88	504.09	263.79
89	3601.08.111.25 - पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	468.35	83.26	385.09
90	3601.08.789.06 - पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	140.65	11.71	128.94
अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
91	2408.01.103.22 - पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना	417.98	200.64	217.34
92	3601.06.101.76 - पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना	270.00	38.43	231.57
अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
93	2210.06.101.63 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम)	580.69	287.21	293.48
94	2210.06.800.57 - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	200.00	83.94	116.06
95	2210.06.800.58 - रक्त आधान सेवा	383.76	145.45	238.31
96	3601.06.796.79 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम)	314.06	146.92	167.14
97	3602.06.101.76 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम)	102.10	0.00	102.10
98	3602.06.797.07 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में अंतरण के लिए निधि	112.00	11.47	100.53
99	4210.04.200.33 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम)	418.18	33.34	384.84
अनुदान संख्या 49 - गृह मंत्रालय				
100	3601.08.111.04 - आपदा के लिये तैयारी	283.04	106.87	176.17
अनुदान संख्या 50 - कैबिनेट				
101	2013.00.106.03 - प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय	300.00	69.15	230.85
102	4070.00.001.15 - विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन	508.82	94.78	414.04
अनुदान संख्या 51 - पुलिस				
103	2055.00.797.01 - निर्भया कोष में अंतरण	200.00	100.00	100.00
104	3601.06.101.12 - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	549.36	113.98	435.38
105	3601.08.111.06 - निर्भया फंड से वित्तपोषित योजनाएं	324.12	85.00	239.12
106	3601.08.111.27 - जेलों का आधुनिकीकरण	330.00	0.00	330.00
107	3601.08.111.28 - अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली का कार्यान्वयन	453.60	0.00	453.60
108	3601.08.111.29 - आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)	100.00	0.00	100.00

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
109	3601.08.111.32 - फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना	285.00	0.00	285.00
110	3602.08.104.01 - निर्भया कोष से वित्तपोषित योजनाएं	289.80	0.00	289.80
111	4055.00.201.01 - कार्यालय भवन	542.50	294.67	247.83
112	4055.00.201.02 - आवासीय भवन	368.90	180.74	188.16
113	4055.00.203.01 - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय	1,064.59	675.11	389.48
अनुदान संख्या 55 - लद्दाख				
114	2575.04.001.02 - सचिव वित्त- केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख	214.00	88.90	125.10
अनुदान संख्या 60 - आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय				
115	2217.05.001.02 - स्वच्छ भारत मिशन	184.98	42.83	142.15
116	2217.05.191.16 - शहरी कायाकल्प (पुनरूद्धार) मिशन 500 बस्तियाँ (अमरुत)	338.00	92.86	245.14
117	3601.06.101.32 - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	528.84	383.78	145.06
118	3602.06.101.18 - 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन	326.01	98.00	228.01
अनुदान संख्या 61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
119	2221.80.102.05 - प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बाइंड)	284.00	159.91	124.09
अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				
120	2701.80.004.08 - राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	698.40	460.33	238.07
121	3601.06.101.90 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -हर खेत को पानी	430.00	293.55	136.45
122	3602.06.101.32 - बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम	120.00	0.00	120.00
123	4702.00.800.06 - भूजल प्रबंधन और विनियमन	251.97	84.84	167.13
अनुदान संख्या 63 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग				
124	3601.06.789.47 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	1,300.00	863.16	436.84
125	3601.06.796.49 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	590.80	385.01	205.79
126	3602.06.797.03 - केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)-एसबीएम(जी) में अंतरण	250.00	0.00	250.00
अनुदान संख्या 64 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय				
127	2230.01.789.20 - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	1,211.80	829.30	382.50
128	2230.01.796.20 - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	627.80	429.30	198.50
अनुदान संख्या 68 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय				
129	2851.00.106.11 - खादी ग्रामोद्योग एवं कॉयर उद्योग का विकास	304.10	88.29	215.81
अनुदान संख्या 70 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय				
130	2225.04.277.02 - अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	331.00	34.76	296.24
131	2225.04.277.04 - अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	460.90	28.73	432.17
132	2235.02.200.22 - कौशल विकास पहल	220.41	65.28	155.13

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
133	3601.06.101.77 - मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	143.35	0.00	143.35
अनुदान संख्या 71 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय				
134	2810.00.789.07 - सौर ऊर्जा	408.00	170.55	237.45
135	2810.00.796.05 - सौर ऊर्जा	433.00	194.14	238.86
अनुदान संख्या 74 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
136	2052.00.090.05 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	566.21	167.66	398.55
अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
137	2802.02.102.01 - प्रधानमंत्री जीवन योजना	314.36	37.88	276.48
138	2802.80.106.06 - भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विशाखापत्तनम की स्थापना	150.00	29.25	120.75
139	2802.80.789.01 - एलपीजी के लिए डीबीटी	332.00	14.94	317.06
140	2802.80.796.01 - एलपीजी के लिए डीबीटी	172.00	7.75	164.25
अनुदान संख्या 78 - बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय				
141	5056.00.797.01 - केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अंतरण	100.00	0.00	100.00
अनुदान संख्या 79 - विद्युत मंत्रालय				
142	2801.02.800.01 - आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विनिर्माण क्षेत्र	100.00	0.00	100.00
143	2801.05.796.04 - सुधार से जुड़ी वितरण योजना	584.09	194.73	389.36
144	2801.80.004.04 - अनुसंधान और प्रशिक्षण	302.77	174.96	127.81
145	2801.80.103.01 - संरक्षण और ऊर्जा दक्षता	210.00	77.16	132.84
अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
146	3055.00.004.28 - केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वित्तपोषित सड़क सुरक्षा	189.50	68.67	120.83
147	3055.00.797.01 - केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण के लिए ब्लॉक अनुदान	328.00	199.00	129.00
148	5054.01.337.06 - केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित विधानमंडल रहित केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें	346.38	99.56	246.82
अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग				
149	2505.02.101.09 - क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता	400.00	12.71	387.29
150	3602.06.101.26 - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	119.75	19.28	100.47
अनुदान संख्या 88 - भूमि संसाधन विभाग				
151	3601.06.789.45 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास घटक	332.00	169.79	162.21
अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग				
152	3425.60.200.68 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	1,078.00	740.23	337.77
153	3425.60.200.70 - नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	617.00	409.41	207.59
154	3425.60.200.71 - अनुसंधान और विकास	521.03	173.62	347.41

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
155	3425.60.600.03 - आर एंड डी उपकर के तहत रसीद के खिलाफ भुगतान	100.00	0.00	100.00
अनुदान संख्या 90 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
156	3425.60.200.37 - औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास	361.00	238.46	122.54
अनुदान संख्या 92 - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय				
157	2230.03.789.08 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	290.52	122.06	168.46
158	3601.06.101.36 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	434.58	246.37	188.21
अनुदान संख्या 93 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय				
159	2225.01.789.29 - प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	126.50	2.26	124.24
अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग				
160	3402.00.101.39 - सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला	400.00	80.00	320.00
161	5402.00.101.17 - सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र - एस एच ए आर	245.00	103.96	141.04
162	5402.00.101.31 - नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम	159.53	55.44	104.09
163	5402.00.101.37 - अर्ध क्रायोजेनिक इंजन विकास	197.80	40.89	156.91
164	5402.00.101.48 - इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स	236.00	111.32	124.68
165	5402.00.101.72 - जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम (चरण 4)	199.75	64.52	135.23
166	5402.00.101.73 - अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए नेटवर्क	124.00	8.71	115.29
अनुदान संख्या 96 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
167	3454.02.204.19 - क्षमता विकास (सीएसओ का क्षमता विकास और संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण)	499.03	319.83	179.20
अनुदान संख्या 98 - वस्त्र मंत्रालय				
168	2852.08.202.62 - टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा क्लस्टर	203.83	97.56	106.27
169	2852.08.202.63 - अनुसंधान एवं विकास तथा संस्थागत विकास	175.00	67.13	107.87
अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय				
170	3452.01.101.19 - तीर्थयात्रा संरक्षण और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)	235.00	91.50	143.50
171	3452.01.101.22 - प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का विकास	130.00	0.00	130.00
172	3452.80.104.01 - प्रत्यक्ष व्यय	409.00	67.13	341.87
अनुदान संख्या 100 - जनजातीय कार्य मंत्रालय				
173	2225.02.796.24 - राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम	851.63	399.22	452.41
174	*3601.08.796.05 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान (प्रभारित)*	*1,069.71*	*759.30*	*310.41*
अनुदान संख्या 101 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय				
175	2235.02.102.50 - मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ)	315.52	172.46	143.06

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
176	2235.02.102.51 - सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं- पोषण अभियान- किशोरियों के लिए योजना)	570.00	93.40	476.60
अनुदान संख्या 102 - युवा मामले और खेल मंत्रालय				
177	2204.00.104.56 - खेलो इंडिया	621.00	406.00	215.00
कुल		**69,282.79**	**29,766.00**	**39,516.79**

अनुलग्नक 4.7
{पैराग्राफ 4.2.2.4 देखें}

असमर्पित बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	बचत	सम्पूर्ण समर्पण	अस्वीकृत राशि
1	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	22,427.54	21,005.13	1,422.41
2	3-परमाणु ऊर्जा	1,020.85	612.85	408.00
3	4- आयुष मंत्रालय	386.72	366.25	20.47
4	8-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	1,355.50	1,352.36	3.14
5	11- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	2,690.64	2,640.40	50.24
6	12-डाक विभाग	2,323.66	1,585.00	738.66
7	16-सहकारिता मंत्रालय	419.52	89.39	330.13
8	19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	4,687.44	4,120.00	567.44
9	20-रक्षा सेवाएँ (राजस्व)	2,607.06	0.00	2,607.06
10	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	9,663.60	3,711.91	5,951.69
11	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1,806.07	1,805.83	0.24
12	24-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,071.91	811.68	260.23
13	25-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	14,659.28	14,621.34	37.94
14	26-उच्च शिक्षा विभाग	1,846.16	310.25	1,535.91
15	27-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	5,399.76	4,555.95	843.81
16	29-विदेश मंत्रालय	1,021.84	281.17	740.67
17	32-वित्तीय सेवा विभाग	4,099.21	4,097.78	1.43
18	36-प्रत्यक्ष कर	661.69	602.61	59.08
19	37-अप्रत्यक्ष कर	7,143.97	6,990.84	153.13
20	*39-ब्याज भुगतान*	2,118.44	0.00	2,118.44
21	43-मत्स्य विभाग	757.94	752.11	5.83
22	44-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	1,659.16	1,580.89	78.27
23	45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,486.89	1,485.35	1.54
24	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	14,472.40	14,284.54	187.86
25	47-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	768.56	749.07	19.49
26	48-भारी उद्योग विभाग	593.49	592.09	1.40
27	49-गृह मंत्रालय	3,333.44	3,193.68	139.76
28	51-पुलिस	5,507.19	2,331.15	3,176.04
29	55-लद्दाख	1,778.34	1,775.84	2.50
30	57-दिल्ली में स्थानांतरण	207.52	207.50	0.02
31	60-आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय	1,396.41	1,157.31	239.10
32	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	157.88	0.01	157.87
33	62-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	6,845.58	5,831.98	1,013.60
34	63-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	74,622.70	74,622.69	0.01
35	64-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2,093.08	2,056.02	37.06
36	65-कानून और न्याय	465.91	422.99	42.92

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	बचत	सम्पूर्ण समर्पण	अस्वीकृत राशि
37	68-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	144.34	134.47	9.87
38	71-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1,449.87	1,277.86	172.01
39	76-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	3,530.85	2,970.83	560.02
40	78- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय	221.93	112.82	109.11
41	79-विद्युत मंत्रालय	8,210.70	5,350.20	2,860.50
42	86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3,585.99	1,219.47	2,366.52
43	87-ग्रामीण विकास विभाग	6,122.99	4,020.26	2,102.73
44	89-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1,442.24	1,100.03	342.21
45	92-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	1,611.16	1,607.34	3.82
46	94-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	223.08	220.92	2.16
47	95-अंतरिक्ष विभाग	3,542.16	3,430.45	111.71
48	96-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,681.78	1,681.38	0.40
49	98-वस्त्र मंत्रालय	9,009.47	9,006.69	2.78
50	99-पर्यटन मंत्रालय	1,696.75	1,630.77	65.98
51	101-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1,660.23	1,654.96	5.27
52	102-युवा मामले और खेल मंत्रालय	494.14	460.73	33.41
कुल				**31,701.89**

अनुलग्नक 4.8
{पैराग्राफ 4.2.2.5 देखें}

मुख्य शीर्ष 2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा व्यापक (वृहद) समर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग/मंत्रालय	स्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	कार्यात्मक शीर्षों का पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग के बाद बचत	समर्पित राशि	व्यपगत राशि
क	ख	ग	घ	ङ=ग-घ	च	छ=ङ-च
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	12,332.62	8,141.36	4,191.26	4,191.24	0.02
2	उपभोक्ता मामले विभाग	156.72	6.05	150.67	150.67	0.00
3	पशुपालन और डेयरी विभाग	371.67	171.32	200.35	200.33	0.02
कुल		**12,861.01**	**8,318.73**	**4,542.28**	**4,542.24**	**0.04**

अनुलग्नक 4.9
{पैराग्राफ 4.2.2.6 देखें}

बचत का वर्गीकरण

वर्ग	राशि *(₹ करोड़ में)*	टिप्पणी
अवास्तविक बजट अनुमान	5,56,731.65	इसमें अर्थोपाय अग्रिमों का कम/अनुपयोगीकरण, सरकार के लेखे में अधिशेष नकदी की उपलब्धता के कारण साधन (₹5,42,404.00 करोड़); तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को बंद करना और भारतीय खाद्य निगम के पास अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता (₹1,4327.65 करोड़) जैसे कारण शामिल थे।
योजनाओं और गतिविधियों में निष्पादन प्रदर्शन में अंतराल और कमी को दर्शाने वाले कारण	3,48,206.50	इसमें कम निधियों की आवश्यकता (₹22,073.06 करोड़); कम निधियों की प्राप्ति/जारी (₹19,983.38 करोड़); प्रस्तावों/दावों/बिलों/मांगों की कम/नहीं प्राप्ति (₹49,142.75 करोड़); उपयोग प्रमाणपत्रों की कम/नहीं/देरी से प्राप्ति (₹6,611.97 करोड़); निधियों को जारी करने के लिए आवश्यक मानदंडों की पूर्ति न करना (₹35,277.97 करोड़); वस्तुओं की खरीद न होना (₹12,498.69 करोड़); योजना वितरण में अंतराल (₹13,173.76 करोड़); और बिलों, स्क्रिप्स, गारंटियों आदि के जारी होने की कम मात्रा; निवेश की कम मात्रा; लेनदेन/प्रतिभूतियों का स्विचिंग (₹1,89,444.92 करोड़) जैसे कारण शामिल थे।
व्यय के विनियमन के कारण	1,45,268.78	इस श्रेणी में मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कमी (₹1,13,735.36 करोड़) और राज्यों को विशेष सहायता के लिए प्रस्ताव की कम प्राप्ति (₹31,533.42 करोड़) जैसे कारण शामिल हैं।
आरक्षित निधि में धन का हस्तांतरण न करना	11,406.59	केन्द्रीय सड़क व अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में कम अंतरण (1,306.58 करोड़); और लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में देरी के कारण माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में धनराशि हस्तांतरित नहीं हुई (₹10,100.01 करोड़)

अनुलग्नक 4.10
{पैराग्राफ 4.3.1 देखें}
लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 3-परमाणु ऊर्जा					
1	3401.00.004.22 - बीएआरसी के अनुसंधान केंद्र	2,243.00	121.15	2,237.22	126.93
2	3401.00.004.24- आरआरसीएटी के अनुसंधान केंद्र	387.56	10.15	382.80	14.91
3	3401.00.004.27-स्वायत्त निकाय और अनुसंधान सहायता	3,029.10	249.20	2,831.48	446.82
अनुदान संख्या 13- दूरसंचार विभाग					
4	3275.00.103.02-आरएंडडी के लिए मुआवजा	0.00	130.00	0.00	130.00
अनुदान संख्या 19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)					
5	2052.00.092.02-रक्षा लेखा विभाग (डीएडी)	2,230.90	31.21	2,159.44	102.67
अनुदान संख्या 20-रक्षा सेवाएं (राजस्व)					
6	2076.00.109-निरीक्षण संगठन	1,283.08	54.21	1,155.71	181.58
7	2076.00.113-राष्ट्रीय कैडेट कोर	1,956.23	81.24	1,882.36	155.11
अनुदान संख्या 23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय					
8	4552.00.796.03-पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम- डिवाइन)	0.00	40.00	0.00	40.00
अनुदान संख्या 30- आर्थिक कार्य विभाग					
9	3475.00.115.01-बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता-व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण	400.00	448.61	0.00	848.61
10	3475.00.797.03-स्वर्ण आरक्षित निधि	2,498.00	62.00	2,424.85	135.15
अनुदान संख्या 32-वित्तीय सेवा विभाग					
11	2235.60.102.04-वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान	568.48	16.98	139.12	446.34
अनुदान संख्या 36-प्रत्यक्ष कर					
12	4059.01.051.20-आयकर विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण एवं कार्यालय भवन का निर्माण	285.99	69.72	151.79	203.92
अनुदान संख्या 51-पुलिस					
13	2055.00.001.06-खुफिया विभाग	3,039.06	76.55	2,807.42	308.19
14	2055.00.102.01-स्थापना	28,719.69	544.28	28,718.93	545.04
15	2055.00.106.01-स्थापना	1,155.07	19.61	1,107.19	67.49
16	2055.00.107.01-निर्देशन और प्रशासन	12,755.71	129.20	12,721.50	163.41
अनुदान संख्या 71-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
17	2810.00.101.05-सौर ऊर्जा	3,709.89	32.32	3,516.59	225.62

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 77-योजना मंत्रालय					
18	5475.00.004.01-स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम)	10.00	10.00	0.00	20.00
अनुदान संख्या 87-ग्रामीण विकास विभाग					
19	2505.02.789.02-जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता	15,380.88	1,480.53	12,250.58	4,610.83
20	2505.02.796.02-जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता	11,427.67	1,370.92	11,291.99	1,506.60
अनुदान संख्या 88-भूमि संसाधन विभाग					
21	*2501.05.101.12-व्यावसायिक सहायता और अन्य गतिविधियाँ (प्रभारित)*	*0.00*	*10.25*	*0.00*	*10.25*
कुल		**91,080.31**	**4,988.13**	**85,778.97**	**10,289.47**

अनुलग्नक 4.11 क
{पैराग्राफ 4.4.1 देखें}
लघु/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोग जो उपयोग न किए जाने के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹10 करोड़ या उससे अधिक का पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	अंतिम बचत शीर्ष के अंतर्गत
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग			
1	2401.00.796.47-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	30.71	72.92
अनुदान संख्या 12 - डाक विभाग			
2	3201.02.103.02-एआईआर	16.79	71.19
3	3201.07.101.01-अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते	17.47	126.11
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग			
4	3275.00.190.01-गारंटी शुल्क में छूट	20.00	31.08
अनुदान संख्या 16 - सहकारिता मंत्रालय			
5	2425.00.108.26-कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना	49.67	265.31
अनुदान संख्या 19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)			
6	2037.00.102.06-तट रक्षक संगठन	82.53	212.91
7	2055.00.104.02-जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जेएकेएलआई) के संबंध में भुगतान किए गए शुल्क	14.95	51.20
अनुदान संख्या 20-रक्षा सेवाएं (राजस्व)			
8	2077.00.111-कार्य	50.00	57.39
9	2080.00.110-स्टोर	54.42	63.73
अनुदान संख्या 21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
10	4076.08.209-मेक प्रक्रिया के तहत प्रोटोटाइप विकास के लिए सहायता	295.49	1,514.00
अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
11	2852.07.102.02-इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कार्यक्रम	89.64	245.30
अनुदान संख्या 29 - विदेश मंत्रालय			
12	3605.00.101.13-मालदीव को सहायता	40.00	216.84
13	7605.00.097.01-भूटान में चल रही जलविद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	14.64	16.68
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान			
14	*2049.01.130.-स्वर्ण मौद्रीकरण योजना पर ब्याज 2015*	*10.00*	*20.64*
15	*2049.03.104.04-राज्य रेलवे भविष्य निधि*	*432.29*	*607.69*
16	*2049.03.109.10-भविष्य सुपरएनुएशन ग्रेच्युटी फंड की विशेष जमाराशि*	*220.44*	*252.92*
अनुदान संख्या 51 - पुलिस			
17	4055.00.214.02-भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य	203.56	244.61
अनुदान संख्या 61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय			
18	2221.80.102.01-प्रसार भारती	18.34	53.69
अनुदान संख्या 71 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			
19	2810.00.101.07-पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम	148.14	152.47
अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग			
20	3601.06.797.07-केंद्रीय सड़क निधि/केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (पीएमएवाई-जी) में अंतरण	2,000.03	4,104.86
अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग			
21	3402.00.101.64- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय	12.06	12.23
कुल		**3,821.17**	**8,393.77**

अनुलग्नक 4.11 ख
{पैराग्राफ 4.4.1 देखें}
लघु/उप-शीर्षों से पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप अंतिम अधिक व्यय
(₹10 करोड़ या उससे अधिक का पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	शीर्ष से पुनर्विनियोग राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अधिक व्यय
अनुदान संख्या 12-डाक विभाग				
1	3201.02.104.01-अनुसंधान और विकास	211.04	54.81	15.13
2	3201.60.102.03-जीडीएस के लिए सेवा मुक्ति लाभ योजना	57.04	21.61	14.17
अनुदान संख्या 19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)				
3	*5054.02.337.03-सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत कार्य (प्रभारित)*	*35.00*	*15.00*	*10.92*
अनुदान संख्या 20-रक्षा सेवाएं (राजस्व)				
4	2077.00.112 - संयुक्त कर्मचारी	4,094.59	316.76	26.15
5	2078.00.105 - परिवहन	1,096.52	59.73	54.92
अनुदान संख्या 22-रक्षा पेंशन				
6	2071.02.102.03-छुट्टी नकदीकरण	332.79	49.15	21.66
अनुदान संख्या 29-विदेश मंत्रालय				
7	2061.00.798.02-अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन	50.00	35.00	32.46
8	3605.00.101.12- श्रीलंका-अन्य सहायता कार्यक्रम	200.00	125.00	51.04
अनुदान संख्या 30- आर्थिक कार्य विभाग				
9	4046.00.206.06-स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015	2,000.00	1,100.00	189.21
अनुदान संख्या 41- पेंशन				
10	2071.01.102.01-साधारण पेंशन	4,875.00	425.00	128.97
कुल		**12,951.98**	**2,202.06**	**544.63**

अनुलग्नक 4.12
{पैराग्राफ 4.5.1 देखें}

पूर्व अनुमोदन के बिना वस्तु शीर्षों के लिए प्रावधान में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	टीए*	टीई*	टीए से अधिक
अनुदान संख्या 92, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (वस्तु शीर्ष 31-' सहायता अनुदान-सामान्य')				
1.	*2230.03.789.08.14.31-ईएपी-औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) (एससीएसपी घटक)*	0.66	7.11	6.45
2.	***2230.03.796.09.14.31- ईएपी-औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) (टीएसपी घटक)***	***0.34***	***1.17***	***0.83***
मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2023) कि डीईए का दिनांक 25.05.2006 का कार्यालय ज्ञापन 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' के संदर्भ में जारी किया गया है। मौजूदा योजनाओं के लिए, वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन के नियम 10 के तहत भारत सरकार का निर्णय संख्या 3 (ii) प्रासंगिक है। यह भी बताया गया कि एमएच-2552 से पुनर्विनियोग एमएसडीई के सचिव के अनुमोदन से किया गया था। मुख्य शीर्ष 2230 के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '31- सामान्य अनुदान' में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान को बढ़ाने के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिए थी।				
कुल				**7.28**

** टीए = कुल प्राधिकरण (एनईआर प्रावधानों सहित), टीई = कुल व्यय*

अनुलग्नक 4.13
{पैराग्राफ 4.6.1 देखें}

मार्च 2023 और/या 2022-23 की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत#	पिछली तिमाही के दौरान किया गया व्यय	पिछली तिमाही के दौरान व्यय का प्रतिशत#	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारण
1.	औषध विभाग	2,244.15 (2,268.54)	819.12	36.50 (36.11)	1,473.04	65.64 (64.93)	विभाग ने अगस्त 2023 में कहा कि अंतिम तिमाही/मार्च में बढ़ा हुआ व्यय संशोधित अनुमान चरण में विभाग के बजट में वृद्धि के कारण था और इसका व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक पूरा किया जाना था।
2.	29-विदेश मंत्रालय	17,255.00 (16,974.04)	3,359.06	19.47 (19.79)	6,478.80	37.55 (38.17)	मामला अगस्त 2023 में मंत्रालय को सूचित किया गया; जवाब की प्रतीक्षा है
3.	65- विधि एवं न्याय मंत्रालय	3,593.48 (3,518.46)	3,736.98	103.99 (106.21)	4,864.36	135.37 (138.25)	-वही-
4.	74- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	2,337.18 (2,320.37)	354.95	15.19 (15.30)	888.16	38.00 (38.28)	मंत्रालय ने सितंबर 2023 में कहा कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच का आदेश संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष की अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय हुआ है।
5.	76- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	8,939.86 (33,883.55)	5,526.47	61.82 (16.31)	27,664.43	309.45 (81.65)	जुलाई 2023 में मंत्रालय को मामले की सूचना दी गई; जवाब की प्रतीक्षा है
6.	77-योजना मंत्रालय	321.42 (1,031.53)	526.21	163.71 (51.01)	647.04	201.31 (62.73)	मामला अगस्त 2023 में मंत्रालय को सूचित किया गया; जवाब की प्रतीक्षा है
7.	87-ग्रामीण विकास विभाग	1,35,944.29 (1,81,121.80)	37,101.26	27.29 (20.48)	67,336.12	49.53 (37.18)	-वही-
8.	94- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1,212.42 (1,015.98)	341.70	28.18 (33.63)	416.81	34.38 (41.03)	- वही-

 # कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधित अनुमान के सापेक्ष प्रतिशत दर्शाते हैं।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/pt/delhi/hi/page-pt-delhi-union-reports